मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2022-2023

******

विभागीय संरचना

माननीय मंत्रीजी	डॉ0 नरोत्तम मिश्रा
अपर मुख्य सचिव	डॉ0 राजेश राजोरा
सचिव	श्री रवीन्द्र सिंह
सचिव (पुलिस)	श्री गौरव राजपूत
अपर सचिव	श्री अजय गुप्ता
उप सचिव	श्री हरि सिंह मीना
उप सचिव	श्री जगदीश कुमार गोमे
अवर सचिव	श्री अन्नू भलावी

गृह विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष

1.	पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल	श्री सुधीर कुमार सक्सेना
2.	अध्यक्ष म0प्र0, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल	श्री कैलाश मकवाना
3.	महानिदेशक होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, जबलपुर	श्री पवन कुमार जैन
4.	संचालक लोक अभियोजन, भोपाल	श्री अन्वेश मंगलम
5.	प्रभारी संचालक, सैनिक कल्याण संचालनालय, भोपाल	कमाण्डर उदय सिंह (Rtd.)
6.	संचालक संपदा संचालनालय, भोपाल	श्री अजय गुप्ता
7.	प्रभारी संचालक मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल	श्रीमती नीलम श्रीवास्तव
8.	अधीक्षक मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज, भोपाल	श्री संतोष तिवारी
9.	कार्यपालन संचालक आपदा प्रबंध संस्थान, भोपाल	श्री रवीन्द्र सिंह
10.	समन्वयक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भोपाल	श्री गौरव राजपूत

प्रमुख दायित्व

गृह विभाग, प्रदेश में कानून और व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा व शांति बनाये रखने, शस्त्र अधिनियम, विदेशियों से संबंधित अधिनियम, म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम, आदि के क्रियान्वयन एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दायित्वों का निर्वहन करता है।

इस विभाग के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा, राज्य पुलिस सेवा, नगर सेना, लोक अभियोजन एवं सैनिक कल्याण से संबंधित समस्त विषय, शासकीय सेवकों के आवास आवंटन, पारपत्र/वीसा, अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित व्यवस्था मंत्रियों तथा अधिकारियों को शासकीय आवासों का आवंटन, उनके लिये वाहन व्यवस्था, शासकीय टेलीफोन व्यवस्था आदि कार्यो का संपादन किया जाता है।

गृह विभाग के अधीन प्रतिपादित किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार है:-

अ- सामान्य

1. नागरिकता और देशीकरण।
2. पारपत्र और दृष्टांक (वीसा)।
3. अन्य देशीय।
4. अन्तर्राज्यीय प्रवजन अन्तर्राज्यीय निरोध।
5. प्रत्यर्पण।
6. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं ।
7. राज्य और जिला सैनिक,नाविक तथा वैमानिक मण्डल को सम्मिलित करते हुये सैनिकों सिविल पायोनियर्स तथा युद्व उद्योंगों में श्रमिकों का पुनर्वास/पुर्ननियुक्ति।
8. अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित सामान्य प्रश्न।
9. जनगणना।
10. मंत्रियों और मंत्रीगणों के निवास भवनों का आवंटन।
11. भोपाल स्थित मोटर वक्र्स तथा स्टेट गैरेज से वाहनों का आवंटन।
12. सरकारी मोटर गाड़ियां जो मंत्रियों और संसदीय सचिवों के उपयोग के लिये रखी गई है, का रखरखाव।
13. चयनित विभागों के लिये सरकारी टेलीफोन व्यवस्था।
14. ऐसे सरकारी भवनों में जो सामान्य पूल के हो और जो निवास के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाते हो, बिजली की व्यवस्था।
15. वर्दियां।
16. अशासकीय संघो (एसोशिएशन) द्वारा पारित संकल्प।
17. ऐसे शासकीय सेवकों के (जो पाकिस्तान चले गये थे) वेतन, छुट्टीवेतन, भविष्य निधि निवृत्ति वेतन आदि का बकाया संबंधी दावे।
18. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
19. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये आशयित निवास भवनों के निर्माण के लिये प्रशासकीय अनुमोदन और उनका आवंटन।
20. ऐसी सेवाओं से सम्बद्व सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ नियुक्तियाँ, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्यनिधियां प्रतिनियुक्तिां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

<u>आ-पुलिस</u>

1. सार्वजनिक व्यवस्था ।
2. आंतरिक सुरक्षा।
3. पुलिस जिसके अन्तर्गत रेल्वे और ग्राम पुलिस भी है, किन्तु विशेष पुलिस स्थापना शामिल नहीं है।
4. पुलिस प्रशिक्षण शालायें और महाविद्यालय।
5. शस्त्रास्त्र, आग्नेय युद्धोपकरण।
6. फड़ लगाना और जुआ।
7. पुलिस बल की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का अन्य क्षेत्रों पर विस्तार।
8. केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग।
9. सैनिक शिक्षा (नगर सेना)।
10. राजनैतिक अपराध।
11. निवारक निरोध तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जो विदेशी कार्य, भारत की प्रतिरक्षा संबंधी कारणों से ऐसे निरोध के अध्याधीन है।
12. राज्य की सुरक्षा से सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने अथवा समुदायों के लिये, अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनायें रखने से सशक्त कारणों के लिये निवारक निरोध, ऐसे निरूद्ध व्यक्ति।
13. सिविल प्रतिरक्षा।
14. अन्त्रराज्यीय पुलिस बेतार (वायरलैस) पद्धति।
15. पुलिस पदक।
16. भारतीय पुलिस सहित भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित विषयक।
17. ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ नियुक्तियां, पदस्थापनायें,स्थानांतरण, वेतन छुट्टियां निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्यनिधियां, प्रतिनियुक्तियाँए दण्ड तथा अभ्यावेदन।

मध्यप्रदेश पुलिस संरचना

पुलिस मुख्यालय

पुलिस मुख्यालय की मुख्य शाखाएं, विशेष पुलिस महानिदेशक/अति. पुलिस महानिदेशक पद के अधिकारियों के अधीन कार्यरत् हैं।

1) प्रशासन/कार्मिक 2) राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो 3) महिला सुरक्षा शाखा 4) अजाक 5) अपराध अनुसंधान विभाग 6) नारकोटिक्स 7) दूरसंचार 8) विशेष सशस्त्र बल 9) पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 10) शासकीय रेल पुलिस 11) आर.ए.पी.टी.सी. 12) विशेष शाखा एवं नक्शल सेल 13) सायबर सेल 14) राज्य औद्यौगिक सुरक्षा बल 15) प्रशिक्षण शाखा 16) स्पेशल टास्क फोर्स 17) प्रबंध शाखा 18) को-ऑपरेटिव फ्रॉड एवं लोक सेवा गारंटी 19) जवाहल लाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर 20) कल्याण शाखा 21) योजना शाखा

01 प्रशासन/कार्मिक

वर्ष- 2022-23 के अन्तर्गत प्रशासन शाखा में दिनांक- 01/01/2022 से 31/12/2022 तक किये गये **महत्वपूर्ण कार्य-**

1. पदोन्नति

वर्ष के दौरान भारतीय पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों को पदोन्नति दी गयी एवं कुल 02 भा.पु.से अधिकारियों को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति दी गयी है।

शासन आदेश द्वारा 10 अधिकारियों को राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति प्रदान की गयी है। रा.पु.से. संवर्ग में अति. पुलिस अधीक्षक के कुल 265 पद स्वीकृत होकर 245 अधिकारी उपलब्ध एवं 20 पद रिक्त हैं।

शासन आदेश से वर्ष 2022 में 22 उप पुलिस अधीक्षक/सहायक सेनानी को अति. पुलिस अधीक्षक/उप सेनानी के पद पर पदोन्नति/पदस्थापना दी गयी है। वर्ष- 2022 में कुल 54 अति. पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश गृह विभाग से जारी हुए हैं। शासन आदेश से वर्ष- 2022 में कुल 13 निरीक्षक/समकक्ष संवर्ग के अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक का मानसेवी पद नाम दिया गया है।

रा.पु.से संवर्ग में उप पुलिस अधीक्षक के 1004 पद स्वीकृत होकर 637 उपलब्ध है एवं 367 पद रिक्त हैं। वर्ष- 2022 में 01 निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना दी गयी है। वर्ष- 2022 में कुल 379 उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण/नवीन कार्यभार आवंटन संबंधी आदेश जारी किये गये हैं।

2. स्थायीकरण

गृह विभाग म.प्र. शासन के आदेश दिनांक- 08/12/2022 द्वारा कुल 219 रा.पु.से अधिकारियों(उ.पु.अ.) के स्थायीकरण के आदेश जारी किये गये।

3. वेतनमान

भा.पु.से के 23 अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान- 09 अधिकारियों को कनिष्ट प्रशासनिक ग्रेड एवं 04 को वरिष्ठ समय वेतनमान प्रदान किया गया है।

दिनांक- 01/01/2022 की स्थिति में शासन द्वारा रा.पु.से संवर्ग के 150 रा.पु.से. अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, 30 रा.पु.से अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतन मान, 07 रा.पु.से. अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवरश्रेणी वेतनमान आदेश जारी किये गये।

4. पदक

वर्ष के दौरान 33 अधिकारियों को भारतीय पुलिस का सराहनीय सेवा पदक एवं 08 अधिकारियों को महामहिम राष्टपति जी का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है। पुलिस महानिदेशक डी.जी.सी.आर. 44 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान किया गया है। इसी प्रकार 2021 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्कृष्ठ/अति उत्कृष्ठ सेवा पदक, 143 को अति उत्कृष्ठ सेवा पदक एवं 167 को उत्कृष्ठ सेवा पदक प्रदान किये गये है।

5. वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन

Sparrow- sps.mpeoffice.gov.in के माध्यम से वर्ष- 2022 में कुल 1715 पी.ए.आर. जनरेट की गयी जिसमें से 1715 क्लोज हो गयी।

निरीक्षक एवं उप निरीक्षक कुल 7476 अधिकारियों की जानकारी प्राप्त हुयी है। वर्तमान में 7400 अधिकारियों की आई.डी. बनाई जा चुकी है एवं विभिन्न स्तर पर प्रेषित किये जाने वाले फॉर्म का निर्धारण किया जा चुका है एवं फॉर्म एन.आई.सी. पोर्टल पर अपडेट हो चुके हैं पोर्टल एवं फॉर्म का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरान्त पोर्टल लागू करने की कार्यवाही की जावेगी। ऑनलाइन ए.सी.आर. भरने के संबंध में विभिन्न इकाइयों से कुल 150 मास्टर ट्रेनरोंको नामांकित किया गया है जिन्हे भोपाल में प्रशिक्षण दिया जावेगा एवं प्रत्येक इकाई के मास्टर ट्रेनर अपनी इकाई में संबंधित को प्रशिक्षण देंगे।

02 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो

सी.सी.टी.एन.एस.

सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के तकनीकी संचालन हेतु रा.अ.अ.ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल में सीसीटीएनएस कमाण्ड एवं कंट्रोल रूम स्थापित कर प्रदेश के 1110 थानों एवं 638 वरिष्ठ कार्यालयों में सीसीटीएनएस एवं कम्प्यूटर नेटवर्क की एकीकृत मॉनीटरिंग की जाती है। इसके साथ ही समस्त थानों एवं वरिष्ठ कार्यालयों को भारत सरकार के Interoperable Criminal Justice System (ICJS) and National Database of Sexual Offender (NDSO) Portal, ITSSO, Cri-MAC का एक्सेस सीसीटीएनएस के माध्यम से प्रदान किया गया है। जिससे समस्त राज्यों के अपराध एवं अपराधियों की जानकारी थाना स्तर पर सुलभ हो गई है।

• सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के सिस्टम इंटीग्रेटर एचसीएलटी के निर्गम उपरान्त प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन का कार्य 01 जुलाई 2021 से MPSeDC द्वारा किया जा रहा है।

• सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट की निरन्तरता हेतु नवीन पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव राशि रूपये-10287.51 लाख रूपये की स्वीकृति शासन व्दारा प्रदाय की जा चुकी हैं। जिसके उपरांत चरणबध्द तरीके से समस्त थानो का हार्डवेयर बदलने का कार्य प्रगति पर हैं।

• सीसीटीएनएस के संचालन एवं सपोर्ट के लिए जिला स्तर पर विभागीय SPOC (सउनि(क)/ प्रआर(क)) की पदस्थापना की गयी है।

• सीसीटीएनएस में कुल 168 रिपोर्ट्स, 43 रजिस्टर एवं 73 मॉड्यूल उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से अपराध से संबंधित जानकारी निकाली जा सकती है।

• सीसीटीएनएस अंतर्गत “e-विवेचना App” के माध्यम से विवेचक को घटना स्थल की फोटोग्राफी/ विडियोग्राफी करने, अपराध विवरण फार्म, केस डायरी को Text to speech के माध्यम से भरकर विवेचना करने की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त योजना 26 नवम्बर 2021 से प्रारंभ हुई हैं। अनुसंधान के महत्वपूर्ण Events एवं साक्ष्यों की Time Stamping एवं Geo Tagging स्वतः होना, घटनास्थल के फोटो/ विडियो एवं साक्षियों के कथन मौके पर दर्ज करने की सुविधा होने से विवेचना अधिक विश्वसनीय एवं पारदर्शी होगी। आज दिनांक 31.01.2023 तक इस एप के माध्यम से कुल 27000 से अधिक प्रकरणों (FIR) में 95745 (केस डायरी - 73809, अपराध विवरण- 6890, फोटो/विडियो - 15046) एन्ट्रीज की गई हैं। जिस हेतु 1740 टेबलेट 425 थानों में वितरित किए गए हैं।

"उपलब्धियाँ"

- **FICCI अवॉर्ड -** विवेचना को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए मैदानी स्तर पर कार्य कर रहे विवेचकों हेतु "e-विवेचना App" को प्रारंभ किया गया। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा किए गए इस नवाचार के लिए श्री चंचल शेखर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा दिनांक 02/09/2022 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में "FICCI स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड 2021" प्रदाय किया गया।

- **डिजिटल इंडिया अवॉर्ड 2022** - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित "डिजिटल इंडिया अवॉर्ड 2022" के लिए "डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रासरूट लेवल कैटेगरी" में मध्यप्रदेश पुलिस को "ई-विवेचना एप" के लिए दिनांक 07/01/2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्राप्त हुआ।

- **SKOCH अवॉर्ड -** SKOCH ग्रुप द्वारा आयोजित "SKOCH Award 2022" के लिए "Crime Investigation" Sector में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा तैयार "ई-विवेचना एप" को सराहा गया एवं "ई-गवर्नेंस गोल्ड" अवॉर्ड से पुरस्कृत किया गया। जिसकी घोषणा SKOCH ग्रुप द्वारा दिनांक 20/01/2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित 88th SKOCH Summit में की गई।

- गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अपराध एवं अपराधियों का History Profile खोजे जाने के संबंध में ICJS (Interoperable Criminal Justice System) विकसित किया गया है जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य के किसी भी थाने में पंजीबद्ध अपराध में संलिप्त व्यक्ति का अपराधिक रिकार्ड खोजा जा सकता है ।

1. वर्ष 2022 में NCRB द्वारा आयोजित 4th Good Practices in CCTNS & ICJS में ICJS Implementation & Integration में मध्य प्रदेश को संपूर्ण राष्ट्र में **"द्वितीय स्थान"** प्राप्त हुआ है ।

2. ICJS अंतर्गत आपराधिक रिकार्ड को राष्ट्रीय स्तर पर खोजे जाने की सुविधा है जहां ई-कोर्ट, ई-प्रिजन, ई-प्रोसिक्यूशन, ई-फॉरेसिंक का रिकार्ड देखा जा सकता है । ICJS अंतर्गत अन्य एंजेसी के डाटा को भी समाहित किया गया है जिसमें - NIA, NCB, CIA, WCD, Vehicle, Missing & Unidentified, RPF, ALIS शामिल है ।
3. NCRB द्वारा प्रदेश में एनआईसी वेब व्हीपीएन की सुविधा प्रदान की गई है जिसके माध्यम से ICJS एवं अन्य राष्ट्रीय पोर्टल का उपयोग इंटरनेट पर भी किया जा सकता है ।
4. ICJS की उपयोगिता के प्रचार-प्रसार हेतु Training offline/Online, Video tutorials, इत्यादि तैयार किये गये है । ICJS पोर्टल के कुल 3385 प्रशिक्षण प्रदान किये जा चुके हैं।
5. ICJS पोर्टल की उपयोगिता हेतु प्रदेश के न्यायाधीशों की आईडी विकसित गई है एवं उनका प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा हैं।
6. पुलिस द्वारा प्रकरणों में ली जाने वाली कानूनी राय एवं चालान स्क्रूटनी की प्रक्रिया e-prosecution.gov.in पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध हैं।
7. FSL एवं CCTNS का इंट्रीग्रेशन किया गया है जिसमे FSL अधिकारी व्दारा माननीय न्यायालय को हस्ताक्षरित रिपोर्ट CCTNS में प्राप्त हो रही है।
8. जिला रतलाम, नीमच एवं निवाड़ी को ICJS portal के माध्यम से अपराध के निराकरण में सफलता प्राप्त हुई हैं।

- **सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिटीजन पोर्टल के माध्यम से निम्न सुविधाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही है-**

1. e-FIR दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई हैं।
2. ऑनलाईन चरित्र सत्यापन की सुविधा ।
3. एफआईआर देखने की सुविधा ।
4. ऑनलाईन शिकायत करने की सुविधा।
5. 24 घंटे में गिरफ्तार हुये व्यक्ति को देखने की सुविधा ।
6. गुम दस्तावेज तथा मोबाइल की सूचना पुलिस को देना तथा इलेक्ट्रानिक पावती प्राप्त करने की सुविधा।
7. गुमशुदा व्यक्ति का पंजीकरण तथा अज्ञात शव की जानकारी को सर्च करने की सुविधा दी गई है।
8. लूट/चोरी गये एवं बरामद वाहन की सर्च की सुविधा प्रदान की गई है ।
9. पुलिस हेतु सूचना की सुविधा।
10. किरायेदार/पीजी (Paying Guest) की सूचना।
11. घरेलू/ असंगठित व्यवसायिक सहायक की सूचना।
12. समस्त प्रदेश के कार्यालयो की Phone Directory उपलब्ध हैं।
13. एकल महिला के पंजीकरण की सुविधा।
14. वरिष्ठ नागरिक के पंजीकरण की सुविधा।

• मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नागरिक सेवाओं के अंतर्गत e-FIR दर्ज करने की सुविधा प्रारंभ की गई है। जिसके माध्यम से नागरिक Online ही सम्बंधित थाने को चोरी की घटना के सम्बन्ध में e-FIR के माध्यम से स्वयं ही रिपोर्ट दर्ज कर सकते है। इस सेवा का उपयोग केवल वाहन चोरी एवं साधारण चोरी के मामलों में किया जा सकता है नागरिकों द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस की website अथवा Citizen Portal https://citizen.mppolice.gov.in पर e-FIR दर्ज की जा सकती है। उक्त e-FIR आवेदन पर FIR दर्ज होने के उपरान्त आवेदक को अपनी FIR के विभिन्न चरणों की अद्यतन स्थिति SMS एवं e-Mail के माध्यम से प्राप्त होती है। उक्त योजना 06 अक्टूबर 2021 में प्रारंभ की गई थी आज दिनांक 31.01.2023 तक कुल - 4689 e-FIR प्राप्त हुई हैं।

• सिटीजन पोर्टल में नागरिकों को “Online चरित्र सत्यापन” प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह एक सशुल्क सुविधा है (प्रति थाना ₹100) जो BPL कार्ड धारक हेतु निशुल्क है। पूर्व में उक्त राशि आवेदक को बैंक जाकर चालान द्वारा जमा कर, चालान की प्रति पोर्टल पर अपलोड करना पड़ती थी । अब यह शुल्क बिना बैंक गए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा किया जा सकेगा । आवेदक अपने Credit/Debit Card, Internet Banking, UPI आदि के

माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। BPL कार्ड धारक यह सुविधा अपनी "समग्र आई.डी." नंबर इंद्राज कर निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

"Online Payment Gateway" से नागरिक अब - 24 X 7 Online चरित्र सत्यापन आवेदन करने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे तथा उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही आवेदकों को e-sign युक्त चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेगा।

• मध्यप्रदेश पुलिस के मोबाईल एप MPeCop के Total Install- 211955 एवं Active User - 20752 की संख्या है।

• 52 जिला इकाइयों के वेबपेज बनवाकर, जिला इकाईयों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के पश्चात वेबपेज मैं उनके जिले की जानकारी अद्यतन रखने हेतु, लॉगिन आई डी एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिये गये है।

• पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं में से 18 शाखाओं में ई-ऑफिस कार्यप्रणाली के लॉगिन आई.डी., ऑफिस स्ट्रक्चर एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया जाकर उक्त शाखाओं में ई-ऑफिस में कार्य प्रारम्भ करने हेतु लेख किया जा चुका है। इसके साथ-साथ पुलिस कमिश्नरेट व 25 वीं वाहिनी भोपाल में भी सेटअप संबंधी कार्य पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु लेख किया गया है। शेष 5 शाखाओं का कार्य प्रगति पर है।

अंगुल चिन्ह शाखा

अंगुल चिन्ह शाखा द्वारा घटनास्थल से अपराधी के फिंगर प्रिंट खोजने, दण्डित एवं गिरफ्तार अपराधियों का रिकार्ड संग्रहण, विवादित दस्तावेजों पर अंगुष्ठ चिन्हों की जांच एवं विशेषज्ञ मत तथा घटनास्थल पर प्राप्त चांस प्रिंट का परीक्षण कर अभिमत देना आदि कार्य संपादित किए जाते हैं ।

अंगुल चिन्ह शाखा तथा समस्त जिला इकाईयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर **वर्ष 2022** में किए गए कार्य का आंकड़ेवार विवरण निम्नानुसार है :-

➢ रिकार्ड स्लिप:-

म.प्र. के विभिन्न जिलों में **वर्ष 2022** में जिला अभियोजन कार्यालय से **कुल-36022** रिकॉड स्लिप प्राप्त हुयी, जिन पर कार्यवाही पूर्ण कर NAFIS में इन्द्राज उपरान्त अभिलेख हेतु जिला मुख्यालय तथा अंगुल चिन्ह ब्यूरो भोपाल में रखी गयी है ।

➢ सर्च स्लिप:-

म.प्र. के विभिन्न जिलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की अंगुल चिन्ह की धाराओं के अंतर्गत अंगुल चिन्ह सर्च स्लिप तैयार की जाती है । **वर्ष 2022** में म.प्र. के पुलिस थानों से **कुल - 126379** सर्च स्लिप NAFIS डाटाबेस में इन्द्राज/सर्च हेतु प्राप्त हुई जिनमें से जिला स्तर पर एफिस से परिणाम प्राप्त कर संबंधित इकाइयों को जानकारी भेजी गयी ।

➢ घटनास्थल भ्रमण एवं वस्तु प्रकरण :-

म.प्र. के विभिन्न थानों से **वर्ष 2022** में महत्वपूर्ण घटनास्थलों की सूचना प्राप्त होने पर अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ द्वारा **कुल- 5257** घटनास्थल के निरीक्षण का कार्य किया गया । **कुल - 2182** घटनास्थलों पर **कुल - 6679** चांस प्रिंट प्राप्त हुए ।

म.प्र. के विभिन्न जिलों से **वर्ष 2022** में **कुल- 1671** प्रकरण ब्यूरो में सत्यापन हेतु प्राप्त हुए , जिनमें परीक्षण उपरांत **कुल - 74** प्रकरण **अभिन्न(IDENTICAL)**, **कुल - 28** प्रकरण **भिन्न(UNIDENTICAL)** तथा **कुल - 573** प्रकरण तुलना हेतु अनुपयुक्त(UNFIT) रहे एवं **कुल - 996** प्रकरण नस्तीबद्ध किये गए ।

➢ दस्तावेज प्रकरण :-

वर्ष - 2022 में म.प्र. के विभिन्न जिला इकाइयों से तथा लोकायुक्त,एस.टी.ऍफ़,आर्थिक अपराध शाखा तथा से विवादग्रस्त दस्तावेजों पर लगे अंगुल चिन्ह का परीक्षण एवं विशेषज्ञ मत संबंधी **कुल - 85** प्रकरण शाखा में प्राप्त हुए जिनमें **कुल- 56 प्रकरण अभिन्न(IDENTICAL)**, **कुल - 18 प्रकरण भिन्न(UNIDENTICAL)** तथा **कुल- 11 प्रकरण अनुपयुक्त(UNFIT)** रहे । इस प्रकार विवादित दस्तावेजों के प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध कराने में विवेचनाधिकारियों को सहायता प्रदान की गयी ।

➢ नेफिस (NATIONAL AUTOMATED FINGER PRINT IDENTIFICATION SYSTEM) :-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो(NCRB) नई दिल्ली के निर्देशन में प्रदेश **में कुल-83 NAFIS WORK STATION** का प्रतिष्ठापन किया गया है । इस प्रणाली के माध्यम से आरोपी/अपराधी के अंगुल चिन्हों का मिलान राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध अंगुल चिन्ह डाटाबेस से किया जाकर परिणाम प्राप्त किया जा रहा है । यह प्रणाली अंतर राज्यीय आरोपियों/अपराधियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है । वर्ष 2022 में इस प्रणाली के माध्यम से घटनास्थल से प्राप्त चांस प्रिंट को सर्च करने पर **कुल- 95 प्रकरणों** में आरोपियों की पहचान की गयी है, जिनमें से 11 प्रकरण अंतर्राज्जीय हैं । 13 प्रकरण अज्ञात हत्या (07 प्रकरण अज्ञात मर्ग सहित), 82 प्रकरण संपत्ति संबंधी अपराध के हैं ।

➢ अंगुल चिन्ह का प्रशिक्षण :-

दण्डित अपराधियों की अंगुल चिन्ह स्लिप्स अभियोजन कार्यालय में तैयार की जाती है । गिरफ्तार व्यक्तियों की अंगुल चिन्ह स्लिप थाना स्तर पर तैयार की जाती हैं । इसके

अतिरिक्त विवेचनाधिकारियों द्वारा दस्तावेज एवं वस्तु प्रकरणों में आदर्श अंगुल चिन्ह स्लिप्स तैयार की जाती है । तैयार की गयी अंगुल चिन्ह स्लिप स्पष्ट, साफ़ एवं तुलना योग्य होना आवश्यक है । इस हेतु अंगुल चिन्ह विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिए जाते हैं । **वर्ष 2022** में **कुल- 13430** कोलेटर/कोर्ट मोहर्रिर, विवेचनाधिकारी तथा अन्य पुलिसकर्मियों को थाना स्तर एवं जिला मुख्यालय स्तर पर अंगुल चिन्ह संबंधी प्रशिक्षण दिया गया ।

- **फिंगर प्रिंट लैब:-**

फिंगर प्रिंट ब्यूरो, म.प्र. में फिंगर प्रिंट लैब तैयार कर जिलों के अंगुल चिन्ह विशेषज्ञों को आधुनिक उपकरणों सहित रसायनिक विधियों - साइनोएक्रिलेट फ्यूमिंग चैंबर विधि, आयोडीन फ्यूमिंग विधि, सिल्वर नाइट्रेट विधि तथा निन्हाइड्रिन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

वेबसाईट शाखा

मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट (https://www.mppolice.gov.in) संचालित की जाती है जोकि Drupal - Content Management System पर आधारित है। म.प्र. पुलिस वेबसाइट, भारत सरकार की गाइडलाइन GIGW, W3C पर आधारित है तथा नियमानुसार सिक्यूरिटी ऑडिट करवाया जाता है एवं समय समय पर बैकअप लिया जाता है।

म.प्र. पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से अपराधों के मासिक व वार्षिक आंकड़े Dashboard only for higher officers Portal द्वारा सिंगल क्लिक पर उपलब्ध कराये जाते हैं जिससे थाना/जिले/प्रदेश के अपराध विश्लेषण, केस प्रगति रिपोर्ट आदि की जानकारी से अधिकारियों को अपडेट रखने में सहायता प्राप्त होती है। वेबसाइट पर समय समय पर Circulars तथा आर्डर उपलब्ध कराये जाते हैं जिसके माध्यम से विभाग की विभिन्न शाखाओं में हुए आवश्यक परिवर्तनों की अद्यतन जानकारी दी जाती है।

म.प्र. पुलिस वेबसाइट द्वारा सी.सी.टी.एन.एस. के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की गयी हैं जिनमें अशासकीय सेवा हेतु चरित्र प्रमाणपत्र अनुरोध, खोई संपत्ति पंजीयन, पुलिस हेतु सूचना, शिकायत पंजीकरण, किरायेदार/पीजी सूचना पंजीयन, नागरिक प्रतिक्रिया, घरेलू/असंगठित व्यवसायिक सहायक पंजीयन सम्मिलित हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के थाना क्षेत्र में चोरी / लूटे गए वाहन, गुमशुदा व्यक्ति, जब्त वाहन, अज्ञात शव, गिरफ्तार व्यक्ति आदि की वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

म.प्र. पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित Police News के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न गतिविधियों से अपडेट रखा जाता है।

म.प्र. पुलिस की वेबसाइट पर विभिन्न विषयों जैसे सामुदायिक पुलिस, आवागमन शिक्षा, साइबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा जागरूकता, महिला एवं बच्चे से संबंधित Public Advisory प्रदर्शित की जाती है।

03 महिला सुरक्षा शाखा

मध्यप्रदेश राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार हैः-

(1) **<u>महिला थानाः-</u>** मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.06.2021 जारी कर प्रदेश के 42 जिलों में "महिला पुलिस थाना" की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रदेश में **52** महिला थाने संचालित हैं जिन्हें संबंधित जिलों के लिए "मानव तस्करी रोधी इकाई" घोषित किया गया है।

(2) **<u>ऊर्जा महिला हेल्प डेस्कः-</u>** महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु भारत शासन के सहयोग से प्रदेश के समस्त जिलों के 700 थानों में "ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क" की स्थापना कर दिनांक 31.03.2021 को शुभारंभ किया गया। इसकी सफलता को देखते हुये दिनांक 26.09.22 को और 250 महिला डेस्क का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कुल **950** ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क संचालित हैं।

(3) वर्ष 2022 (जनवरी से नवम्बर-2022 तक) में महिला अपराधों में न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड निम्नानुसार हैं-

(1) मृत्युदण्ड से दण्डित प्रकरण - 03

(2) आजीवन कारावास से दण्डित प्रकरण - 257

(3) 10 वर्ष या उससे अधिक दण्ड से दण्डित प्रकरण - 784

(4) 10 वर्ष से कम व 5 वर्ष से अधिक दण्ड से दण्डित प्रकरण - 57

(5) 05 वर्ष से कम के दण्ड से दण्डित प्रकरण - 22

(4) <u>गुम नाबालिग बालिकाओं की दस्तयाबी</u>:- गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु अपराध अन्वेषण विभाग, पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्ष-2022 में 02 "ऑपरेशन मुस्कान" संचालित किये गये। जिसमें **कुल-3258** बालिकाएँ दस्तयाब की गई।

(5) <u>फीडबैक प्रणालीः-</u> पुलिस मुख्यालय स्तर पर वर्ष-2020 से महिलाओं एवं बालिकाओं के संबंध में घटित 376 भादवि, 363 भादवि एवं 354 भादवि के प्रकरणों में प्रारंभ की गई। फीडबैक में पीड़िता को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन के दौरान आने वाली

समस्याऐं, पुलिस आचरण एवं व्यवहार, पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रावधान, विधिक सेवा प्राधिकारी से निःशुल्क परामर्श प्राप्त करने आदि के संबंध में अवगत कराया जाता है। वर्ष 2022 मे पीडित/फरियादी की पुलिस कार्यवाही से संतुष्टि का प्रतिशत 95.41 है।

(6) <u>लैंगिक अपराधों की समीक्षा:-</u> पुलिस मुख्यालय स्तर पर महिलाओं पर घटित लैंगिक अपराधों लगातार एवं सूक्ष्मस्तरीय समीक्षा की जा रही है। जिसके फलरूवरूप भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा तैयार ITSSO Portal के अनुसार वर्ष 2022 में धारा-376 भादवि, 4/6 पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों का 02 माह की अवधि में निराकरण का Compliance Rate **78.90%** है।

(7) <u>जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन:-</u>

(A) महिला जागरूकता अभियान "असली हीरो"- दिनांक 11-01-2021 से 26-01-21 के मध्य संचालित जागरूकता अभियान "सम्मान" के अंतर्गत अब तक प्रदेश के कुल **23** आम नागरिक को "असली हीरो" के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध को रोकने अथवा किसी प्रकरण में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करने वाले नागरिको को असली हीरो के रूप में सम्मानित किये जाने के उल्लेखनीय कार्य के लिये पुलिस महानिदेशक म.प्र. को दिांक 07-11-2022 को **"मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार"** वर्ष 2021-22 से सम्मानित किया गया।

(B) सोशल मीडिया का उपयोग:- आमजन विशेषकर छात्राओं/बालिकाओं व महिलाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस से जोड़ने हेतु Facebook, Twitter Account, Youtube Channel आदि प्रारंभ किये गये है। यह मध्यप्रदेश पुलिस की युवाओं तक पहुंच हेतु एक तकनीकी पहल है। महिला सुरक्षा शाखा द्वारा तैयार एवं सत्य घटनाओं पर आधारित 04 Short Film (सजग ऑटो वाला, साहसी अम्मा, सच के साथ खडी मा, सुनहरे पंख) Youtube पर अपलोड की गई।

(C) "ऑपरेशन एहसास":- ऑपरेशन एहसास के अन्तर्गत विद्यालयों, ग्रामीण एवं संवेदनशील Hot-spot अन्तर्गत बस्तियों, आंगनवाड़ी एवं पंचायतों में जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाकर छोटे बच्चों को पोस्टर एवं एनीमेटेड मूवी के माध्यम से Good Touch - Bad Touch के संबंध में जागरुक किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत अभियान के प्रारंभ (अप्रैल) से दिसम्बर 2022 के दौरान प्रदेश में लगभग 2032 कार्यक्रम आयोजित किये जाकर बच्चों को जागरूक किया गया है।

(D) आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षण "ऑपरेशन स्वयंसिद्धा" :- माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश में आगामी 02 वर्ष में अपराध नियंत्रण एवं पुलिस आधुनिकीकरण हेतु दिये गये विभिन्न निर्देशों के परिपालन में महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशस्त बनाने के उद्देश्य से "ऑपरेशन स्वयंसिद्धा" प्रारंभ किया गया है। जुलाई से दिसम्बर 2022 के दौरान प्रदेश में लगभग 50617 छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(E) जनजागरूकता अभियान "चेतना" :- मानव दुर्व्यापार की रोकथाम एवं जनजागरूकता हेतु दिनांक 26-09-22 से 04-10-22 तक नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश स्तरीय अभियान "चेतना" आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पम्पलेट/ पोस्टर वितरित किये गये, विभिन्न प्रतियोगितायें आयोजित की गई। मलखम्भ कुश्ती, नुक्कड नाटक, मानव श्रृंखला, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, मानव दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु शपथ दिलायी गई।

(F) **National Gender campaign :-** लैंगिक समानता के आधार पर देश में महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला हिंसा, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण, आर्थिक विकास, कौशल उन्नयन, डिजीटल साक्षरता आदि विषयों पर समस्त जिलों द्वारा दिनांक 25-11-22 से 23-12-22 के मध्य जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(8) मानव दुर्व्यापार- प्रदेश में वर्तमान में 52 "मानव दुर्व्यापार रोधी इकाई" गठित हैं। वर्ष 2022 में प्रदेश में मानव दुर्व्यापार के **64** अपराध घटित हुये हैं।

(9) महिला अपराध के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही- वर्ष 2022 में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में आरोपियों के विरूद्ध अवैध संपति अतिक्रमण, ध्वस्त, जिलाबदर, हिस्ट्रीशीट, धारा-110 द.प्र.सं. के माध्यम से कुल-332 प्रकरणों में वैधानिक कार्यवाही की गई।

(10) **अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के साथ MOU**- नाबालिग बच्चों के अपहरण/व्यपहरण के प्रकरणों की रोकथाम हेतु अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विष्लेषण संस्थान तथा महिला अपराध शाखा के मध्य दिनांक 10.03.2021 को **MOU** किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में गुम नाबालिगों के अपहरण/व्यपहरण के प्रकरणों में समस्या का विश्लेषण, अपराध की रोकथाम के सुझाव तथा बालिकाओं को शोषण से बचाने के संबंध में शोध/अध्ययन किया गया।

(11) **कौशल उन्नयन प्रशिक्षण:-** वर्ष-2022 में पुलिस मुख्यालय द्वारा 09 प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसंधान कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश के 385 अधिकारी,

कर्मचारियों को JJ Act, POCSO Act, अपहृत बालकाओं के प्रकरण, AHTU, Law related women safety एवं जेण्डर सेंसटाईजेशन इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 20 सितम्बर एवं 21 सितम्बर 2022 को पुलिस मुख्यालय, भोपाल मध्यप्रदेश मे प्रदेश एवं जिला स्तरीय मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई के नोडल अधिकारियों की 02 दिवसीय कार्यशाला "चेतना" का आयोजन किया गया एवं जिला स्तर पर दिनांक 26-09-22 से 07 दिवसीय चेतना अभियान संचालित किया किया गया।

(12) **Operation Helping Hand** - धारा-125 CrPC के अन्तर्गत भरण-पोषण हेतु जारी समंस-वारंट की तामीली के संबंध में वर्ष 2022 में 02 **Operation Helping Hand** प्रदेश स्तर पर संचालित किये गये। **Operation Helping Hand-II** में तामीली 59% तथा **Operation Helping Hand-III** में 60% है।

(13) **Online Prelitigation Mediation** - देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहाँ पारिवारिक विवादों के समाधान हेतु दिनांक 10-07-21 से भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में महिला एवं बाल विकास के साथ "SAMA" के माध्यम से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप मे Online Prelitigation Mediation की कार्यवाही आरंभ की गई। दिनांक 02-08-22 को जारी निर्देशानुसार समस्त जिलों द्वारा ऑनलाइन प्लेटफार्म "SAMA" पर निःशुल्क परामर्श की कार्यवाही की जा रही है।

(14) **साक्षी संरक्षण एव परामर्श योजनाः-** महिला अपराधों में दोषसिद्धी बढाने हेतु महिला साक्षी संरक्षण योजना आरंभ की गई है। इस हेतु पत्र दि. 04.08.22 समस्त जिलों को जारी किया गया कि प्रत्येक जिले में एक मॉनीटरिंग सेल जिसके नोडल अधिकारी संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक तथा प्रकरण से संबंधित थाने के अधि/ कर्मचारी एवं अभियोजन अधिवक्ता सदस्य होंगे।

(15) **अपराध पंजीयन एवं विवेचनाः-** वर्ष 2022 (जनवरी से दिसम्बर) में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों का शीर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

S.NO.	***HEAD***	**YEAR 2022**
1	*MURDER (302 IPC)*	488
2	*ATTEMPT TO MURDER (307 IPC)*	237

3	*RAPE WITH MURDER (376,302 IPC)*	25
4	*RAPE (376)*	5217
5	*ATTEMPT TO COMMIT RAPE (376 /511 IPC)*	27
6	*GANG RAPE (376 D IPC)*	271
7	*KIDNAPPING & ABDUCTION (363,364,366 IPC)*	9301
8	*DOWRY DEATHS (304-B IPC)*	515
9	*MOLESTATION (354 A,B,C.D IPC)*	7971
10	*INSULT TO MODESTY OF WOMEN (509 IPC)*	214
11	*CRUELTY BY HUSBAND (498-A IPC)*	8182
12	*IMPORTATION OF GIRLS (366B IPC)*	-
13	*SUICIDE (306 IPC)*	678
14	*FOETICIDE (312-318 IPC)*	94
15	*HUMAN TRAFFICING (370-373 IPC)*	30
16	*CHILD MARRIAGE ACT*	5
17	*ACID ATTACK (326-A)*	4
18	*ATTEMPT TO ACID ATTACK (326-B)*	1
19	*DOWRY PROHIBITION 3/4 ACT 1961*	288
20	*SATI PREVENTION ACT 19879*	-
21	*IMMORAL TRAFFIC ACT*	34
22	*THE MUSLIM WOMEN PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE ACT 2019*	39
TOTAL		**33621**

महिलाओं के विरूद्ध वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 (जनवरी से दिसम्बर) क्रमशः 27000, 32664 एवं 33621 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

04 अजाक

भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 46 में लेख है कि शासन पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं अन्याय व शोषण से रक्षा करेगा। संविधान की मंशा को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कई विविध उपाय प्रदाय किये गये है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य पर घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं त्वरित विवेचना, अपराधों की समीक्षा करने तथा प्रदेश में जाति के आधार पर होने वाले अपराधों को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1973 में पुलिस मुख्यालय में अ.जा.क. शाखा स्थापित की गई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण हेतु की गई व्यवस्था:-

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत वर्ष 1974 में 6(अजाक) पुलिस थाने प्रदेश में स्थापित किये गये थे जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन के पश्चात प्रदेश के 52 जिलों में से 51 अ.जा.क. विशेष पुलिस थाने स्थापित है। अजाक थानों में पंजीबद्ध अपराधों के अनुसंधान हेतु प्रदेश के 51 जिलों में उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. की पदस्थापना की गई है। अजा/जजा के द्वारा उत्पीड़न की रिपोर्ट पर पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये 07 अक्टूबर 2017 को निरीक्षक रेंक के अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्ति प्रदाय की गई है। अजा/अजा के प्रकरणों में पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु 10 पुलिस अधीक्षक अजाक को रेंज में पदस्थ किया गया है साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रकरणों मे विधि संमत अभिमत प्राप्त करने हेतु एक उप संचालक अभियोजन की पदस्थापना अजाक पुलिस मुख्यालय में की गई है तथा प्रत्येक रेंज पुलिस अधीक्षक अजाक कार्यालय में अभियोजन अधिकारी को पदस्थ किया गया है।

प्रशिक्षण:-

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पुलिस अधिकारियों के व्यवहारिक कार्य में प्रभावशाली बदलाव लाने हेतु अजाक शाखा द्वारा मुख्यालय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2022 में जिला जोन एवं मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजन किया जाकर 3406 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

परिलक्षित क्षेत्रः-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 21(2)7 में दिये गये प्रावधानों के ऐसे ग्राम/नगर/मोहल्लो/कस्बों को पंजीबद्ध अपराधों की संख्या के आधार पर चिन्हित किया गया है जिसमें प्रदेश में वर्ष 2021 के आधार पर 16 जिलों के 43 थानों के अन्तर्गत 69 क्षेत्रों की सूची तैयार कर शासन को भेजी गई है।

अपराधः-

अनुसूचित जाति

क्रं.	शीर्ष	2020	2021	2022	20/21%	21/22%
1	हत्या	101	96	83	-4.95	-13.54
2	हत्या का प्रयास	86	85	85	-1.16	0.00
3	बलात्कार	546	611	593	11.90	-2.95
4	आगजनी	16	20	20	25.00	0.00
5	अन्य	6375	6602	7512	3.56	13.78
6	योग	7124	7414	8293	4.07	11.86

अनुसूचित जनजाति

क्रं.	शीर्ष	2020	2021	2022	20/21%	21/22%
1	हत्या	61	52	57	-14.75	9.62
2	हत्या का प्रयास	30	28	40	-6.67	42.86
3	बलात्कार	395	394	403	-0.25	2.28
4	आगजनी	5	7	13	40.00	85.71
5	अन्य	2049	2186	2578	6.69	17.93
6	योग	2540	2667	3091	5.00	15.90

अनुसूचित जाति+जनजाति

कुल योग	9664	10081	11384	4.31	12.93

अनुसूचित जाति:-

प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग पर घटित अपराधों में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में माह जनवरी से दिसम्बर की अवधि में 4.07 प्रतिशत की अपराधों में वृद्धि, इसी प्रकार वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में 11.86 प्रतिशत की अपराधों में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

अनुसूचित जनजाति:-

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग पर घटित अपराधों में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में माह जनवरी से दिसम्बर की अवधि में 5.00 प्रतिशत की अपराधों में वृद्धि, इसी प्रकार वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में 15.90 प्रतिशत की अपराधों में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

दोषसिद्धि बढ़ाने का प्रयास:-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराधों में दोषसिद्धी की दर में वृद्धि हेतु वर्ष 2016 में पीड़ित एवं साक्षी संरक्षण तथा सहायता योजना प्रारंभ की गयी है, जिसमें समस्त पुलिस अधीक्षक को योजना में चयनित प्रकरणों के फरियादी एवं साक्षियों के विधिक संरक्षण और निरंतर संपर्क स्थापित करना, मानीटरिंग टीम के द्वारा फरियादी को भयमुक्त वातावरण मे न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित कराया जाता है। वर्ष 2022 में इस योजना को प्रभावी बनाते हुये इसका विस्तारीकरण किया गया। इस योजना में वर्ष 2022 में चयनित प्रकरणों की संख्या 998 होकर, वर्ष 2021 में 368 की अपेक्षा लगभग ढाई गुना अधिक है। योजना के अन्तर्गत पीडित एवं साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है इसी का परिणाम है कि इस योजना के अन्तर्गत सजायाबी की दर लगभग 73 प्रतिशत है जो कि सामान्य प्रकरणों की तुलना में अधिक है ।

जनचेतना शिविर:-

अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों में जागरूकता लाने तथा विधिक ज्ञान कराने के उदेश्य से वर्ष 2022 में 365 जन चेतना शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 15281 लोग सम्मिलित हुये।

05 अपराध अनुसंधान विभाग एवं तकनीकी शाखा

अपराध अनुसंधान विभाग की स्थापना 24 जुलाई 1963 को हुई है। अपराध अनुसंधान विभाग, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के पेरा 3,11 एवं 16 के अर्न्तगत एवं जीओपी 32/1984 तथा 102/2000 के अनुसार वर्तमान में संचालित है, जो राज्य पुलिस के अधीन गंभीर एवं महत्वपूर्ण

प्रकरणों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विवेचना के लिये गठित विशेष संगठन हैं। विभाग में विवेचना एवं जॉच का कार्य यहॉ पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में उप पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक स्तर के विवेचना अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिलों में घटित गंभीर प्रकृति के सनसनीखेज, महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील अपराधों की जॉच एवं विवेचना करने तथा आवश्यकतानुसार जिला पुलिस इकाइयों को अपराधिक प्रकरणों में विवेचना के संबंध में समुचित मार्गदर्शन/सहयोग देने की जिम्मेदारी इस विभाग की है।

अपराध अनुसंधान विभाग समूचे प्रदेश की आपराधिक स्थिति पर निगरानी रखने, अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावशील कार्यवाही कराने, प्रदेश के प्रत्येक जिले में सजायबी की दर में वृद्धि कराने के उद्देश्य से सतत् संलग्न है ।

1. अपराध अनुसंधान विभाग:-

1.1 प्रस्तावना:-

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, **अ०अ०वि०** के सीधे नियंत्रण में यह शाखा कार्य करती है। वर्तमान में **विशेष पुलिस महानिदेशक अअवि श्री जी०पी० सिंह (**भा०पु०से०) कार्यरत है।

प्राथमिकता के आधार पर जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों को चिन्हित करके अ०अ०वि० मुख्यालय स्तर से पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा उक्त अपराधों की विवेचना की समीक्षा की जाती है। प्रकरण न्यायालय में शीघ्र चालान कराए जाते है, उनकी भी मॉनीटरींग की जाती है, ताकि विवेचना एवं अभियोजन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो जाए, अपराधियों को त्वरित एवं पर्याप्त सजा मिल सके। ऐसे सनसनीखेज प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं अपराधियों के सजायाब होने से आम जनता में शासन एवं पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है।

पुलिस रेगुलेशन के पैरा-16 में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ वर्ष-1957 में प्रकाशित जीओपी के भाग 4-1/टी.पृष्ठ 35 से 37 पर अअवि द्वारा आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान एवं अभियोजन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अनुसंधान के संबंध में राजपत्र आदेश क्रमांक-32/84 दिनांक 15.12.1984 में भी प्रावधान अंतनिर्हित है। इसी प्रकिया मे माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका क्रमांक-2784/05 **संजय सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन** में दिनांक- 07.11.2005 को पारित आदेश में अअवि में अनुसंधान हस्तगत करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में पूर्व में परिपत्र क्र०- 608 दिनांक- 26.06.2010 जारी किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक, जिस प्रकरण का अनुसंधान अअवि से कराना चाहते है, वे तद्नुसार औचित्य पूर्ण कारण प्रकरण में की गई विवेचना एवं उन तथ्यों जिनके कारण अअवि द्वारा अनुसंधान आवश्यक समझा जा रहा हो का उल्लेख अनिवार्यतः कर विस्तृत प्रतिवेदन रेंज पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से उनकी टीप सहित अअवि के क्षेत्रीय शाखा प्रभारी अधिकारी को भेजेंगे।

उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अअवि के क्षेत्रीय शाखा प्रभारी केश डायरी का अध्ययन कर प्रकरण के तथ्यों का उल्लेख एवं उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा करते हुये समनि (अअवि) को प्रतिवेदन देंगे, जो पुलिस महानिरीक्षक अअवि के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अअवि) से आवश्यक आदेश प्राप्त करेंगे एवं पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन उपरांत अनुसंधान हेतु प्रकरण अअवि को हस्तगत किया जावेगा।

1.2 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी:-

अपराध अनुसंधान विभाग में विवेचना एवं जांच का कार्य यहां पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में उप पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक स्तर के विवेचना अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिलों में घटित गंभीर प्रकृति के सनसनीखेज एवं संवेदनषील अपराधों की जांच एवं विवेचना करने तथा आवश्यकतानुसार जिला पुलिस इकाईयों को समुचित मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी इस शाखा की है।

1.3 सामान्य या प्रमुख विशेषतायें:-

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्रदेश में घटित गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों की समीक्षा कर अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी मार्गदर्शन एवं गंभीरतम अपराधों की विवेचना की कार्यवाही की जाती है। साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं क्यू.डी. प्रयोगशाला के माध्यम से विवेचना में फॉरेंसिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

सामान्य प्रशासनिक विषय

(जांच समितियों द्वारा किये गये अध्ययन आदि अंकित किए जाए)

2 <u>भाग - पॉच</u>

अभिनव योजना

(विभाग द्वारा कोई अभिनव योजना शुरू की गई हो अथवा की जाने वाली हो उसको दर्शाया जाए)

2.1 चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध :-

चिन्हित सनसनीखेज एवं जघन्य अपराधों में वर्ष 2022 में कुल 1194 प्रकरणों को चिन्हित श्रेणी में लिया गया है, कुल 1064 प्रकरणों का निराकरण हुआ है, जिसमें से 749 प्रकरणों में दोषसिद्धि हुई है, जिसमें कुल 495 प्रकरणों में 828 अपराधियों को आजीवन कारावास एवं 04 प्रकरणों में 04 आरोपियों को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है, इस प्रकार सजायाबी का प्रतिशत 70**%** रहा है।

कुल चिन्हित प्रकरण -	**1194**
कुल निर्णित प्रकरण -	**1064**
कुल दोषसिद्धि प्रकरण -	**749**

कुल आजीवन कारावास के प्रकरण -	**495**
आजीवन कारावास से दण्डित आरोपियों की संख्या -	**828**
कुल मृत्युदण्ड प्रकरण -	**04**
मृत्युदण्ड से दण्डित आरोपितयों की संख्या -	**04**

विशेष अभियान वर्ष 2022 :-

1- प्रदेश में थानों में जप्त बाहनों के निराकरण हेतु विशेष अभियान (दिनांक 05/01/2022 से 28/02/2022 तक) - दो पहिया वाहन- 5437, चार पहिया वाहन- 1696, अन्य वाहन- 780 इस प्रकार कुल वाहन- 7913 जप्त किये गये।

2- (अ) प्रदेश में आईपीएल सट्टे के विरूद्ध की गई कार्यवाही (दिनांक 15/04/22 से 31/05/2022) कुल 283 प्रकरणों में 522 आरोपियों को गिरफ्तार कर रूपये 4,21,20,870/- जप्त किये गये।

(ब) प्रदेश में जुआ/सट्टा एवं मादक पदार्थ के विरूद्ध की गई कार्यवाही (दिनांक 15/04/22 से 31/05/2022)- कुल 4035 प्रकरणों में 7657 आरोपियों को गिरफ्तार कर रूपये 1,49,52,176/- जप्त किये गये।

3- मादक पदार्थ - कुल 780 प्रकरणों में 912 आरोपियों को गिरफ्तार कर रूपये- 4,00,18,980/- के मादक पदार्थ जप्त किये गये।

माफियाओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही वर्ष -2022

1- अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही - वर्ष 2022 में अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही में कुल-137466 प्रकरणों में 139574 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे देशी शराब 410285 लीटर, विदेशी शराब-272100 लीटर, अवैध कच्ची हाथ भट्टी- 608842 लीटर, स्प्रीट/टिंचर-76406 लीटर एवं कुल-1801 वाहन जप्त किये गये।

2- भू-माफिया/शासकीय भूमि में अवैध कब्जाधारियों पर की गई कार्यवाही - माननीय मुख्यमंत्रीजी की मंशानुसार प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अभियान चलाया गया था, जिसमें निम्नानुसार कार्यवाही की गई :-

- कुल 4767 आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किये गये।
- कुल 6434 एकड शासकीय भूमि मुक्त कराई गई। 53 व्यक्तियों के विरूद्ध एनएसए एवं 113 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई थी।

3- राशन/खाद्यान्न की कालाबाजारी संबंधी अपराध - वर्ष 2022 में मुहिम के तहत 611 अपराध पंजीबद्ध किये जाकर 648 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 18 व्यक्तियों के

विरूद्ध रासुका की कार्यवाही भी की गई। मुहिम के तहत 61.41 करोड रूपये मूल्य के मिलावटी खाद्य पदार्थ जप्त किये गये।

4- अवैध रेत/उत्खनन संबंधी कार्यवाही - मुहिम के तहत 10411 अपराध पंजीबद्ध किये जाकर कुल 10414 चार पहिया वाहन जप्त किये गये। 235674 घनमीटर अवैध रेत जप्त की गई।

5- मिलावट खोरों पर कार्यवाही - वर्ष 2022 में मुहिम के तहत 203 अपराध पंजीबद्ध किये जाकर 241 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 11 व्यक्तियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही भी की गई। मुहिम के तहत रूपये 07.89 करोड मूल्य के मिलावटी खाद्य पदार्थ जप्त किये गये।

6- चिटफण्ड कंपनियों/आरोपियो के विरूद्ध की गई कार्यवाही -

- **232** अपराध पंजीबद्ध कर 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
- कुल 26870 निवेशकों को 58.84 करोड रूपये वापस दिलाये।

2.2 तकनीकी प्रकोष्ठ :-

1. अपराधियों तथा संदिग्धों के मोबाईल कॉल डिटेल रिकार्ड अपराध क्रमांक-40/2006 की विवेचना में 06 मोबाईल सीडीआर/कैफ 04, अप0क्र0 198/20 में सीडीआर 07/कैफ 02, अप0क्र0 90/21 में सीडीआर 02/कैफ 02, अप0क्र0 11/21 में 03, अप0क्र0 73/19 में 33, अप0क्र0 112/21 में सीडीआर 22/कैफ 09, अप0क्र0 01/2004 में 03, अप0क्र0 426/15 में सीडीआर 05, अप0क्र0 154/21 में सीडीआर 13/कैफ 13, अप0क्र0 394/21 में सीडीआर 15/कैफ 15, अप0क्र0 388/17 में सीडीआर 06, अप0क्र0 221/21 में सीडीआर 12/कैफ 12, अप0क्र0 35/22 में सीडीआर 35/कैफ 21, अप0क्र0 444/21 में सीडीआर 06, अप0क्र0 432/20 में सीडीआर 06/कैफ 06, अप0क्र0 61/22 में सीडीआर 01/कैफ 01, अप0क्र0 26/22 में सीडीआर 06/कैफ 06, अप0क्र0 07/14 में सीडीआर 06/कैफ 02, अप0क्र0 03/2007 में सीडीआर 01, अप0क्र0 521/22 में सीडीआर 45/कैफ 45, PSTN-45, IMEI सर्चिंग-10, अप0क्र0 65/2017 में सीडीआर 21/कैफ 21 तथा गोपनीय जॉच में सीडीआर 11/फै 11 के एसडीआर/सीडीआर/कैफ प्राप्त कर तकनीकी रूप से एनॉलिसिस किया जाकर विवेचकों को उपलब्ध कराया गया है। अप0क्र0 65/2017 में संदिग्धों के 02 मोबाईल नम्बरों का अंतारोधन 30 दिवस के लिये किया जा रहा है।
2. अपराधियों तथा संदिग्धों के मोबाईल की अपडेट लोकेशन प्राप्त की जाकर तत्काल विवेचकों को अपराधों की विवेचना/शिकायतों की जॉच में उपलब्ध कराई गई है।

3. सीसीटीएनएस के माध्यम से प्रदेश के जिलों में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम, महिलाओं के विरूद्ध अपराधिक मामले, स्वापक औषधि प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य मामलों में प्रदेश में घटित अपराधों के संबंध में जानकारी तैयार कर विभिन्न शाखाओं को तथा वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा आयोजित मीटिंग के समय उपलब्ध करायी गई।
4. वर्ष 2022 में कुल 883 एफआईआर/एफआईआर स्टेटस रिपोर्ट/चालान/खात्मा/ खारजी की जानकारी आवश्यकतानुसार विवेचकों को तथा विधान सभा प्रष्नों के समय उपलब्ध कराई गई है।
5. ICJS पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के शस्त्र लाईसेंस का सत्यापन, आपराधिक रिकार्ड की खोज कर आपराधिक मामलों में आरोपी की संलिप्तता जानकारी विवेचकों एवं अन्य शाखाओं की दी गई। ICJS पोर्टल से शीर्षवार आपराधिक ऑकड़े आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारीगण को उपलब्ध कराये गये।
6. निर्देशानुसार वर्ष 2022 में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर विभिन्न याचिकाओं/प्रकरणों के संदर्भ में पुलिस के लिये जारी आदेशों/निर्देशों एवं वांछित जानकारी से संबंधित जिलों को तामील कराने हेतु प्रस्तुत किया गया।
7. सी0एम0 हेल्प लाईन द्वारा वर्ष 2022 में कुल 81 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें अअवि से संबंधित शिकायतों का निराकरण विभाग स्तर पर किया गया तथा अन्य विभाग की शिकायतों को अन्य संबंधित विभाग को अग्रेषित किया गया है एवं शिकायतकर्ता को पोर्टल के माध्यम से जानकारी दी गई है।
8. अअवि के 20 अधिकारी/कर्मचारियों का संपदा आवास हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया जाकर डीडीओ सत्यापन कराकर संपदा संचालनालय भेजे गये है।
9. विधानसभा गुजरात राज्य के चुनाव में मध्यप्रदेश के 1600 स्थाई वारंटियों का डाटा तैयार कर शाखा प्रभारी जबलपुर रेंज को उपलब्ध कराया गया।

2.**3** इंटरपोल शाखा अअवि:- दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक शाखा द्वारा किये गये कार्य -

1- असिस्टेंट डायरेक्टर सीबीआई नई दिल्ली से अपराधिक रिकार्ड के संबंध में कुल 05 एवं उपस्थिति के संबंध में **02,** विदेश में वांछित **Sex offinder** के 04, अपराधी की तलाश के संबंध में संबंधित पुलिस अधीक्षकों को पृथक-पृथक पत्र प्रेषित किये गये एवं आपराधिक रिकार्ड के संबंध में जानकारी संबंधित पुलिस अधीक्षक से प्राप्त कर असिस्टेंट डायरेक्टर सीबीआई एनसीबी नई दिल्ली को भेजी गई।

2- डिप्टी डायरेक्टर आई**0**पी**0**सी**0**यू**0,** सी0बी0आई0 नई दिल्ली से प्राप्त 10 **Purple Notice** प्राप्त हुए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधों की कार्यप्रणाली से सतर्क करते हुए साझा की गई है, जिसे संबंधित इकाईयों को प्रेषित किया गया है।

3- पुलिस उपयुक्त भोपाल से **LOC** 03 प्रकरण प्राप्त हुए एवं जोनल कार्यालय उज्जैन म0प्र0 से 01 कुल **LOC** के 04 प्रस्ताव प्राप्त हुए जो असिस्टेन्ट डायरेक्टर इमिग्रेशन नई दिल्ली को भिजवाये गये एंव **LOC** जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश पुलिस अधीक्षकों को भेजे गये।

4- **LR** के कुल 05 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें थाना एरोड्रम इंदौर, थाना लोकायुक्त भोपाल, थाना समान रीवा म0प्र0, महिला थाना इन्दौर एवं थाना विजयराघगढ कटनी के प्रस्ताव प्राप्त हुए जो **LR** जारी कराये जाने के संबंध में अवर सचिव लीगल नई दिल्ली को अवर सचिव म0प्र0 शासन के माध्यम से भेजे गये।

5- अन्य राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, मेघालय के फरार/वांछित आरोपियों की सूची प्राप्त हुई जो समस्त पुलिस अधीक्षक म0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

6- थाना खजूरी सड़क जिला भोपाल में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 293/14 धारा 376 भादवि सहपठित धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय भोपाल द्वारा जारी समंस एवं न्यायालय आष्टा जिला सीहोर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 14/21 अप0क्र0 716/22 धारा 370 भादवि एवं 11/12 पॉक्सो एक्ट में साक्षियों के समंस नेपाल में तामीली हेतु मुताबिक गाईड लाईन अनुसार सचिव (लीगल) आई.एस. **II** डिविजन गृह मंत्रालय नवी विल्डिंग लोक नायक भवन नई दिल्ली को भेजे गये।

7- थाना ओमती जिला जबलपुर म0प्र0 के अपराध क्रमांक 429/21 धारा 146, 184, 294, 225, 332, 353, 506बी, 109 भादवि 3(1) द, 3(2)5 क एससी/एसटी एक्ट, थाना विजयनगर जिला जबलपुर में भी अपराध क्रमांक 364/21 धारा 147,149, 294,260, 506, 120बी भादवि तथा अनुमानताल जिला जबलपुर म0प्र0 के अपराध क्रमांक 27/2022 धारा 308, 365, 386, 294, 340, 506, 120बी, 34 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट में वांछित आरोपी मोहम्मद सरताज का रेड कोर्नर नोटिस जारी करने हेतु असिस्टेन्ट डायरेक्टर सीबीआई एनसीबी नई दिल्ली को भेजा गया। सीबीआई नई दिल्ली द्वारा आरोपी के विरूद्ध रेड कार्नर नोटिस जारी करवाया गया।

8- महिला थाना इन्दौर के अपराध क्रमांक 124/21 धारा 498ए, 323, 34 भादिव 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के वांछित आरोपी रोविन मेहता हाल **Australia** के गिरफ्तारी वारंट में प्रत्यार्पण का प्रस्ताव प्राप्त कर सीबीआई नई दिल्ली को भेजा गया।

सारांश

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में घटित गंभीर अपराधों, हत्या, डकैती, अपहरण इत्यादि अपराधों के प्रगति प्रतिवेदन संबंधित पुलिस महानिरीक्षकों से प्राप्त कर एवं उनकी समीक्षा कर अपराधों पर नियंत्रण हेतु समुचित कार्यवाही की जाती है।

06 **नारकोटिक्स**

मादक पदार्थों के अवैध परिवहन पर रोक एवं मादक पदार्थों के उपयोग से समाज में होने वाले दुष्परिणामों को अवगत कराना। नारकोटिक्स विंग का गठन वर्ष 1996 में स्वतंत्र इकाई में किया गया, जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होकर अवैध मादक पदार्थों के परिवहन पर नियंत्रण करना है इस के लिये एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के स्तर के अधिकारी को विभागीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

वर्ष 2002 से नारकोटिक्स के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जप्त किये जाने वाले मादक पदार्थों के लिये पृथक से एक थाना नारकोटिक्स सेल इन्दौर स्वीकृत किया गया है, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है ।

नारकोटिक्स सेल इंदौर द्वारा एक सहायक इकाई के रूप में नीमच में भी वर्ष 1996 में ''नारकोटिक्स प्रर्वतन प्रकोष्ठ'' की स्थापना की गयी है जहॉ पर पूर्व से एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी का पद स्वीकृत है।

चूॅकि म.प्र. राज्य में जिला मंदसौर, नीमच, रतलाम आदि जिलों में राज्य शासन द्वारा अफीम उत्पादन हेतु कृषकों को पट्टे वितरित किए जाते है, इसलिए इन जिलो में अफीम उत्पादन होता है। उक्त जिलों से अधिकांशः अफीम की तस्करी भी होती है इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए 2013 में राज्य शासन ने मन्दसौर जिले में नारकोटिक्स प्रकोष्ठ की स्थापना की है। जिसमें आरक्षक से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के कर्मचारी/अधिकारियों के पद स्वीकृत किए गए है, तथा जिला नीमच में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद स्वीकृत है, जिनके द्वारा उपरोक्त जिलों में मादक पदार्थो की तस्करी पर नियंत्रण किया जाता है। नीमच जिले में डिप्टी डायरेक्टर सी.बी.एन. व उनका अमला भी कार्यरत् है जो केन्द्र सरकार के अधीन है।

नारकोटिक्स मुख्यालय इन्दौर का नवीन कार्यालय भवन मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा निर्मित किया जा कर नारकोटिक्स विंग को सौप दिया गया है जिसमें वर्तमान में नारकोटिक्स विंग कार्यालय संचालित हो रहा है।

आपूर्ति में कमी

सम्पूर्ण म.प्र. में वृहद पैमाने पर पुलिस की विभिन्न इकाईयों द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त अपराधियों पर शिकंजा कसते हुये एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध अधिक-अधिक से कार्यवाहियां की गई है :-

नारकोटिक्स विंग द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत विगत 03 वर्षो में की गई कार्यवाही की तुलनात्मक जानकारी

अवधि	पंजीबद्ध अपराध	गिरफ्तारआरोपी
वर्ष 2020	81	121
वर्ष 2021	56	75
वर्ष 2022	42	49

सम्पूर्ण म.प्र. में एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत विगत 03 वर्षो में की गई कार्यवाही की तुलनात्मक जानकारी

अवधि	पंजीबद्ध अपराध	गिरफ्तारआरोपी
वर्ष 2020	3066	3982
वर्ष 2021	3959	5074
वर्ष 2022	4740	5673

ड्रग विनष्टीकरण हेतु की गई कार्यवाही

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा क्रिमिनल अपील नं. 652/2012 यूनियन ऑफ इंडिया विरूद्ध मोहनलाल में दिनांक 28.01.16 को पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गठित कमेटी नं. 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंर्तगत जप्त मादक पदार्थो का धारा 52-ए के अंर्तगत शीघ्रता से निराकरण किये जाने के निर्देशों के पालन में विगत तीन वर्षो में सम्पूर्ण म.प्र. में ड्रग विनष्टीकरण बाबत निम्न कार्यवाही की गईः-

अवधि	ड्रग विनष्टीकरण प्रकरणों की संख्या	विनष्टीकरण किये गये मादक पदार्थ की मात्रा (कि.ग्रा. में)	विनष्टीकरण किये गये मादक पदार्थ की मात्रा (नग में)
वर्ष 2020	712	64931.044	279575
वर्ष 2021	1216	58046.163	456441
वर्ष 2022	1015	56871.186	45811 नग एवं 5.2 ली.

मांग में कमी

नारकोटिक्स विग, स्थापना के मुख्य उद्देश्य में मादक पदार्थ आपूर्ति में कमी के लक्ष्य के साथ साथ मादक पदार्थ ‘‘मांग में कमी का लक्ष्य भी रखा गया हैं’ मांग में कमी के दृष्टिकोण से समाज मे व्याप्त विभिन्न प्रकार के नारकोटिक्स मादक पदार्थ की अन्य विषयों के संबंध में समाज के विभिन्न वर्ग छात्र/छात्राओं एवं युवावर्ग मे नशे के दुष्प्रभावों एवं नशे के संबंध मे बरती जाने वाली सावधानियां जनजागरण कार्यक्रम विद्यालय/महाविद्यालयों, पुलिस प्रशिक्षण शालाओं तथा नुक्कड नाटक, रैली, पोस्टर एवं स्लाईड-शो, प्रदर्शनी, पम्पलेट, स्टीकर, वितरण, वाद विवाद/स्लोगन/चित्रकला प्रतियोगिता आदि के माध्यम सें प्रतिवर्ष नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, एवं सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु समस्त पुलिस इकाईयों को कार्यक्रम

आयोजित करने हेतु निर्देशित किया जाता है। प्रतिवर्ष दिनांक 26 जून को अन्तर्राष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस के रूप सम्पूर्ण मध्यप्रदेश विभिन्न शासकीय व अशासकीय विभागों द्वारा जनजाग्रति कार्यक्रम आयोजित किए जाते है साथ ही नारकोटिक्स विंग द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के सहायक उप निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को एनडीपीएस एक्ट का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

नारकोटिक्स विंग द्वारा आयोजित नशामुक्ति कार्यक्रम की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	लाभांवितों की संख्या
2020	27	7010
2021	73	8863
2022	204	51781

इसी प्रकार सम्पूर्ण म.प्र. में छात्र/छात्राओं एवं जनसामान्य को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देने हेतु नशामुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसकी जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	लाभांवितों की संख्या
2020	603	49638
2021	5743	503306
2022	8480	834706

कवच प्रोजेक्ट

1. इस परियोजना का उद्देश्य ड्रग और मादक द्रव्यों के सेवन और नशे के हानिकारक दुष्प्रभाव के बारे में समाज के लक्षित समूहों के बीच जागरूकता पैदा करना है। मुख्य लक्षित समूह स्कूली बच्चे, कॉलेज के छात्र और ड्रग प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। इंटरेक्टिव वेब पोर्टल, एप्स, सोशल मीडिया के माध्यम से गुणवत्ता की सामग्री और उसके प्रसार का निर्माण करके और विशेष रूप से डिजाइन किए गए डिस्प्ले वैन पर प्रदर्शित करके जागरूकता पैदा की जाएगी। उक्त प्रोजेक्ट वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, जो शीघ्र ही अमल में लाया जावेगा। इस संबंध में भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा इस की स्वीकृति दी जा चुकी है, पूर्ण प्रोजेक्ट 2.05 करोड का है, इस हेतु प्रथम वर्ष की धनराशि 70 लाख रुपये नारकोटिक्स विंग को प्रदान की जा चुकी है । म.प्र. पुलिस हाउसिंग के द्वारा उपरोक्त प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।

07 दूरसंचार

(1) **उपलब्धियां- :**

सीसीटीवीः -मान .उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रदेश के समस्त थानो एवं चौकियो में समस्त स्थानो पर थाना चौकियो की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाये जाने हेतु सीसीटीव्ही सर्विलान्स सिस्टम की स्थापना अंतर्गत दिनांक 18/01/2023 तक 52 जिलो के 1159 थानों एवं 486 चौकियों में सीसीटीव्ही कैमेरो की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

डायल-100 -म.प्र .शासन की जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत स्थापित डायल-100/112 को स्वास्थ्य सेवाओं 108, 101 फायर सेवा, 1090 महिला सुरक्षा एवं 139 रेलवे सुरक्षा से इन्टीग्रेशन किया गया। योजना प्रारंभ दिनांक से 31/12/2022 तक लगभग 1.46 करोड जरूरत मंदों को मौके पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई गई, जिसमें 13.91 लाख महिलाओं, 9.03 लाख सडक दुर्घटनाओं, 1062 नवजात शिशुओं, 20820 गुम बच्चों, 1.94 लाख अवसादग्रस्त महिला/पुरूषों तथा 1.45 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वांछित अनुरूप सहायता पहुचाई गई। एफआरवी वाहन द्वारा प्रतिमाह लगभग 30 लाख किलोमीटर गश्त की जा रही है।

डायल-100 की निवृतवान योजना की स्थानापन्न योजना हेतु राशि रूपये 1084 करोड की नवीन स्वीकृति प्राप्त की गई, क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रगति पर है।

डीएमआर/ट्रंकिंग सिस्टमः -प्रदेश की पुलिस संचार व्यवस्था को सुदृढ बनाये जाने हेतु एनालॉग सेटों के स्थान पर डिजिटल सेट) DMR (से प्रतिस्थापना के अंतर्गत प्रदेश के 09 जिलों में डीएमआर सेटो की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इंदौर शहर की पुलिस संचार व्यवस्था को बेहतर किये जाने हेतु नवीन ट्रंकिंग सिस्टम की स्थापना की जा चुकी है, जिसका संचालन सफलता पूर्वक किया जा रहा है।

(2) <u>मध्यप्रदेश पुलिस दूरसंचार के कार्य में किया गया नवाचार</u>

1. व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल (VDP) का क्रियान्वयन ।
2. ROIP(Radio Over Internet Protocol) का क्रियान्वयन - पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान से अपने मोबाईल के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार में वायरलैस सेट पर संदेश दिया जा सकता हैं ।
3. मोबाईल फेस फोरेसिंक एप्लिकेशन का क्रियान्वय।

4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स आधारित Video synopsis Application software को जिला नियंत्रण रूम भोपाल में प्रायोगिक तौर पर प्रदर्शन हेतु दिनांक 24/06/2022 को स्थापित किया गया। इसका उपयोग जिला बल के विवेचकों द्वारा किया जा रहा है।

5. डायल-100 सेवा में पारदर्शिता लाने एवं जबावदेही सुनिश्चित किये जाने हेतु फेज- 2 के समस्त वाहनों में 1200 डैशबोर्ड कैमरा एवं बॉडीवार्न कैमरा स्थापना के प्रावधान किये गये हैं।

6. सभी आपात सेवाओं तथा महिलाओं ,बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशिष्ट फीचर युक्त एकीकृत (APAT) एप का निर्माण दिनांक 04.04.2022 को पूर्ण कर क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।

7. नागरिक सेवाओं के उन्नयन के अंतर्गत डायल- ,SMS में 100 फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से इवेंट दर्ज किये जा रहें है| डायल के 100 फेस- में II जाने किये दर्ज इवेंट भी से माध्यम के ईमेलके प्रावधान रखे गये है।

(3)नवीन कार्य योजना-:

1 Dial 100/112, II Phase के निविदा कार्यवाही पूर्ण कर कार्यादेश जारी करना।

2 सीसीटीव्ही सर्विलांस सिस्टम के सुचारु संचालन हेतु पीएमसी की नियुक्ति करना।

3 जिला भोपाल में नवीन रेडियो ट्रंकिंग सिस्टम की स्थापना करना।

4 Dial 100/ पुलिस की योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ISBT भोपाल एवं एअर पोर्ट पर डिजीटल डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करना।

5 जिला जबलपुर में नवीन रेडियो ट्रंकिंग सिस्टम की स्थापना करना।

6 सीसीटीवी का विस्तारः -

- सेफ सिटी अंतर्गत सीसीटीवी योजना से वंचित जिलों अलीराजपुर, बडवानी, आगर, मालवा, सीधी एवं निवाडी में सीसीटीवी की स्थापना।
- प्रदेश के राजभोगी शहरों इन्दौर एवं भोपाल के पुलिस आयुक्त की मांग अनुसार नए Locations पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना।
- राज्य सीमा के 07 शहरों नीमच, रतलाम, मंदसौर, छिन्दवाडा, बैतूल, बुरहानपुर एवं झाबुआ की 30 Locations पर एएनपीआर कैमरों की स्थापना।

08 विशेष सशस्त्र बल

(1) विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालयः-प्रदेश में विसबल की कुल-22 वाहिनियां स्वीकृत हैं। विसबल की वाहिनियों/एसआईएसएफ/सुरक्षा वाहिनी/जिला बल एवं वि.स.बल की प्रशिक्षण संस्थाओं में विसबल के कुल-29803 पद स्वीकृत है।

<u>राज्य योजनाएँ तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ</u>

विसबल में निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं।

1. योजना क्रमांक 0737 36वी विशेष भारत रक्षित वाहिनी का गठन।
2. योजना क्रमांक-7183 विसबल एवं अन्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का पुनर्गठन

<u>बजट प्रावधान लक्ष्य व्यय (योजना वार)</u>

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 मे आवंटित बजट	व्यय	**<u>शेष</u>**
1	योजना क्रमांक 0737 36वी विशेष भारत रक्षित वाहिनी का गठन।	निल	निल	**<u>निल</u>**
2	योजना क्रमांक-7183 विसबल एवं अन्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का पुनर्गठन	वृहद निर्माण कार्य हेतु 15:00 करोड़	15:00 करोड़	**<u>निल</u>**

नोट- उपरोक्त दर्शित बजट आवंटन व व्यय निर्माण कार्यों से संबंधित है।

<u>(अ) राज्य योजनाएँ -म०प्र० विसबल में भविष्य के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्यवाही की जा रही है :-</u>

- **प्रशिक्षण:-** योजना क्रमांक-7183 विसबल एवं अन्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का पुनर्गठन योजनांतर्गत् आवंटित राशि से विसबल के प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जा रहा है, जिसमें ट्रेनीज हॉस्टल, स्विमिंग पूल, इत्यादी का निर्माण किया जा रहा है।
- विसबल में जवानों एवं अधिकारियों को आधुनिक तकनीक एवं उच्चतम कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है , जिसमें अत्याधुनिक हथियारों के प्रयोग

करने में कुशलता को बढ़ावा शामिल है । नव आरक्षकों को आधुनिक परिवेश में समस्याओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना। इसके अतिरिक्त निम्न है:-

(अ) विसबल के प्रत्येक कर्मचारी को प्रति वर्ष में रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाना ।

(ब) राष्ट्रिय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान में वि.स.बल के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाया जाना।

(स) प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का विश्लेषण (Training Need Analysis) किया जाना।

- **ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना-** देशी श्वानों के ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना 23वीं वाहिनी भोपाल में की जाना प्रस्तावित है।
- **फायरिंग रेंज**- ग्राम बालमपुर जिला भोपाल में नवीन आधुनिक फायरिंग रेंज की स्थापना।
- **मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के उन्नयन एवं नवनिर्माण कार्य-** माननीय मुख्यमंत्री जी म०प्र० शासन द्वारा दिनांक 14/02/2013 को की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में भोपाल में स्थित मोतीलाल पुलिस स्टेडियम का उन्नयन/नव निर्माण हेतु शासन को प्रेषित संशोधित राशि रू० 32.52 करोड़ की डीपीआर पर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करना।
- **एमटीएस दतिया-** म0प्र0 शासन के आदेश क्रमांक/886/967/2020/बी-3/दो दिनांक 07/10/2022 के द्वारा जिला दतिया में मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीटयूट (MDTR) की स्थापना हेतु राशि रु0 32.92 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शासन से बजट प्राप्त कर उक्त संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना:-

वर्ष के दौरान विभाग की उपलब्धियॉ योजनावार तीन वर्ष की तुलनात्मक उपलब्धियों का विवरण। ऐसी उपलब्धियों को विशिष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए । **निरंक**

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें:-

वर्ष के दौरान विभाग की उपलब्धियॉ योजनावार तीन वर्ष की तुलनात्मक उपलब्धियों का विवरण। ऐसी उपलब्धियों को विशिष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए तथा उनका विश्लेषण भौतिक तथा वित्तीय आधार पर किया जाना चाहिए । **निरंक**

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऍ/परियोजनाऍ:-

वर्ष के दौरान विभाग की उपलब्धियॉ योजनावार तीन वर्ष की तुलनात्मक उपलब्धियों का विवरण। ऐसी उपलब्धियों को विशिष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए तथा उनका विश्लेषण भौतिक तथा वित्तीय आधार पर किया जाना चाहिए । **निरंक**

(ई) अन्य योजनायें:-

वर्ष के दौरान विभाग की उपलब्धियॉ योजनावार तीन वर्ष की तुलनात्मक उपलब्धियों का विवरण । ऐसी उपलब्धियों को विशिष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए तथा उनका विश्लेषण भौतिक तथा वित्तीय आधार पर किया जाना चाहिए । **निरंक**

<u>विशेष सशस्त्र बल की उपलब्धियां वर्ष-2022</u>

- **प्रशिक्षण-** विसबल के प्रशिक्षण संस्थानों आएपीटीसी इन्दौर, पीटीएस 6वाहिनी, पीटीएस 8वीं वाहिनी, पीटीएस 13वीं वाहिनी, पीटीएस आर्म्स , पीटीएस बैण्ड भोपाल एवं एमटीएस रीवा में वर्ष भर में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। (जैसे- रिफ्रेशर, पदोन्नति, पीएसओ, यूएसी, डी.आर., डीएण्डएम तथा अन्य प्रशिक्षण संचालित किये गये। इसके अतिरिक्त बीएसएफ के चण्डीगढ़ स्थित प्रशिक्षण संस्थान में वर्ष-2022 में संचालित Performance Enhancement and Injury Prevention प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक कोर्स में 05-05 कर्मचारी (कुल-15 कर्मचारी) को प्रशिक्षण दिलाया गया है।
- **श्वान दल -** माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा ''मन की बात'' कार्यक्रम में रेखाकिंत देशी श्वानों की उपयोगिता एवं महत्ता से प्रेरणा लेकर 23वी वाहिनी विसबल भोपाल में स्थित डॉग ट्रेनिंग स्कूल में 06 उन्नत देशी प्रजाति मुधोल हांउड, रामपुर हांउड, राजपलायम,कन्नी,कॉम्बोई एवं चिप्पी पराई का क्रय किया गया था। पीटीएस श्वान में प्रथमत: वर्ष-2022 में कुल-20 देशी श्वानों को प्रशिक्षण उपरांत वर्ष-2022 में ड्यूटी हेतु जिलों में भेजा गया है। पीटीएस श्वान दल में 23वीं वाहिनी भोपाल में श्वान दल हेतु लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गये है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों बी.एस.एफ. प्रशिक्षण संस्थान (NTCD टेकनपुर) तथा एनएसजी प्रशिक्षण संस्थान मुंबई में भी श्वान दल के श्वान व हैण्डलरों को प्रशिक्षण दिलाया गया है।
- **राज्य स्तरीय कार्यक्रम -** राजधानी स्तर पर आयोजित किये जाने वाले विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रम जैसे- गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद दिवस, बीडिंग रिट्रीट, पुलिस स्थापना दिवस आदि पर विसबल के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक अत्यंत सराहनीय ढंग से किया गया।
- **निर्वाचन डियूटी-** प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर विधानसभा/लोकसभा चुनावों में म.प्र. विसबल के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए डियूटी संपादित की गईं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव वर्ष-2022 में 40 COY गुजरात विधानसभा चुनाव-2022 में -20 COY, राज्य से बाहर भेजीं गईं।
- **नवीन एमटीएस की स्वीकृति-** म0प्र0 शासन के आदेश क्रमांक/886/967/2020/बी-3/दो दिनांक 07/10/2022 के द्वारा जिला दतिया में मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीटयूट की स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
- **खेल पदक-** म0प्र0 विसबल की स्पोर्टर्स शाखा (7वीं वाहिनी विसबल भोपाल) द्वारा म0प्र0 पुलिस के खिलाड़ियों का चयन कर विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भेजा जाता है। वर्ष 2022 में प्रमुख खेल उपलब्धि निम्नानुसार हैं:-

1. पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता-2022 में म0प्र0 पुलिस की 02 महिला एवं 01 पुरुष नव आरक्षक द्वारा रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त किये गये।
2. जालंधर पंजाब में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस व्हालीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता-22 में 17 महिला नवआरक्षकों द्वारा कांस्य पदक प्राप्त किये गये।
3. तिरुअन्नतपुरंम केरल में आयोजित 70वीं अखिल भारतीय पुलिस ऐक्वेटिक प्रतियोगिता 2022 में 01 महिला निरीक्षक, द्वारा कांस्य पदक प्राप्त किया गया।
4. इन्दिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में सी.आई.एस.एफ. द्वारा आयोजित 7वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में म0प्र0 पुलिस के 05 कर्मचारियों द्वारा भाग लेकर रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त किये गये ।

09 पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (पी.टी.आर.आई.)

प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं की लगातार मॉनिटरिंग एवं सड़क दुर्घटना में हो रही मृत्यु दर को कम करने के लिये पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान सतत् प्रयासरत् है, वर्ष 2022 में संस्थान की उपलब्धियां इस प्रकार हैं-:

- **Integrated Road Accident Data Application (iRAD App)**

सड़क दुर्घटना घटित होने के बाद संबंधित थाने के पुलिस अधिकारियों घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत Integrated Road Accident Data Application (iRAD App) में दुर्घटना से संबंधित समस्त जानकारियों की ऑनलाईन प्रविष्टियां की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा यह App देश के सभी राज्यों में प्रारंभ किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य में पीटीआरआई के सतत् प्रयास से पुलिस विभाग की मैदानी इकाइयों द्वारा समयावधि में दुर्घटना से संबंधित समस्त डेटा की100 % प्रविष्टि दर्ज की जाकर देश में प्रथम स्थान पर है।

- **e- Challan System**

यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करने के लिये e-challan प्रक्रिया मध्यप्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ की गई है। इसके तहत मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा SBI, BOI, BOM से MoU कर मशीनें आवंटित की गयी है। पी.टी.आर.आई. एवं जिलों में 1500 मैदानी अधिकारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। तदोपरांत e-challan के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। माह 31 दिसम्बर 2022 तक 7,02,099 चालान बनाए जाकर 25,51,77,415/- राशि संग्रहित की गई है। इस प्रकार e-challan के तहत कार्यवाही की जाकर लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के बारे में सचेत किया जा रहा है।

- **M o U with Technical Institutions**

Road Engineering Defects सड़क दुर्घटनाएं घटित होने का एक मुख्य कारण है। सड़कों के इंजीनियरिंग डिफेक्ट को दूर करने के लिये पीटीआरआई द्वारा वर्ष 2022 में MITS ग्वालियर, SATI विदिशा एवं IIM इंदौर से MoU पर हस्ताक्षरित किया गया है । **Maulana Azad National Institute of Technology (MANIT)** भोपाल द्वारा सड़क निर्माण एजेंसियों एवं पुलिस अधिकारियों को इंजीनियरिंग डिफेक्ट विषय पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार **SATI (Samrat Ashok Technological Institute)** विदिशा द्वारा विदिशा- भोपाल मार्ग पर हो रही घटनाओं का सर्व कर अध्ययन किया जा रहा है। **IIM (Indian Institute of Management) इंदौर** द्वारा अपने विशेषज्ञों के माध्यम से यातायात एवं थानों के पुलिस बल को सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों में सही तरीके से विश्लेषण करने, पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने एवं एक्सीडेंट डेटा का विश्लेषण करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- **Awareness Drives**

आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 से प्रत्येक माह में एक दिवस **''यातायात जागरूकता दिवस''** के रूप में मनाया जा रहा है, इस एक दिवसीय यातायात जागरूकता दिवस में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका से आमजन को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है। वर्ष 2022 में 31 दिसम्बर 2022 तक10 , 468 जागरूकता अभियान आयोजित किये गये हैं।

- **Enforcement**

यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वर्ष 2022 में तक 2022 बरदिसम् 31 कुल 15,33,000 चालानी कार्यवाही की जाकर 58,64,00,000/- राशि समन शुल्क के रूप में वसूल की गई है। इस प्रकार वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में चालानी कार्यवाही में 28% की वृद्धि हुई है।

10 शासकीय रेल पुलिस

विभाग का दायित्व :-

म.प्र. राजकीय रेलवे पुलिस का दायित्व चलती रेलगाड़ियों में घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम करना, रेलवे एवं प्लेटफार्म पर रेलवे यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा करना, घटित होने वाले अपराधों को पंजीबद्ध करना, पंजीबद्ध अपराधों की विवेचना कर अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करना, विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा किये जाने वाले आंदोलन/प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था, वी. वी. आइ. पी. की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था करना आदि है। रात्रिकालीन यात्री गाड़ियों में पैट्रोलिंग करना भी रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है जिससे यात्रियों को सुरक्षा मिल सके एवं

अपराधियों पर अंकुश रखने में मदद मिल सके। ट्रेनों में घटित होने वाले अपराधों पर तत्काल कार्रवाई के लिये क्यू. आइ. आर. टी. (Quick Investigation Response Team) टीमों का भी गठन किया गया है जिसके फलस्वरुप अच्छे परिणाम मिले हैं एवं अपराध नियंत्रण में सफलता प्राप्त हुई है । साथ ही सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान हेतु GRP State Response Monitoring System का गठन किया गया है। यात्रा के दौरान यात्री चलती ट्रेन में आवश्यकता होने पर जी. आर. पी. से सीधे सम्पर्क कर सकता है। जी. आर. पी. स्टेट रेस्पॉन्स मॉनिटरिंग सेन्टर, मध्य प्रदेश राज्य में कहीं पर भी तुरन्त विधि अनुसार सहायता उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से अपराध पंजीयन तथा अपराधियों को पकड़ने में समन्वय स्थापित किया जाता है।

<u>प्रमुख विशेषतायें .</u> शासकीय रेलवे पुलिस के कार्य की प्रमुख विशेषता यह है कि यह ऐसे अपराधों की विवेचना करती है जिनमें घटना स्थल तथा प्रार्थी/आवेदक, संदेही सभी चलित होते हैं। चूंकि अधिकांश घटनायें चलित रेलगाड़ियों में होती हैं इसलिए अपराध के पश्चात घटनास्थल परिवर्तित हो जाता है तथा अधिकांश चीजें चलायमान रहती हैं। यात्रियों के सामान की चोरी की घटनाएं अधिकांशतः रात्रि में सोने के समय घटित होती हैं जिसके कारण प्रार्थी को घटनास्थल का सही ज्ञान नहीं होता है, अत: घटनास्थल का निर्धारण एक कठिन कार्य हो जाता है। सामान्यतः जब प्रार्थी के संज्ञान में अपराध का होना आता है उस जगह के आधार पर संबधित थानों का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाता है। प्रार्थी की सुविधा के लिए ही रेलवे में चलित एफ. आइ. आर. का प्रावधान किया गया है। इसी कारण से अधिकांश एफ. आइ. आर. शून्य पर पंजीबद्ध होती हैं तथा क्षेत्राधिकार के आधार पर संबंधित थाने में स्थानातंरित किया जाकर उन्हें नम्बर सी.सी.टी.एन.एस. के माध्यम से प्रदान किया जाता है। रेलवे क्षेत्र में घटित होने वाले अपराध विशिष्ट किस्म के होते हैं जिसके कारण अपराधों की पतासाजी में काफी परेशानी होती है। फरियादी भी रिपोर्ट करने के बाद विवेचना के दौरान बुलाने पर उपस्थित नहीं होते जिससे भी अपराध की विवेचना प्रभावित होती है। इसीलिए क्यू. आइ. आर. टी. चलती ट्रेन में ही, सूचना प्राप्त होते ही एफ. आइ. आर. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ कर देती है। इस व्यवस्था में चलित घटनास्थल से सभी साक्ष्य एकत्र किए जाकर साक्षियों के कथन भी ट्रेन में ही लिये जाते हैं ।

विगत 03 वर्षों में, 2020 में 1801, वर्ष 2021 में 4278 एवं वर्ष 2022 में 7420 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, जिनमें वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में क्रमशः 941, 1974 एवं 2640 अपराधों में सफलता प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाले रेलवे यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, साथ ही विगत वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष में अपराधों की पतासाजी में भी वृद्धि हुई है। संपत्ति संबंधी अपराधों की बरामदगी में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

<u>उल्लेखनीय सफलता :-</u>

रेलवे पुलिस इकाई भोपाल की जानकारी

1. **चोरी** रेलवे इकाई भोपाल में माह जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक की अवधि में चोरी के 928 प्रकरणों में 2,31,69,452/- रूपये की संपत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।
2. **लूट** रेलवे इकाई भोपाल में माह जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक की अवधि में लूट के 72 प्रकरणों में 26,49,257 /- रूपये की संपत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।

3. डकैती रेलवे इकाई भोपाल में माह जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक की अवधि में डकैती के 01 प्रकरण में 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1400 रूपये की संपत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई तथा 1 फरार आरोपी की तलाश जारी है।

4. जहरखुरानी रेलवे इकाई भोपाल में माह जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक की अवधि में जहरखुरानी के 02 प्रकरणों में 20,000/-रूपये की संपत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।

5. एन. डी. पी. एस. एक्ट रेलवे इकाई भोपाल में माह जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक की अवधि में एन. डी. पी. एस. एक्ट के 06 प्रकरण पंजीबद्ध हुये 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मादक पदार्थ कीमती 29,22,500/- रूपये को जप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है।

6. हत्या का प्रयास रेलवे इकाई भोपाल में माह जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक की अवधि में हत्या के प्रयास के 01 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान 2 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

7. बलात्कार रेलवे पुलिस इकाई भोपाल में माह जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक की अवधि में बलात्कार के 04 प्रकरणों में 05 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

8. अपहरण रेलवे पुलिस इकाई भोपाल में माह जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक की अवधि में अपहरण के 02 प्रकरणों में 02 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

9. छेडछाड़ रेलवे पुलिस इकाई भोपाल में माह जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक की अवधि में छेडछाड़ के 19 प्रकरणों में 31 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

अन्य उपलब्धियाँ

महिला यात्रियों से संवाद . महिला यात्रियों की सुरक्षित व सुगम यात्रा के लिये प्रत्येक ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट प्राप्त कर अकेली यात्रा कर रही महिलाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षित यात्रा संबंधी जानकारियां बताई गई। वर्ष 2022 में रेलवे इकाई भोपाल में 27065 महिला यात्रियों से संवाद किया गया है ।

रेलवे पुलिस इकाई इंदौर की जानकारी

1. चोरी - रेलवे इकाई इंदौर में माह जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक की अवधि में चोरी के 1221 प्रकरण पंजीबद्ध हुये जिनमें से 567 प्रकरणों में 614 आरोपियों को गिरफ्तार कर मशरूका 1,24,56,188/- रूपये की संपत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।

2. लूट- रेलवे इकाई इंदौर में माह जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक की अवधि में लूट के 10 प्रकरण पंजीबद्ध हुये जिनमें से 6 प्रकरणों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर मशरूका 6,65,090/- रूपये की संपत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।

3. डकैती- निरंक।

4. डकैती की तैयारी - निरंक।

5. गृहभेदन- रेलवे इकाई इंदौर में माह जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक की अवधि में गृहभेदन के 7 प्रकरण पंजीबद्ध हुये जिनमें से 3 प्रकरणों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

रेलवे पुलिस इकाई जबलपुर की जानकारी

1. **चोरी -** इकाई अंतर्गत चोरी के 2356 प्रकरण पंजीबद्ध हुये जिनमें से 713 प्रकरणों में 809 आरोपियों से 1,03,08,531/- रूपये की संपत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।
2. **लूट -** इकाई अंतर्गत लूट के 22 प्रकरणों में 20 आरोपियों से 6,82,800/- रूपये की संपत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।
3. **डकैती की तैयारी** - इकाई अंतर्गत डकैती की तैयारी के 01 प्रकरण मे 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
4. **जहरखुरानी** -इकाई अंतर्गत जहरखुरानी के 02 प्रकरणों में 01 आरोपी से 45,000/- रूपये की संपत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।
5. **गृहभेदन** -इकाई अंतर्गत गृहभेदन के 01 प्रकरण मे 02 आरोपियों से 17,000/- रूपये की संपत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।
6. **एन.डी.पी.एस. एक्ट -** इकाई अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ गांजा के कुल 14 प्रकरण पंजीबद्ध हुये हैं जिनमें 10 प्रकरणों में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 14 प्रकरणों में मादक पदार्थ गांजा 828.36 किलोग्राम, कीमती 82,63,160/- रू. को जप्त करने में सफलता प्राप्त हुई।
7. **हत्या का प्रयास -** इकाई अंतर्गत हत्या के प्रयास के 03 प्रकरण पंजीबद्ध जिनमें से 02 प्रकरणों में 02 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
8. **हत्या** -इकाई अंतर्गत हत्या के 02 प्रकरण पंजीबद्ध हुये है जिनमें 02 आरोपियों को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुई है।
9. **बलात्कार -** इकाई अंतर्गत बलात्कार के 06 पंजीबद्ध प्रकरणों में से 05 प्रकरणों में 05 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
10. **अपहरण**-इकाई अंतर्गत अपहरण के 02 प्रकरणों में 02 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
11. **छेड़छाड़** -इकाई अंतर्गत महिलाओं से छेड़छाड़ के 09 प्रकरणों में 08 आरोपियों को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुई है।
12. **अंतर्राज्यीय मानव दुर्व्यापार** - इकाई अंतर्गत मानव दुर्व्यापार के 01 प्रकरण में 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13 नाबालिग बच्चों को बरामद करने में सफलता प्राप्त की हुई।
13. **हवाला धारा 102 जा.फौ. -** इकाई अंतर्गत धारा 102 जा.फौ. के अंतर्गत 02 प्रकरणों मे 04 व्यक्तियों के कब्जे से 92,20,485/- रूपये की संपत्ति बरामद कर विधिवत कार्रवाई की गई।
14. **नकली नोटों का संचालन -** इकाई अंतर्गत नकली नोटों के संचालन के 01 प्रकरण में 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 200 रूपये के 128 नग कुल 25,600/- रूपये के नकली नोट जप्त करने मे सफलता प्राप्त हुई है।

11 आर.ए.पी.टी.सी.

पुलिस बल में हुए विस्तार एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सशस्त्र पुलिस के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1980 में इस संस्था की स्थापना की गई । वर्ष 1988 में प्रशिक्षण संस्था को महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। वर्ष 2003 में इस संस्था को रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविघालय का नाम दिया गया। संस्था प्रमुख के पद पर डॉ. वरूण कपूर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है तथा श्री ओ.पी. त्रिपाठी, उमनि/सेनानी द्वारा इस संस्था में दिनांक 10.06.2022 को पदभार ग्रहण किया है ।

प्रशिक्षण

पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुमोदित कोर्स केलेण्डर अनुसार एवं समय-समय पर पु0मु0 द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित किये गये । वर्ष 2022 में (दिनांक 1.1.22 से 31.12.22 तक) 30 इन सर्विस कोर्स का संचालन किया गया जिसमें 1282 अधिकारी/कर्मचारियों ने भाग लिया ।

(अ) बुनियादी प्रशिक्षण - निल

(ब) विभागीय प्रशिक्षण-संस्था में 2022 में 30 विभागीय कोर्स संपादित किये जाकर 1279 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया । कोर्स विवरण चार्ट संलग्न परिशिष्ट-"अ" पर प्रेषित है ।

(स) एम.टी.डी. प्रशिक्षण:- संस्था में अश्वारोही दल के अन्तर्गत 14 नये अश्व क्रय किये गये हैं जिनका छः माह का रिमाउण्ट ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिनांक 11.04.22 से 09.10.22 तक संचालित किया गया ।

(द) संस्था में संचालित होने वाले समस्त प्रशिक्षण की प्रेसियों को अद्यतन कराया गया ।

(इ) संस्था में लायब्रेरी भवन है जिसमें प्रशिक्षणार्थियों एवं संस्था के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यालय कार्य से संबंधि व ज्ञानवर्धक पुस्तके उपलब्ध करायी गई है ।

कल्याणकारी गतिविधियां -

1. माह सितंबर 2018 से संस्था के नवनिर्मित हॉस्पिटल में मानदेय के आधार पर चिकित्सकों की सेवाएं ली जाकर प्रशिक्षणार्थी, संस्था में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों एवं परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सकों के साथ ही फिजियो थेरापिस्ट एवं उससे संबंधित उपकरणों की व्यवस्था भी की गई है ।
2. संस्था प्रमुख द्वारा अपने अतिरिक्त समय में संपूर्ण भारत वर्ष में सायबर सुरक्षा, जागरूकता हेतु सेमीनार/वेबिनार आयोजित किये गये । वर्ष 2022 में इन सेमीनार/वेबिनारों की संख्या 52 रही है । इस प्रकार सायबर क्राईम को नियंत्रित करने के लिए सबसे सशक्त उपाय नागरिकों की जागरूकता ही है और इस क्षेत्र में निर्धारित

कार्य न होने के बावजूद संस्था प्रमुख द्वारा विभिन्न संस्थाओं में सेमीनार/वेबिनार के माध्यम से सायबर क्राईम, जागरूकता का संदेश पहुंचाया गया जो कि एक अद्भूत उपलब्धि एवं योगदान है । बच्चों को सायबर के प्रति जागरूक एवं अच्छे नेटिजन बनाये जाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट सायकॉप की अवधारणा अगस्त 2021 में प्रारंभ की गई थी जिसके माध्यम से स्कूलों के शिक्षकों को संस्था में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया । अब तक प्रोजेक्ट सायकॉप की 10 कार्यशालायें आयोजित की जा चुकी है । वर्ष 2022 में पॉच कार्यशालायें आयोजित की गई । इन कार्यशालाओं में 120 स्कूलों के 380 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया । इस अभिनव योजना के लिये **FICCI** द्वारा **"ICCI Smart Policing Award"** से दिनांक 02.09.2022 को डॉ. वरूण कपूर-अति. पुलिस महानिदेशक को सम्मानित किया गया ।

3. एड्स दिवस पर एड्स के प्रति जागरूकता हेतु संस्था में सेमीनार आयोजित किया गया जिसमें संस्था के प्रशिक्षणार्थी एवं संस्था के अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हुये। इस सेमीनार हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक टीम भेजकर एड्स से बचाव के बारे में जानकारी दी गई ।
4. वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके परिजनों को बचाव के लिये जागरूक किया जा रहा है ।
5. नगर निगम इंदौर के सहयोग से संस्था परिसर में तीन उद्यानों का निर्माण स्वीकृत कराया गया जिसमें से एक उद्यान का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है ।
6. पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिये संस्था परिसर एवं दतुनी पहाड़ी पर 500 पौधों लगाये गये हैं।

<u>भाग -2 बजट प्रावधान लक्ष्य एवं व्यय</u>

वर्ष 2022-23 में रूपये 2,50,93,413/- बजट प्राप्त हुआ, जिसमें से रूपये 2,19,42,328/-खर्च हुआ । प्राप्त बजट का 87.04 प्रतिशत उपयोग किया गया हैं । वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन का पूर्ण उपयोग कर लिया जावेगा ।

<u>सारांश</u>

उपसंहार

इस संस्था में विसबल एवं जिला बल के अधिकारियों एवं जवानों हेतु मैप-रीडिंग, जंगल वारफेअर, फील्ड क्राफ्ट के साथ-साथ आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण, योग्य प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता हैं। संस्था के प्रशिक्षक देश में ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित हैं। विषयों की सुगम एवं उत्साहवर्धक जानकारी देने हेतु नवीन माध्यमों (उपकरणों) का प्रयोग किया जाता हैं। वर्तमान परिवेश में उभर रही चुनौतियों से निपटने के लिए संस्था के अधिकारी/कर्मचारियों को अरबन टेक्टिक्स कोर्स कराया गया तथा संस्था में संचालित उप

निरीक्षक/उप निरीक्षक, विसबल के बुनियादी प्रशिक्षण में भी इस प्रशिक्षण का समावेश किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा वर्तमान चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण को लगातार उन्नत करते हुए प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना और अधिक दृढ़ता एवं सक्षमता से कर सकेंगे।

12 विशेष शाखा एवं नक्सल सेल

<u>विशेष शाखा का दायित्व एवं सामान्य जानकारी</u>

- विशेष शाखा द्वारा कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की स्थिति पर सतत् निगाह रखी जाती है । आसूचना संकलन, आसूचना विश्लेषण, महत्वपूर्ण व्यक्तियों/संस्थानों की सुरक्षा एवं विदेशी नागरिकों से संबंधित एवं चरित्र सत्यापन संबंधी कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की समस्त प्रकार की सूचनाओं का संकलन कर, शासन एवं संबंधित ईकाई प्रमुखों को आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाता है।

- विशेष शाखा मुख्यालय में कुल 25 अनुभाग कार्यरत है। इन अनुभागों के अतिरिक्त आर्थिक आसूचना सेल, एमटी सेल, तकनीकी सेल, आईओ अनुभाग, विशेष शाखा प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है। विगत वर्षो में विशिष्ट इकाई एटीएस, सीएम सुरक्षा, हॉक फोर्स, एसआईबी, सीआईजेडब्लू एवं सुरक्षा वाहिनी का गठन किया गया है, जो वर्तमान में विशेष शाखा के अधीन कार्यरत है।

- इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय परिसर में राज्य स्थिति कक्ष स्थित है, जो 24 घंटे कार्यरत रहकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निगरानी रखने के साथ ही आसूचना संकलन एवं महत्वपूर्ण घटनाओं का आदान-प्रदान करता है।

<u>विशेष शाखा के आधुनिकीकरण हेतु किये गये प्रयास</u>

- शाखा को वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न योजना (आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2018-19, वर्ष 2021-22, मान, उच्च न्यायालय सुरक्षा, होमलैण्ड सुरक्षा योजना, गैर आयोजन मद) अंतर्गत प्राप्त बजट आवंटन राशि रूपये 20.00 करोड़ का उपयोग अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण जैसे X-Ray Baggage Scanner, RTVS, Bomb Basket Trolley, Fiber Optical Scope, CROT, Hook & Line Set, RSP Tool Kit, Data Work Station, SAN Switch, etc के क्रय हेतु किया गया।

<u>एटीएस की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ</u>

- मार्च 2022 में सूचना प्राप्त हुई कि, प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के 04 आतंकवादी भोपाल के ऐशबाग इलाके में छिपे हुए हैं तथा भोपाल और उसके आसपास बडी आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 04 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर जेएमबी मॉड्यूल का सफलापूर्वक भंडाफोड़ किया गया। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में आए गोपनीय तथ्यों एवं साक्ष्यों को अन्य सुरक्षा एजेन्सियों से साझा करने पर असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि में इसी तरह के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जेएमबी आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

- मार्च 2022 में निम्बाहेडा, राजस्थान की पुलिस द्वारा रतलाम अलसूफा संगठन के 03 सक्रिय सदस्यों को भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था। उक्त सूचना पर एटीएस म0प्र0 द्वारा रतलाम में अलसूफा संगठन के 03 सदस्यों को हिरासत में लेकर राजस्थान पुलिस को सुपुर्द किया गया। रतलाम से हिरासत में लिये गये अलसुफा सदस्यों ने बम बनाने का स्थान एवं तरीके का खुलासा किया गया तथा इनके द्वारा भविष्य में कोई बडी आतंकी घटना को अंजाम दिए जाने की योजना थी।

- सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इण्डिया (PFI) मध्यप्रदेश के पदाधिकारी एवं सदस्यों को विधि विरूद्ध क्रियाकलाप में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद भारत सरकार द्वारा भी उक्त संगठन को 05 वर्षो के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया है। इस संगठन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़कर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाना तथा देश में भारतीय संविधान के स्थान पर शरिया लागू करके भारत की एकता, अखण्डता एवं संप्रभुता को नुकसान पहुॅचाना था। प्रकरण में एटीएस, म0प्र0 द्वारा अभी तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है।

- सितंबर 2022 में एटीएस, म0प्र0 द्वारा तरनतान, पंजाब निवासी आरोपी सतनाम सिंह उर्फ हनी को पकडकर पूछताछ की गई थी। पूछताछ में सतनाम सिंह द्वारा कबूल किया कि वह कनाडा स्थित आतंकवादी लखविंदर सिंह लिंडा तथा प्रतिबंधित संगठन "बब्बर खालसा" से सम्पर्क में था तथा अमृतसर, पंजाब के अपराध में वॉछित होने से पूछताछ उपरांत आरोपी को पंजाब पुलिस को सुपुर्द किया गया।

<u>नक्सल समस्या से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ</u>

- वर्ष 2022 में प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से छुपाकर रखे गये 03 डम्प जप्त कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री तथा नक्सल साहित्य बरामद किये गये। इसी अवधि में पुलिस- नक्सल मुठभेड़ में

06 ईनामी नक्सली नागेश उर्फ राजू तुलावी, मनोज डोड्डी, गणेश उर्फ उमेश पुसु, राजेश, रूपेश एवं महिला नक्सली रामे धराशायी हुए हैं।

कानून-व्यवस्था

- वर्तमान में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अत्यंत सुदृढ है, वर्ष 2022 में आयोजित सभी धार्मिक त्यौहारों एवं आयोजनों के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं सदभाव का वातावरण कायम रहा है। समस्त त्यौहारों/महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु समस्त पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किये गये। पुलिस की तत्परता, सतर्कता एवं विधिसम्मत् कार्यवाही से प्रदेश में साम्प्रदायिक स्वरूप की एवं कानून-व्यवस्था संबंधी कोई बड़ी एवं गंभीर घटना घटित नहीं हुई।

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022

- मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिनांक 25.06.2022, दिनांक 01.07.2022, दिनांक 08.07.2022 को तीन चरणों में एवं नगरीय निकाय चुनाव दिनांक 06.07.2022, दिनांक 13.07.2022 को दो चरणों में संपन्न हुए। उक्त चुनाव में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई, पुलिस की मेहनत एवं अथक प्रयासों के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण संपन्न हुए।

साम्प्रदायिक

- प्रदेश में वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण त्यौहारें के दौरान आवश्यकतानुसार संबंधित जिलों को अलर्ट/एडवाइजरी जारी की गई एवं इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक एवं अन्य संगठनों द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर किए गए आंदोलन के दौरान आवश्यकतानुसार बल लगाकर कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखा गया।

व्हीव्हीआईपी सुरक्षा

- उक्त अवधि में समय-समय पर राज्य सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित करायी जाकर प्रदेश के विशिष्ट व्यक्तियों/अन्य व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई।
- उक्त अवधि में प्रदेश आगमन के दौरान अति विशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों को मानकों के आधार पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई।

- नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित परेड कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों का चरित्र सत्यापन समय-सीमा में कराया गया।
- दौरान विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में पदस्थ एसपीजी/एनएसजी के सुरक्षाकर्मियों का अवकाश अवधि का पुर्नचरित्र सत्यापन समय-सीमा में कराया गया।
- आदेश दिनांक 17.08.2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भ्रमण दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु आबंटित वाहनों के वाहन चालकों का माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा वाहन चालक पूल का गठन किया जाकर उसमें 51 चालकों को डियूटी हेतु लगाया गया है।
- दिनांक- 27.01.2022 को माननीय राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश की निजी सुरक्षा व्यवस्था हेतु 16 अतिरिक्त अधि0/कर्मचारियों के पद की स्वीकृति का प्रस्ताव योजना शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल को प्रेषित किया गया है।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 48 आरक्षक/प्रधान आरक्षक एसटीएफ इकाई से सुरक्षा हेतु तैनात किए गए हैं।
- दिनांक-13.01.22 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर के माननीय न्यायधीशों की निजी सुरक्षा हेतु अंगरक्षक पूल का गठन किया गया है। नवगठित अंगरक्षक पूल में अंगरक्षकों की नियमित पदस्थापना की जा रही है।
- वर्ष 2022 में 08 व्हीव्हीआईपी का प्रदेश में भ्रमण के दौरान समुचित सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई।

<u>आंतरिक सुरक्षा</u>

- आंतरिक सुरक्षा अंतर्गत प्रदेश के विमानतल, विधानसभा, मंत्रालय,न्यायालय परिसर, पुलिस मुख्यालय,बैंक, जेल, रेल, आयुध कनवाय, ओद्यौगिक, परीक्षा केन्द्रों की सुरक्षा, गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस/स्मृति दिवस आदि पर सुरक्षा-व्यवस्था हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण/बल प्रदाय करने की कार्यवाही समय सीमा में संपादित की गई, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।
- प्रदेश में 24 Prominent Religious/iconic places and Historical monuments का आईबी के साथ संयुक्त रूप से ज्वाइंट सिक्युरिटी रिव्यू की कार्यवाही संपादित कराई गई।

- प्रदेश के 115 महत्वपूर्ण/संवेदनशील स्थानों (Vital installations) के सुरक्षा ऑडिट हेतु कैलेण्डर तैयार किया गया, जिसमें 87 Vital installatios का सुरक्षा ऑडिट कराया गया।
- व्हीव्हीआईपी/व्हीआईपी भ्रमण के दौरान आवश्यक सुरक्षा संसाधन (बीडीडीएस टीमें/ कमाण्ड कंट्रोल/ व्हीकल माउंटेड बैगेज स्केनर/ एचएचएमडी/ डीएफएमडी आदि) की मांग अनुसार संबंधित इकाई/जिले को समय-सीमा में उपलब्धता कराई गई।
- प्रदेश के माननीय जिला एवं सत्र न्यायालयों तथा तहसील न्यायालयों की सुरक्षा हेतु 3,74,54,05,027 रूपये की विस्तृत कार्य योजना (DPR) तैयार कर दिनांक-05.08.2022 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को प्रेषित की गई।

<u>विदेशी गतिविधियां</u>

- **<u>उपलिब्धयां</u>:-** म0प्र0 में आने वाले ऐसे विदेशी नागरिक जो वीसा अवधि समाप्त होने के पश्चात ओव्हरस्टे थे,के संबंध में समस्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। इस आशय से संबंधित अभियान की शुरूआत में दिनॉक 20/01/2022 की स्थिति में कुल 1571 विदेशी नागरिक ओव्हरस्टे थे, जो कि अदिनांक 28/12/2022 की स्थिति में कुल 41 शेष है।
- अवैध रूप से रह रहे बांग्लोदशी नागरिकों की पहचान कर उनके उदवासन हेतु समस्त 52 जिलों में एसटीएफ का गठन किया गया है।
- भारत सरकार, गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आदेशानुसार आईव्हीएफआरटी के अन्तर्गत विदेशी नागरिकों के संबंध में विदेशी नागरिकों के पंजीयन, एस-फार्म, वीसा, क्यिरेन्स, आदि सभी कार्यो को चरणाबद्ध रूप से ऑनलाईन किये जाने हेतु वर्ष 2022 में 27 जिलों में वीपीएन टोकन का नवीनीकरण किया गया।
- **<u>नवाचारों एवं नवीन कार्य योजनाओं का समावेश</u>:-** भारत शासन के द्वारा आईव्हीएफआरटी मॉडयूल की क्षमताओं को बढाने के लिए और विदेशी नागरिकों के अराईवल/डिपार्चर, की इमिग्रेशन डाटा, वीसा डिटेल्स, होटल के फार्म-सी, स्टूडेन्ट फार्म, संबंधित जिले के ओव्हरस्टे विदेशियों के डेटा को एक्सेस करने हेतु डीपीएम जिला पुलिस मोडयूल नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया जा रहा है, जिससे कोई अनाधिकृत पहुॅच न हो साथ ही ऐसे विदेशियों का पता लगाने के लिए जो अपनी

पहचान प्रकट नही करते है, बायोमेटिक्स केप्चरिंग/पहचान करने वाले उपकरण इंस्टाल किये जाऐगे जिनकों आईव्हीएफआरटी केन्द्रीय डेटाबेस के साथ ऑनलाईन मिलान किया जा सके।

13 सायबर सेल

01. सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा प्रदेश में पुलिस इकाईयों के लिए मध्यप्रदेश के 13 जोनल/ रेंज (इंदौर/ होशंगाबाद/ चंबल/ ग्वालियर/ बालाघाट/ खरगौन/ उज्जैन/ रतलाम/ सागर/ छिन्दवाडा/रीवा/शहडोल/जबलपुर) स्तर पर सायबर फॉरेंसिक यूनिट की स्थापना की गई। जिसके द्वारा मैदानी स्तर पर सायबर फॉरेंसिक यूनिट द्वारा जिला पुलिस इकाईयों को फॉरेंसिक एवं इन्वेस्टीगेशन में तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

02. राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के अन्तर्गत संचालित सायबर फॉरेंसिक लैब भोपाल में मध्यप्रदेश की पुलिस इकाईयों से अपराधों में जप्त विभिन्न डिजीटल डिवाईस के फॉरेंसिक परीक्षण के लिए कुल 100 कम्प्यूटर/सीसीटीव्ही, 578 मोबाईल उपकरणों से महत्वपूर्ण डाटा को रिकवर कर जिलों एवं न्यायालय को फॉरेंसिक रिपोर्ट मय डिजीटल साक्ष्य प्रदाय किया गया।

03. राज्य सायबर फॉरेंसिक लैब में एडवांस मोबाईल डिवाईस अनलॉक एण्ड फॉरेंसिक सेल की स्थापना की गई है, जिससे मर्ग एवं विभिन्न सायबर अपराध जिनमें मोबाईल डिवाईस पासवर्ड लॉक थे, जो विभिन्न जिला इकाईयों द्वारा प्रेषित किये गये थे, ऐसे 80 से अधिक मोबाईल डिवाईस को सफलतापूर्वक वैधानिक रूप से अनलॉक कर डाटा रिकवर किया गया।

04. राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के अन्तर्गत संचालित प्रशिक्षण शाखा भोपाल द्वारा वर्ष 2022 में पुलिस अधिकारियों, लोकअभियोजन अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों को सायबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिसकी संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है।

S.No.	Year	No.of Program	No.of Trainee	Program
01	2022	89	11291	Training for police

05. राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के अन्तर्गत संचालित प्रशिक्षण शाखा भोपाल द्वारा वर्ष 2022 में समय-समय पर सायबर सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिसकी संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है।

S.No.	Year	No.of Program	No.of Trainee	Program
01	2022	1347	349574	Awareness for Public

06. सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पुलिस दूरसंचार पुलिस मुख्यालय भोपाल से समन्वय कर सायबर हेल्पलाईन 1930 व डायल 100 का इंटीग्रेशन का कार्य पूर्ण किया जाकर वर्तमान में कार्य संपादित किया जा रहा है।

07. राज्य सायबर पुलिस मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस के तत्वाधान में यूनीसेफ के सहयोग से दिनांक 12 से 22 सितंबर 2022 तक सायबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट (CIIS-2022) हाइब्रिड मोड (ऑफलाइन- दिनांक 12 से 14 सितंबर 2022 एवं ऑनलाइन- दिनांक 12 से 22 सितंबर 2022) में सफलतापूर्वक आयोजित कराया गया। उक्त समिट में दिनांक 12 से 14 तक ऑफलाइन मोड में संपूर्ण भारत से केंद्रीय एवं प्रादेशिक लॉ एंफोर्समेंट एजेंसियों, न्यायिक व अभियोजन संस्थाओं, सुरक्षा एवं अर्द्ध सैनिक बलों एवं खूफिया एजेंसियों आदि के 300 से अधिक अधिकारीगण सम्मिलित हुए तथा दिनांक 12 से 22 तक आयोजित ऑनलाइन समिट में 7000 से अधिक अधि/कर्मचारी सम्मिलित हुए। CIIS भारत के सबसे बडे एवं सफल आयोजनों में से एक है। इसमें न केवल राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट व्याख्याताओं एवं वरिष्ठ अधिकारियों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सायबर विशेषज्ञों द्वारा सायबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन एंड इंटेलिजेंस से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षणार्थियों को व्याख्यान प्रदान किये गए।

08. CIIS- 2022 में दिनांक 13 से 14 सितंबर 2022 को ऑफलाइन एक्सपो का आयोजन किया गया जिसमें सायबर अनुसंधान एवं डिजिटल फॉरेंसिक टूल की ख्याति प्राप्त निर्माता विशेषज्ञ कंपनियों द्वारा अपने सर्वोत्तम तकनीकी टूल्स एवं सॉफ्टवेयर प्रदर्शित किये गये एवं प्रशिक्षणार्थियों को सायबर अनुसंधान विश्लेषण एवं डिजिटल फॉरेंसिक के संबंध में विशिष्ट जानकारियां प्रदान की।

09. राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 31 अगस्त 2022 को एन0सी0आर0बी0 नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय नेशनल कान्फ्रेंस ऑफ स्टेट सायबर नोडल ऑफिसर्स में राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्यप्रदेश को सायबर क्राईम केस इनवेस्टीगेशन में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

10. उत्कृष्ट विवेचना हेतु डाटा सिक्योरिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया (DSCI) नई दिल्ली द्वारा "India Cyber Cop of the Year" श्रेणी में भारत के सभी राज्यों में से राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल म0प्र0 को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

11. डाटा सिक्योरिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया (DSCI) नई दिल्ली द्वारा "Excellence in Capacity Building" श्रेणी में भारत के सभी राज्यों में से राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल म0प्र0 को **प्रथम स्थान** प्राप्त हुआ।

12. सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल में वर्ष 2022 में कुल 275 सायबर अपराध पंजीबद्ध हुए जिनमें कुल 53 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है।

➢ नवाचारों एवं नवीन कार्य योजनाओं के संबंध में जानकारी -

राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा निम्नानुसार नवीन कार्ययोजना की जाना प्रस्तावित है -

- मध्प्रदेश राज्य में कुल **972** थानों में सायबर डेस्क की स्थापना।
- मध्प्रदेश के समस्त जिलों में एडवांस टेक्निकल सेल की स्थापना।
- मध्प्रदेश के राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल में एडवांस प्रशिक्षण सेंटर की स्थापना।
- मध्यप्रदेश के समस्त अनुसंधान अधिकारियों को सायबर अपराध विवेचना संबंधी प्रशिक्षण।
- मध्प्रदेश में सायबर कंसल्टेंट की नियुक्ति।
- सायबर पुलिस मुख्यालय एवं जिला हरदा के समन्वय से 04 मई 2022 को रेवा सखियों को सायबर सखी बनाने हेतु एक वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें लगभग 1330 से अधिक रेवा सखियों/आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा भाग लिया गया, जो सायबर अपराध के प्रति जनसामान्य को जागरूक करने का कार्य गांव-गांव जाकर सफलतापूर्वक कर रही है।

14 राज्य औद्यौगिक सुरक्षा बल

राज्य औद्यौगिक बल का गठन वर्ष- 2013 में हुआ है। जिसके अनुसार रा.औ.सु.बल की 02 वाहिनी क्रमशः प्रथम वाहिनी रीवा एवं द्वितीय वाहिनी भोपाल में संचालित है जिसमें कुल-1405 अधिकारी/कर्मचारी विशेष सशस्त्र बल से प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध होकर विभिन्न संवेदनशील संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्था हेतु तैनात है।

नवीन कार्ययोजना का समावेश

1. मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों जैसे- खनिज विभाग, आबकारी विभाग, डुमना एयरपोर्ट जबलपुर, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग व बैंकिंग संस्थानों द्वारा लगभग 674 के बल को उनके संस्थानों में सुरक्षा हेतु प्रदाय करने की मांग की गयी है।
   भविष्य में विमानतल, हेलीपेड, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय सड़क मार्ग, मेट्रो नेटवर्क एवं धार्मिक महत्व के संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु रा.औ.सु.बल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

2. सुरक्षा बल की लगातार मांग किये जाने से रा.औ.सु.बल की लगातार मांग किये जाने से रा.औ.सु.बल में तृतीय वाहिनी की स्थापना के साथ 983 पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

15 प्रशिक्षण शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल

1. आधिकारिक यू ट्यूब चैनल।
2. डिजिटल शिक्षा शास्त्र पर प्रशिक्षण।
3. ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण का मूल्यांकन।
4. डीएसपी के बुनियादी प्रशिक्षण का थर्ड पार्टी ऑडिट।
5. J-PAL, SHU, TISS, NLU के साथ एमओयू।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए दक्षिण यॉर्कशायर पुलिस के साथ सीखने सहित ब्रिटेन की यात्रा।
7. अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
8. विक्टिमोलॉजी और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए एनएलयू दिल्ली में डीएसपी को भेजना।
9. महिला अधिकारियों के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस पर विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
10. UNICEF & TISS के साथ टीएनए और डीएसपी, उप निरीक्षकों और कांस्टेबलों के बुनियादी प्रशिक्षण के लिए बच्चों के खिलाफ अपराध पर एक नया पाठ्यक्रम डिजाइन करना।
11. डी.पी.टी. के दौरान नवनियुक्त डीएसपी और सब इंस्पेक्टर के लिए जिला निगरानी और सलाह प्रणाली।
12. PARIMAL(Pracademic Action Research Initiative for Multy agency Approach Lab) की स्थापना।
13. हाइब्रिड मोड में CIIS का आयोजन।
14. JIVA (जस्टिस इंक्लूजन एंड विक्टिम्स एक्सेस) का आयोजन।
15. डीएसपी और एसआई द्वारा उनके डीपीटी के बाद परियोजना आधारित प्रस्तुतियाँ।
16. प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थ विवेचना अधिकारी की माननीय न्यायालय में साक्ष्य पेशी ई-स्टूडियो के माध्यम से कराई जाना।

16 स्पेशल टास्क फोर्स(एस.टी.एफ.)

:: <u>वर्ष 2022 में एस.टी.एफ. की उपलब्धियों की जानकारी</u> ::

- विभिन्न पुलिस इकाईयों के 1,63,000/- रूपये के उद्घोषित 35 फरार/इनामी अपराधियों एवं 05 स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार कर संबंधित पुलिस इकाईयों को सुपुर्द किया गया ।
- अपंजीकृत निवेश/निवेश सलाहकार संबंधी 23 कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।

- वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं वन विभाग के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए 01 जीवित पेंगुलिन एवं 01 नग तेंदूए की खाल सहित क्रमश: 06 एवं 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मुलूण्डा, मुंबई स्थित अंगडिया ऑफिस में लूट के अंतर्राज्जीय गिरोह के उत्तर प्रदेश के आरोपियों को एस.टी.एफ. की मदद से मुंबई पुलिस द्वारा पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई ।
- गैस टैंकर से गैस चोरी करने संबंधी अपराध पंजीबद्ध कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।
- क्रिकेट सट्टे के 02 प्रकरण पंजीबद्ध कर 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।
- मेडीकल कॉलेज में प्रवेश के नाम पर लगभग 57 लाख रूपये की ठगी करने वाले आरोपियों के विरूद्ध 02 प्रकरण पंजीबद्ध कर 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।
- फर्जी चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने, फर्जी वेबसाइट/ दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी करने वाले, नकली दूध, नकली नोट, अवैध हथियार बनाने वालों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई ।
- संगठित अपराध शीर्ष अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न थानों में गिरफ्तार किए गए लगभग 655 आरोपियों से पूछताछ कर उनके प्रोफाइल संधारित किए गए ।

:: <u>एस.टी.एफ. की वर्ष 2023 हेतु प्राथमिकताएं</u> ::

1. अवैध आर्म्स संबंधी अपराधों में वृद्धि की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए अवैध आर्म्स निर्माताओं व विक्रेताओं के विरूद्ध विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करना ।
2. अपंजीकृत निवेश/निवेश सलाहकार कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही करना ।
3. आगामी वर्षों में शासन के विभिन्न विभागों में बहुतायत में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी ।
4. आगामी वर्ष में विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होना है, जिसमें बड़ी संख्या में क्रिकेट सट्टा गिरोह सक्रिय रहेंगे, जिनके विरूद्ध विशेष अभियान के तहत कार्यवाही की जाएगी ।
5. संगठित अपराधियों के संबंध में सूचना संकलन कर प्रभावी कार्यवाही करना ।

17 प्रबंध शाखा

शाखा में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रबंध) के अधीनस्थ उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध) सहायक पुलिस महानिरीक्षक (आधु.) एवं उप पुलिस अधीक्षक (प्रबंध) वर्तमान में कार्यरत है।

प्रबंध शाखा का मुख्य कार्य आवंटित बजट से सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को सेरेमोनियल ड्रेस का बजट आवंटन करना एवं उपलब्ध बजट से फर्नीचर, उपकरण, वाहन इत्यादि का क्रय करना तथा विभिन्न इकाईयों को उनकी मांग अनुरूप संसाधनों का आवटंन किया जाता है।

1. वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा संचालित आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में 45.18 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई गई। आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कैदियो की पेशी हेतु परिवहन व्यवस्था के लिये जेल वाहन तथा आधुनिक हथियार- स्नाईफर रायफल, जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टर कार्बाइन (JVPC), घातक असाल्ट रायफल एवं ईशापुर असाल्ट रायफल का क्रय किया गया है।

2. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत- क्षेत्रीय न्यायालयीक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर में डीएनए लेब स्थापित करने हेतु FSL ITEMS (ANALYZER PCR ETC.), (CENTRIFUGES), (FREEZER ETC.), (SUPPORTING EQUIPMENT), (CABINET, HOOD, SHOWER ETC.), (DNA EXTRACTION, PURIFICATION ETC.) के क्रय की गई है।

3. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत- वाटर केनन, फायर रेजिस्टेन्ट केबिनेट, डेस्कटॉप कम्प्यूटर, लैपटाप, आलइन वन कम्प्यूटर, एन्टीराइट व्हीकल मीडियम एवं एन्टीराइट व्हीकल स्मॉल तथा दंगारोधी सामग्री (लाठी, शील्ड, बॉडी प्रोटेक्टर एवं हेल्मेट) क्रय की गई है।

18 कॉ-ओपरेटिव फ्राड एवं लोक सेवा गारंटी

(1) सहकारी संस्थाओं संबंधीं धोखाधडी के प्रकरणों की समीक्षा-

सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों में घटित धोखाधडी एवं वित्तीय अपराधों की समीक्षा जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक एवं अनुसंधानकर्ताओं की बैठक आयोजित कर पंजीबद प्रकरणों के निराकरण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विवेचना कार्यवाही के सबंध में उचित एवं वैधानिक निर्देश दिये गये। प्रदेश के समस्त थानों में धारा 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत विवेचनाधीन प्रकरणों की समीक्षा कर निराकरण किया जा रहा है साथ ही विवेचना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की गई। लंबित प्रकरणों की जिला, रैंज, जोन स्तर एवं विवेचनाकर्ता को समक्ष में बुलाकर समीक्षा की गई।

(2) सहकारी संस्थाओं] सहकारी बैंकों में घटित आर्थिक व वित्तीय अनियमितताओं, शोषण एवं धोखाधडी से सबंधित प्राप्त शिकायतों का निराकरण-

सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों में घटित आर्थिक व वित्तीय अनियमितताओं शोषण एवं धोखाधडी से संबंधित पुलिस मुख्यालय जिला एवं थानों में प्राप्त शिकायतों की समय-सीमा में जांच एवं सत्यापन पूर्ण करवाकर वैधानिक कार्यवाही करवाई गई। लंबित शिकायतों की जिला, रेंज, जोन स्तर एवं विवेचनाकर्ता को समक्ष में बुलाकर समीक्षा की गई।

(3) वित्तीय अपराध एवं कॉ-ऑपरेटिव फ्रॉड शाखा का संस्थागत विकास-

मान. मुख्यमंत्री जी एवं गृह मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कॉ-ऑपरेटिव फ्रॉड शाखा प्रभावी एवं सक्रिय रूप से कार्य कर सके, इस उद्देश्य से संस्थागत स्वरूप प्रदान करने की दिशा में शाखा के पुनर्गठन एवं सुदृढीकरण हेतु कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप कॉ-ऑपरेटिव फ्रॉड शाखा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्थित संस्थागत व्यवस्था के सहयोग एवं समन्वय से धोखाधड़ी के प्रकरणों के नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में कार्य कर सके।

(4) लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम.2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला पुलिस ईकाईयों से आवेदनों के निराकरण निर्धारित समय सीमा में करने हेतु सुनिश्चित कराया गया कि संबंधित पदाभिहीत अधिकारियों के पास उनके डिजीटल हस्ताक्षर हमेशा उपलब्ध हों ताकि अधिसूचित सेवाओं से संबंधित आवेदनों के ऑनलाइन निराकरण करने में व्यवधान उत्पन्न न हो। आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में हो सके, इस हेतु जिला पुलिस ईकाईयों से निर्धारित प्रारूपों में आवेदन पत्रों के निराकरण संबंधी मासिक जानकारी प्राप्त की जाकर समीक्षा उपरांत दिशा निर्देश जारी किये गये। प्रतिदिन ऑनलाईन डाटा प्राप्त डाटा विश्लेषण के आधार पर समय-सीमा बाह्य लम्बित आवेदनों का निराकरण एवं त्रुटिकर्ता के विरुद्ध लोक सेवा गारंटी अधिनियम.2010 के प्रावधानानुसार विधिक कार्यवाही की गई जिससे लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आने वाली विभाग की अधिसूचित सेवाओं का शासन की मंशा अनुसार नागरिकों को उचित लाभ मिल सके।

(5) सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों में घटित धोखाधडी एवं वित्तीय अपराधों की समीक्षा की जाकर प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित कराना।

(6) सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों में घटित आर्थिक व वित्तीय अनियमितताओं, शोषण एवं धोखाधडी से संबंधित पुलिस मुख्यालय जिला एवं थानों में प्राप्त शिकायतों की समय-सीमा में जांच एवं सत्यापन पूर्ण करवाकर वैधानिक कार्यवाही किया जाना।

(7) सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों में घटित आर्थिक व वित्तीय अनियमितताओं, शोषण एवं धोखाधडी से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु अपेक्स बैंक एवं सहकारिता विभाग से समन्वय स्थापित करना।

(8) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम.2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह सुनिश्चित कराना कि जिला पुलिस ईकाईयों के पदाभिहीत अधिकारियों के पास उनके

डिजीटल हस्ताक्षर हमेशा उपलब्ध हों। जिससे प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में हो सके।

19 जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर

उपक्रम संस्थाओं का विवरण,
विभाग के दायित्व

- 1. सीधी भर्ती के सूबेदारउप निरीक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण / एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण एवं पुलिस विभाग के सेवारत अधिकारियों तथा अन्य विभाग के सुरक्षा अधिकारियों को इन सर्विस कोर्सेस का प्रशिक्षण देना।

जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर मध्यप्रदेश में संचालित ऑनलाइन कोर्सेस का विवरण वर्ष- 2022

क्र.	कोर्स की अवधि	कोर्स का विषय	किस स्तर के अधिकारियों के लिये कोर्स आयोजित किया गया	अधि. की संख्या
1	10.1.22 से 4.01.2022	महिलाओ के विरूध्द अपराधों का अनुसंधान	उनि से .उपुअ	26
2	18.1.22 से 2.01.2022	महिलाओ के विरूध्द अपराधों का अनुसंधान	उनिसे उपुअ .	25
3	28.01.2022	जेंडर सेंसटाईजेशन	उनिसे उपुअ .	16
4	7.2.22 11.2.2022	महिलाओ के विरूध्द अपराधों का अनुसंधान	उनिसे उपुअ .	22
5	से 21.2.22 5.2.2022	महिलाओ के विरूध्द अपराधों का अनुसंधान	उनिसे उपुअ .	16
6	से 7.3.22 11.3.2022	महिलाओ के विरूध्द अपराधों का अनुसंधान	उनिसे उपुअ .	34
7	21.3.22 25.03.22	महिलाओ के विरूध्द अपराधों का अनुसंधान	उनिसे उपुअ .	26
8	07.4.2022	फेक करेंसी की पहचान एवं बचाव	उनिसे उपुअ .	42
9	31.05.2022	आपात स्थिति में पुलिस अधिकारियों के लिये सीपीआर का महत्व	उनिसे उपुअ .	42
10	10.6.2022	पुलिस अधिकारियों की संज्ञेय अपराधों में एफआईआर संबंधी जवाबदारी	उनिसे उपुअ .	12
11	14.06.22 से 15.6.2022	किशोर न्याय बालकों की सुरक्षी एवं संरक्षण अधि2005 .	उनिसे उपुअ .	14
12	20.7.22 से 21.7.2022	किशोर न्याय अधि ,. नवीनतम .एव .सीडब्ल्यूसी बाल न्याय,	उनिसे उपुअ .	09

		एनजेपीयू की भूमिका लैंगिक अपराधों में घटनास्थल का महत्व फॉरेंसिक की साक्ष्य संकलन परीक्षण एवं साक्ष्य उपयोगिता		
13	8.8.2022	अज्ञात व्यक्ति गोली चलाये जाने पर संज्ञेय अपराध की सूचना पर पुलिस अधिकारी द्धारा समसामयिक एफआईआर दर्ज संबंधी पुलिस की जवाबदारी	उनिसे उपुअ .	14
14	17.8.22 से 18.8.2022	थाना प्रबंधन	उनिसे उपुअ .	17
15	22.8.22 से 23.8.2022	वित्तीय अपराधों की रोकथाम एवं विवेचना		19
16	26.8.2022 से 28.8.22	मोटर व्हीकल एक्ट के कानूनी प्रावधान एवं पुलिस कार्यवाही		10
17	29.8.22 से 31.8.2022	ट्रांसजेण्डर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ) 2019-एक्ट (राईट, ट्रांसजेण्डर पर्सन्स 2020-रूल (फ राईटप्रोटेक्शन ऑ)		22
18	7.9.22 से 8.9.2022	आईटी एक्ट एण्ड रीसेन्ट अमेन्डमेंट इन साइबर फारेंसिक्स एण्ड साइबर क्राइम		15
19	13.9.22 से 14.9.2022	एडवांस टैक्नोलॉजी इन फारेंसिक साइन्स		18
20	20.9.22 से 21.9.2022	ऐविडेन्स कलेक्शन इन ह्यूमन ट्रेफिकिंग केसेंस,आधुनिक तकनीक-दण्ड विधि मे नवीनतम संशोधन	सउनि से उपुअ	20
21	29.9.22 से 30.9.2022	इन्वेस्टिगेशन अण्डर पाक्सो एक्ट एण्ड जेएक्ट.जे.	सउनि से उपुअ	13
आफॅलाईन कोर्स प्रारम्भ				
22	10.10.22 से 14.10.2022	महिलाओ के विरूध्द अपराधों का अनुसंधान	सउनि से उपुअ	39
23	18.10.22 से 19.10.2022	किशोर न्याय अधिनियम, बाल कल्याण समिति एवं बाल न्यायालय संबंधी विधिक प्रावधान	सउनि से उपुअ	56
24	21.10.2022	पुलिस अभिरक्षा में मृत्यू को रोकने से संबंधित सावधानियांवैधानिक / जवाबदारियां एवं विभागीय निर्देश	सउनि से उपुअ	52
25	27.10.22 से 28.10.2022	सूचना का अधिकार अधिनियम इसके प्रावधान एवं लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य	सउनि से उपुअ	51
26	31.10.2022	फेक इण्डियन करेंसी नोट्स की पहिचान एवं बचाव के तरीके	सउनि से उपुअ	52
27	3.11.22 4.11.2022स	मादक पदार्थों की पहचान एवं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वित्तीय अनुसंधान	सउनि से उपुअ	49

28	9.11.22 से 10.11.2022	एडवांस टेक्नालॉजी इन फारेंसिक साइंस	सउनि से उपुअ	49
29	14.11.2022	पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु को रोकने से संबंधित सावधानियांवैधानिक / जवाबदारियां एवं विभागीय निर्देश	सउनि से उपुअ	40
30	17.11.2022	जेंडर सेंसटाईजेशन	सउनि से उपुअ	38
31	21.11.22से 25.11.2022	महिलाओ के विरूध्द अपराधों का अनुसंधान	सउनि से उपुअ	39
32	से 29.11.22 30.11.2022	मर्ग प्रकरण में पी,रिर्पोट .एम. विष प्रकरणों में बिसरा जब्ती एवं परीक्षण का साक्ष्यिक मूल्य	सउनि से उपुअ	51
33	5.12.22 से 9.12.2022	महिलाओ के विरूध्द अपराधों का अनुसंधान	सउनि से उपुअ	30
34	12.12.2022 से 13.12.2022	प्रिवेंशन एण्ड इंवेस्टिगेशन ऑफ फायनेंशियल फ्राड	सउनि से उपुअ	23
35	14.12.22 से 15.12.2022	आईटी एक्ट एण्ड रीसेंट अमेंटमेंट सायबर फारेंसिक्स एवं सायबर अपराध	सउनि से उपुअ	29
36	19.12.22 से 20.12.2022	पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु को रोकने से संबंधित सावधानियां/ वैधानिक जवाबदारियां एवं विभागीय निर्देश	सउनि से उपुअ	27
37	21.12.2022 से 22.12.2022से	कोआंर्डिनेशन विटवीन पुलिस एण्ड डिफरेन्ट एजेन्सीज	सउनि से उपुअ	30
38	29.12.22 से 30.12.2022	इन्वेस्टिगेशन ऑफ मर्डरहोमोसाइट / केसेज	सउनि से उपुअ	25
39	1.1.22 से 24.1.2022	जिला आबकारी अधिकारीआबकारी / उनि कोर्स	जिआएसे .आब/ उनि	15

20 कल्याण शाखा

- **सर्वसुविधायुक्त 50 बैड पुलिस अस्पताल का निर्माण**- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सर्वसुविधायुक्त एक अस्पताल बनाये जाने की घोषणा की गयी थी। शासन द्वारा आदेश दिनांक 17.05.2022 के माध्यम से 23वीं एवं 25वीं वाहिनी विसबल, भोपाल परिसर में 50 बैड का सर्वसुविधायुक्त पुलिस चिकित्सालय बनाये जाने के लिए पुलिस चिकित्सालय भवन हेतु लागत राशि 1041.31 लाख पुलिस चिकित्सालय के मेडिकल उपकरणों के

क्रय हेतु राशि रूपये 210.50 लाख (कुल अनावर्ती व्यय राशि रू0 1251.81) तथा पुलिस चिकित्सालय हेतु 46 मानव संसाधन के पदों के सृजन एवं उप पर 05 वर्षों में होने वाले आवर्ती व्यय राशि रूपये 2498 लाख की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में शासन द्वारा पुलिस चिकित्सालय वृहद निर्माण हेतु राशि रू. 1,00,00,000/- का प्रावधान किया गया था, उक्त राशि म0प्र0 पु0हा0कार्पो0 भोपाल को उपलब्ध कराई गई । म0प्र0 पु0हा0कार्पो0 द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कार्य प्रगति पर है।

- **शिक्षा निधि-** आरक्षक से रापुसे स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को 11वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत से उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-23 में कुल 518 प्रकरणों में शिक्षा निधि राशि रू0 51,35,817/- का भुगतान किया गया है।

- **परोपकार निधि आर्थिक सहायता:-** म0प्र पुलिस की इकाईयों में दिवंगत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वर्गवास होने के उपरांत उनके आश्रित सदस्यों को परोपकार निधि से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-23 में 463 प्रकरणों में राशि रू0 4,58,38,750/- का भुगतान किया गया है।

- **संकट निधि आर्थिक सहायता:-** पुलिस विभाग में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी के स्वयं बीमार होने पर राशि रू0 50,000/- तथा आश्रित सदस्यों के बीमार होने पर राशि रू0 30,000/- उपचार हेतु प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-23 जोनल पुलिस महानिरीक्षकों को उनकी इकाई के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने हेतु राशि रू 31,00,000/- का आवंटन किया गया है।

- **स्वास्थ्य परीक्षण:-** म0प्र0 पुलिस की 119 पुलिस इकाईयों में 45 वर्ष से अधिक आयु के 27662 महिला एवं पुरूष पुलिसकर्मियों में से 10535 का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है।

- **झूलाघर की स्थापना:-** 15वीं वाहिनी विसबल इन्दौर, पीटीसी इन्दौर में झूलाघर की स्थापना की गई।

- **म0प्र0 पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना:-** म0प्र0 पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अंतर्गत वर्ष 2022 मे योजना के सदस्यों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के कुल प्रकरण 2306 में गंभीर बीमारियों के उपचार का लाभ लेते हुये लाभान्वित हुये है।

- **म0प्र0 पुलिस सैलरी पैकेज योजना:-**मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर बैंकिग सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु 04 बैंको(एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, ऐक्सिस बैंक) से एमओयू किया गया है।

एसबीआई द्वारा एम0ओ0यू0 के अंतर्गत 13 प्रकरणों में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों को बीमा राशि रू0 3.9 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 01 प्रकरण में राशि रू0 37.50 लाख एवं एचडीएफसी बैंक द्वारा 01 प्रकरण में राशि रू 55 लाख का भुगतान किया गया है।

21 योजना शाखा

<u>विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 -23 हेतु योजना शाखा की जानकारी</u>

1. इस शाखा के प्रभारी के रूप में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (योजना) पदस्थ है।इसके साथअधीनस्थ वर्तमान में निम्नांकित अधिकारी तैनात है :-

स.	पदनाम	अनुभाग	कार्य का विवरण
1	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (योजना)	योजना 18	पुलिस विभाग के समस्त नवीन पदों का सृजन एवं नवीन थाना, चौकी एवं नवीन कार्यालयों की स्वीकृति की कार्यवाही करना।
		बजट 16	म०प्र० पुलिस के सम्पूर्ण बजट को तैयार कर शासन को भेजना एवं समस्त इकाईयों को आवंटन एवं व्यय का लेखा-जोखा रखना।
2	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (योजना-1)	आरएण्डडी 26	नवीन योजनांए की डीपीआर तैयार कर स्वीकृत कराना, शासन से स्वीकृत योजनाओं में बजट प्रावधान कराना एवं योजनाओं में प्राप्त बजट को संबंधित नोडल अधिकारी को आवंटन करना।
		सांख्यिकी 25	पुलिस स्टैटिस्टिकल डाटा तैयार करना, बीपीआरएण्डडी की जानकारी तैयार करना तथा पुलिस विभाग से संबंधित डाटाबेस तैयार करना।
		ग्रंथालय	पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर नियंत्रण, व्यावसायिक दक्षता को उन्नत बनाने हेतु ज्ञानवर्धक विषयों की जानकारी उपलब्ध कराना। पुलिस विभाग के उपयोगी विषयों पर प्रकाशित पुस्तको को क्रय कर उपलब्ध कराना।
3	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (संपदा)	भवन 19	पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्राप्त योजना राशि से थाना/चौकी एवं प्रशासकीय आवासीय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत की समस्त कार्यवाही तथा पुलिस विभाग को भूमि उपलब्ध कराना, पुलिस विभाग के थाना/चौकी, प्रशासकीय भवनों के लघु निर्माण के लिये एमओडब्ल्यू/पीसीएण्डआर मद के अंतर्गत राशि का वितरण।
4	अपर संचालक (वित्त)	समस्त पुलिस मुख्यालय	वित्त से संबंधित पुलिस विभाग के प्रकरणों में नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।
5	उप पुलिस अधीक्षक	योजना शाखा के	भवन शाखा एवं योजना शाखा से संबंधित समस्त कार्य एवं अधिकारियों द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य।

	(योजना)	समस्त खण्ड	
6	ग्रंथालय अधिकारी	ग्रंथालय	अधिकारियों द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य।

2.1 पुलिस विभाग को गत तीन वर्षो में शासन द्वारा प्रदाय किये गये बजट की जानकारी निम्नानुसार है:-(राशि करोड में)

स.क्र.	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
1	कुल बजट	7449.42	8028.48	8791.09
2	कुल राजस्व	6799.03	7290.30	8098.36
3	पूंजी	650.38	738.15	692.73

2.2 पुलिस विभाग को भिन्न- भिन्न मदो में राजस्व की प्राप्तियों में लगातार बढोत्तरी तीन वर्षो निम्नानुसार परिलक्षित हुई हैं:-(राशि करोड में)

स.क्र.	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
1	0055-राजस्व प्राप्ति	176.73	221.45	222.58 (01.02.2023 की स्थिति में)

नवाचार की विशेष उपलब्धियॉ:-

3.1 पुलिस विभाग के थानों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, पहले थानों/चौकियो को स्टेशनरी के लिए भत्तें देने का प्रावधान था, उसके स्थान पर अब शत प्रतिशत स्टेशनरी की पूर्ति की जा रही है। राज्य शासन द्वारा स्टेशनरी के मद में पिछले दो वर्षो में 10.76 करोड़ रू. से बढ़ाकर 16.84 करोड रू. किया गया है। विशेष सशस्त्र बल की इकाईयों को सत प्रतिशत स्टेशनरी हेतु राशि उपलब्ध कराई जा रही है ।

3.2 जिलों में अपराधों के अनुसंधान के लिए कोई पृथक से मद नही होने के कारण अपराध की विवेचना में उपयोग किये जाने हेतु सामग्री का क्रय किया जाना मुश्किल होता था, इसके लिए भी थानों के सुदृढीकरण योजना में पिछले दो वर्षो में चार करोड रू. का प्रावधान किया गया है और इससे थाने स्तर पर अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की जा रही है।

3.3 वित्तीय वर्ष 2022:2023 के विभागीय परिसंपतियों के संधारण मद में राज्य शासन द्ववारा राशि रू0 74 करोड रूपये का बजट प्रावधान किया गया है, प्रावधानित राशि में से थानों की विशेष्ज्ञ मरम्मत के लिये इस वर्ष 89 पुराने थानों का पूर्ण जीर्णोद्ववार कार्य हेतु राशि 21.94 करोड रूपये की स्वीकृति मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन को कार्य कराने हेतु जारी की गई है, शेष थानों हेतु पुताई एवं अन्य मरम्मत कार्यो हेतु स्थानीय स्तर पर कार्य कराने हेतु पुलिस अधीक्षक को आवंटन जारी किया गया है।

-----00-----

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
भदभदा रोड़ भोपाल - 462003

➢ **संरचना**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत गठित पंजीकृत अर्द्धशासकीय संस्था है। संस्था का गठन 31 मार्च 1961 के राज्य में सेवारत पुलिस कर्मचारियों के लिये आवास गृह एवं प्रशासकीय भवनों के निर्माण के लिये किया गया था। वर्तमान में कार्पोरेशन पुलिस विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों हेतु भी निर्माण कार्य कर रहा है।

➢ **कार्पोरेशन द्वारा निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है :-**

- मध्यप्रदेश पुलिस विभाग के प्रशासनिक भवन एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों की योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वयन।
- भवनों की सर्व सुविधायुक्त अधोसंरचना के माध्यम से उच्च गुणवत्ता एवं सर्व सुविधायुक्त (भवन निर्माण वाटर टैंक विद्युतीकरण, सेनेटरी आदि सभी सुविधाओं का समावेश।
- आवासीय एवं प्रशासनिक भवन परिसर की अधोसंरचना का उन्नयन जैसे- सडक बिजलीपानी निकासी की समुचित व्यवस्था ।

कार्पोरेशन का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश पुलिस विभाग के प्रशासनिक भवन एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों की योजना बनाना एवं उनका कियान्वयन करना भवनों की सर्व सुविधायुक्त अधोसंरचना के माध्यम से उच्च गुणवत्ता एवं सर्व सुविधायुक्त भवन निर्माण वाटर टैंक विद्युतीकरण, सेनेटरी आदि सभी सुविधाओं का समावेश करना। इसके अतिरिक्त निगम अन्य विभागों के भवनों का निर्माण कार्य करता है।

➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

मध्यप्रदेश पुलिस विभाग के प्रशासनिक भवन एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों को उच्च गुणवत्ता एवं सर्व सुविधायुक्त भवन निर्माण के लिये समय-समय पर कार्पोरेशन द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है एवं समय-समय पर प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है।

➢ जनजागृति कार्यक्रम :-

पुलिस कर्मियों के लिये निर्मित आवास गृहों की सर्व सुविधायुक्त उपयोगिता गुणवत्ता नियंत्रण तथा सुझावों के अनुरूप निर्माण करने की दृष्टि से रहवासी पुलिस कर्मियों तथा उनके परिवारों से फीडबैक लिया जाता है, जिसका लाभ लेकर भविष्य में निर्माण किये जाने वाले भवनों में इसे समावृष्टि किया जाता है।

➢ सूचना एवं प्रलेखन :-

निगम के अन्तर्गत सूचना एवं प्रलेखन का कार्य सुचारू रूप से प्रचलन में है। प्रदेश शासन द्वारा लागू ई टेण्डरिंग प्रणाली तथा सूचना का अधिकार का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता से समय सीमा में चल रहा है। लेखों को भी टैली सिस्टम पर रखा जाता है।

➢ महत्वपूर्ण उपलब्धियां :-

• वित्तीय वर्ष 2022-23 की उपलब्धियां

(1) मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 25000 आवास गृहों में से प्रथम, द्वितीय चरण में स्वीकृत 5000 +5000 आवास तथा तृतीय चरण के 1500 आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था। इन 11500 आवास गृहों में से 7940 आवास गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। शेष 3560 आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

(2) स्वीकृत 254 थाने एवं 199 चौकियों में से 215 थाने एवं 138 चौकी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित किये गये।

(3) महिला पुलिस हेतु 488 विश्राम कक्ष का निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित किये गये।।

(4) आंतरिक सुरक्षा एवं सुदृढिकरण हेतु श्यामलाहिल्स भोपाल में इंटीग्रेटेड कमांड सेन्टर का कार्य पूर्ण किया गया।

(5) डॉयल 100 प्रशासकीय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। (6) 36वीं भारत रक्षित वाहिनी बालाघाट का निर्माण कार्य किया गया है। (7) योजना के अतिरिक्त अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग खेल विभाग शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग एवं होम गार्ड के निर्माण कार्य संपादित कर रहा है। प्रदेश के अन्य अंचलों के साथ ही कार्पोरेशन प्रदेश के दुरूह एवं दुर्गम तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहा है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 की योजना

(1) पुलिस आवास योजना अन्तर्गत 2708 आवास गृह पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(2) 26 थाने तथा 12 चौकी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा।

(3) बिसबल संस्थाओं के उन्नयन योजनान्तर्गत ग्वालियर इन्दौर एवं भोपाल के निर्माण कार्य पूर्ण करने की योजना है।

(4) तीन क्षेत्रीय फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ, जबलपुर, रतलाम एवं रीवा में निर्मित की जावेगी।

(5) अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग खेल विभाग शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग एवं होम गार्ड के निर्माण कार्य संपादित कर रहा है। प्रदेश के अन्य अंचलों के साथ ही कार्पोरेशन प्रदेश के दुरूह एवं दुर्गम तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहा है।

भाग दो

- बजट प्रावधान :-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में गृह विभाग द्वारा कार्पोरेशन को मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में निर्माण कार्यों के लिये रू. 312 करोड़ एवं अनुपूरक बजट रुपये 100 करोड कुल रूपये 412.00 करोड बजट प्रावधान था। इस राशि के विरूद्ध दिनांक 31.01.2023 तक रुपये 250.78 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त गृह विभाग की अन्य योजनाओं हेतु राशि प्राप्त हुई है।

भाग तीन

- सारांश

कार्पोरेशन की स्थापना से लेकर अभी तक कार्पोरेशन द्वारा पुलिस कर्मचारियों के लिये आवासीय क्वार्टर एवं प्रशासनिक भवन एवं अन्य कार्यो का निर्माण किया गया है। कार्पोरेशन को पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना राज्य योजना, एस.आर.ई. योजना, एस.आई. एस. योजना के अतिरिक्त अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग खेल विभाग शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग एवं होम गार्ड के निर्माण कार्य संपादित कर रहा है। प्रदेश के अन्य अंचलों के साथ ही कार्पोरेशन प्रदेश के दुरूह एवं दुर्गम तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहा है।

-----00-----

मध्यप्रदेश होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023

<u>विभागीय संरचना</u> 1:1 मध्यप्रदेश होमगार्ड की स्थापना **1947** में मध्यप्रदेश होमगार्ड एक्ट**, 1947** के तहत की गई थी । यह स्वयंसेवी संगठन है।

यह स्वयंसेवी संगठन है जिसके दो मुख्य उद्देष्य हैः-

(अ) प्रदेश में आपातकालीन स्थिति में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बल को सहायता करना।

(ब) लोक कल्याणकारी कार्यो में सहयोग एवं नागरिक सुरक्षा से संबंधित कार्यो का सम्पादन करना।

<u>विभाग के दायित्व</u>

मध्यप्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना मध्यप्रदेश होमगार्ड,अधिनियम 1947 के अंतर्गत की गई है । वर्ष 1956 में मध्यप्रदेश राज्य की स्थापना होने पर इसे राज्य विधान सभा व्दारा आवश्यक संशोधनों सहित अगीकृत किया गया । इसके उपरान्त यह संगठन छोटे-छोटे संशोधनों के साथ मुख्यतः मूल अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार संचालित किया जा रहा है ।

इस होमगार्ड संगठन को स्वयंसेवी प्रकृति के कार्यकर्ताओं के समूह रूप में परिकल्पना की गई थी जिसमें उन्हें नियमित पुलिस बल को सहायता प्रदान करने का मुख्य दायित्व प्रदान किया गया था । कालान्तर में होमगार्ड संगठन के सदस्यों को शासन के विभिन्न विभागों व्दारा संचालित लोक कल्याण के विभिन्न उपायों के क्रियान्वयन में भी समुचित सहायता प्रदान करने का दायित्व दिया गया ।

<u>विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी</u> होमगार्ड विभाग स्वयं सेवी संस्था (संगठन) है जिसका मुख्यालय जबलपुर में स्थापित इसके अधीनस्थ एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान मंगेली, जबलपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त संभागीय/जिला स्तर के कार्यालय भी है। विभाग का कार्य पुलिस बल को सहयोग करना है तथा शासन के दीगर विभागों को उनके लोक कल्याण कार्यक्रमां में क्रियान्वन में यथोचित सहयोग प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा आपतकालीन मोचन बल का गठन किया गया है मुख्यालय एवं स्टेट कमांड सेन्टर चार जिला इकाइयों (भोपाल ,इन्दौर ,जबलपुर एवं ग्वालियर) स्थापित है ।

<u>सामान्य या प्रमुख विशेषताएं</u> राज्य शासन व्दारा मध्यप्रदेश होमगार्ड संगठन के लिये कुल 16,305 स्वयंसेवी सदस्यों की अधिकतम संख्या अधिकृत की गई है । इसमें 350 महिला नगर सैनिक भी शामिल है । प्रदेश के 52 जिला जिसमें, 10 सभ्भागीय मुख्यालयों तथा एक केन्द्रीय प्रशिक्षण

संस्थान, मंगेली की मैदानी ईकाइयों में यह समस्त स्वयंसेवी नगर सैनिक 97 कम्पनियों के रूप में वितरित किये गये है। होमगार्ड विभाग में 15450 स्वयंसेवकों का बल ड्युटी पर तैनात किया जाता है । होमगार्ड का बल आपातकालीन स्थिति में पुलिस बल के साथ कन्धे से कंन्धा मिलाकर अपनी ड्युटी का निवर्हन करते है। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं की स्थिति उदाहरणार्थ बाढ़, भूकम्प, दुर्घटना, आग आदि की घटनाओं में यह जिला तथा पुलिस बल को बचाव तथा राहत कार्यो में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान करता है ।

मध्यप्रदेश राज्य शासन के अधीन होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्यप्रदेश के अन्तर्गत होमगार्ड/एसडीईआरएफ द्वारा बाढ़ राहत में बहतरीन कार्य की उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1- वर्ष के दौरान होमगार्डस् नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के द्वारा अत्यंत सराहनीय कार्य किये गये है। हाल ही में जब सम्पूर्ण प्रदेश में लगातार अतिवर्षा से बाढ़ आपदाओं की स्थिति रही, तब आम नागरिकों को रेस्क्यू कर त्वरित राहत देकर कठिन एवं महत्वपूर्ण डियूटी अत्यंत सफलता से सम्पादित की है। वर्ष 2022 के दौरान बाढ आपदा का सुचारु प्रबंधन किया गया। मध्यप्रदेश के 40 जिलों में बाढ में होमगार्ड एवं SDERF के सहयोग से 1111 रेस्क्यू ऑपरेशन किये गये जिसके माध्यम से 16964 व्यक्तियों को बाढ़-आपदाओं में से सुरक्षित निकाला गया तथा जनहानि नही होने दी गई। बाढ की विषम परिस्थितियों में फंसकर मृत्यु होने पर बह जाने से 713 शव निकालकर परिजनों को सुपुर्द किये गये।

2- SDERF के बल को बाढ़ आपदा के साथ ही भूकम्प, रसायनिक आपदा एवं औद्योगिक आपदा के प्रबंधन के लिए भी सक्षम किया जा रहा है।

3- स्टेट कमाण्ड सेन्टर में प्रदेश स्तर से आपदाओं/घटनाओं की सूचनाओं पर तुरन्त कार्यवाही प्रतिक्रिया की जाती है तथा घटना की सतत निगरानी एवं कमाण्ड किया जाता है एवं सूचनाओं को संकलित कर डीएसआर प्रति दिन प्रेषित की जाती है।

4- रेस्क्यू की त्वरित कार्यवाही हेतु प्रदेश स्तर पर 254 डीआरसी, 52 क्यूआरटी तथा 52 ईओसी सेन्टरों में होमगार्ड तथा आपदा प्रबंधन के अधिकारी/कर्मचारी एवं जवानों को तैनात कर सम्पूर्ण प्रदेश में राहत केन्द्र स्थापित किये गयें।

5- स्टेट कमाण्ड सेन्टर भेपाल में स्थिपत है, जिसका टोल फ्री नम्बर 1079/1070 पर आपदा की सूचना मिलने पर प्रदेश के होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन की टीम त्वरित राहत कार्य में लग जाती है।

6- आई0टी0 कौशल उन्नयन हेतु 54 कर्मचारियों की सूची तैयार कर शासन की ओर भेजी गई है।

7- SDERF के स्वीकृत पद 2975 के प्रथम चरण में 550 सैनिकों के पदों की पूर्ति हो चुकी है द्वितीय चरण में शासन स्तर से 950 पदों की भी स्वीकृति प्रदाय की गई है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

10- होमगार्ड विभाग के स्वीकृत पद 16855 है वर्तमान में 4322 पद रिक्त है रिक्त पदों पर भर्ती की स्वीकृति शासन से अपेक्षित है।

11- केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्डस् मंगेली जबलपुर मध्यप्रदेश में स्थित होमगार्ड की लगभग 250 एकड जमीन है, जिस पर एनडीआरएफ के मापदंडों का अवलोकन कर एक राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कराया जा रहा है जिसके लिए लगभग रू. 166 करोड की राशि प्रस्तावित है। यह निर्माण कार्य एस.डी.एम.ए के तहत कराया जावेगा।

<u>बजट विहंगावलोकनः-</u> इस विभाग का बजट प्रावधान वर्ष 2022-2023 का निम्नानुसार थाः-

मांग संख्या-03-2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं -107 होमगार्ड

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड़ क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2022-23	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2022-23
1	-0492- आव्हान पर होने वाला व्यय	3,87,87,40,000	3,86,45,00,000
2	-2710-प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	82,47,78,000	65,77,84,000
3	-4670-स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण	1,72,56,000	1,72,56,000
4	स्कीम-7867-नगर सेना का आधुनिकीकरण	1,50,00,000	90,01,000
	योग **107-**होमगार्ड	**4,73,57,74,000**	**4,54,85,41,000**
5	53- डिक्री धन का भुगतान	2,00,000	2,00,000

<u>6-4070 - **अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूजीगत परिव्यय :-**</u>

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड़ क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2021-22	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2021-22
1	7188 .आपदा प्रबंधन के लिये निर्माण	5,00,00,000	5,00,00,000

<u>7-7327- **राज्य आपदा आपतकालीन मोचन बल का गठन :-**</u>

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड़ क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2021-22	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2021-22
1	7327	43,25,39,000	37,18,44,000
2	डिक्री धुन का भुगतान	50,000	50,000

8-8808- **सूचना प्राद्योगिकी संबंधी कार्य :-**

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड़ क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2021-22	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2021-22
1	**8808**	2,00,00,000	000

मॉग संख्या-04-2070-**अन्य प्रशासनिक सेवाऐं-** 106- **नागरिक सुरक्षा**

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड़ क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2021-22	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2021-22
1	1558-नागरिक सुरक्षा	40,58,000	40,58,000

भाग -2

1- मध्यप्रदेश होमगार्ड विभाग के स्वयंसेवी सैनिको द्वारा मध्यप्रदेश राज्य शासन के अधीन होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्यप्रदेश के अन्तर्गत होमगार्ड/एसडीईआरएफ द्वारा बाढ़ राहत में बहतरीन कार्य की उपलब्धियों का विवरण

निम्नानुसार है :-

(1) मध्यप्रदेश होमगार्ड्स स्वयंसेवी संगठन है, इसका कार्य प्रदेश में आन्तरिक सुरक्षा, आपातकालीन स्थिति में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बल को सहायता करना।

(2) लोक कल्याणकारी कार्यो के सहयोग एवं नागरिक सुरक्षा से संबंधित कार्या का संपादन करना।

(3) होमगार्डस्, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन का मुख्यालय जबलपुर में स्थापित है तथा इसका कैम्प कार्यालय भोपाल में स्थित है।

(4) होमगार्ड संगठन बल के सदस्य राज्य में कानून व्यवस्था डियूटी में पुलिस के सहायता के अतिरिक्त विशेष तौर पर बाढ़ राहत व अन्य आपदाओं में इनका कार्य विशेष रूप से सराहनीय होता है वे सभी प्रकार की डियूटी के लिये यह सदैव तत्पर रहते है।

(5) **76**वें होमगार्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर **06** दिसम्बर, **2022** को भोपाल में होमगार्ड जवानो के **61** मेधावी बालक/बालिकाओं को कुल राषि रूपये-**4,52,500,00** माननीय श्री मंगुभाई पटेल , राज्यपाल म.प्र. शासन भोपाल के द्वारा प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदाय किये गये।

(6) केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्डस् मंगेली जबलपुर मध्यप्रदेश में स्थित होमगार्ड की लगभग **250** एकड जमीन है, जिस पर एनडीआरएफ के मापदंडों का अवलोकन कर एक राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कराया जा रहा है जिसके लिए लगभग रू. **166.79** करोड की राशि प्रस्तावित है। यह निर्माण कार्य एस.डी.एम.ए के तहत कराया जावेगा।

(7) बाढ बचाव एवं अन्य आपदाओं में आत्मनिर्भर बनाये जाने के लिए एसडीईआरएफ एवं होमगार्ड की क्षमता वृद्धि एवं रेस्क्यू कार्यों में और अधिक तीव्रता लाने हेतु दो चरणों में रेस्क्यू उपकरण एवं वाहन क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(8) राला मण्डल इंदौर को क्षेत्रीय होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान के रुप में विकसित करना ।

2.- **माह जनवरी** 2022 **से माह दिसम्बर** 2022 **की उत्कृष्ट उपलब्धियों का संक्षेप में उल्लेखः-**

मध्यप्रदेश होमगार्डस् एव एसडीईआरएफ द्वारा उक्त अवधि में बोरवेल रेस्क्यू के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के दौरान भी कई बचाव कार्य किये गये है, जिसके अन्तर्गत जीवित बचाये गये/विस्थापित व्यक्ति की संख्या लगभग संख्या **16,964** है । जिलों में किये कुछ प्रमुख बचाव कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) दिनांक **12-02-2022** जिला कटनी के थाना स्लीमनाबाद के अंतर्गत इमलिया में नर्मदाघाटी परियोजना की टनल धस गयी थी जिसमे **9** व्यक्ति के फसे होने की सूचना पर एसडीईआरएफ/ होमगार्ड कटनी, सिवनी, सतना, दमोह एवं जबलपुर टीम द्वारा निरंतर रेस्क्यू कार्य करते हुए **7** व्यक्तियों को जीवित निकाला गया एवं अन्य **2** व्यक्तियों की बॉडी बरामद की गयी ।

(2) दिनांक **29-06-2022** को ओरछा और छतरपुर के ग्राम नारायणपुरा में पॉच वर्षीय बालक दीपेन्द्र के बोरवेल में गिर जाने पर जिला छतरपुर एवं जिला ग्वालियर की एसडीईआरएफ टीम द्वारा बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित जीवित बाहर निकाला गया ।

(3) जिला हरदा (दिनांक **12,13,/07/22)** के कुछ स्थानों पर जल भराव की स्थिति निर्मित हुयी जिसमे बंजारा कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी जात्रापडाव, इमलीपुरा,मानपुरा, बसोड मोहल्ला, लगभग **10** वार्डो की निचली बस्तियों में पानी का भराव हुआ एवं हरदा के ग्राम सोडलपुर,(रहटगाँव), टिमरनी में जल भराव हुआ था जिसमे टीम द्वारा लगभग **1500** से ज्यादा महिलाओ, बच्चों, व्यतियो को सकुशल निकाला गया ।

(4) दिनांक **15** जुलाई, **2022** को जिला बालाघाट के थाना खैरलॉजी के ग्राम मोवाड में **15** मजदूर बावनथडी नदी में फस गये थे जिन्हें होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ बालाघाट की टीम द्वारा सकुशश्ल जीवित बाहर निकाला गया ।

(5) दिनांक **15** अगस्त, **2022** को जिला बालाघाट के ग्राम उमरी में बाघ नदी के बाढ़ में **130** से ज्यादा लोग घिर गये थे जिनमे महिला, पुरूष, बच्चे एवं बुजुर्ग शामिल थे उन्हे होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ जिला बालाघाट टीम द्वारा सकुशल बाहर निकाला गया ।

(6) दिनांक **21** अगस्त, **2022** को जिला रायसेन में बेतवा नदी की भीषण बाढ़ में खर्राघाट में चट्टान पर बीच में फसे **07** व्यक्तियों को होमगार्ड रायसेन की टीम द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया ।

(7) दिनांक **22** अगस्त, **2022** को जिला आगर-मालवा के ग्राम बरई में कालीसिन्ध नदी के बाढ़ में अत्यधिक तेज बहाव में फसे **04** व्यक्तियों को एसडईआरएफ जिला आगर मालवा की टीम द्वारा सुरक्षित जीवित बाहर निकाला गया ।

(8) दिनांक **22** अगस्त, **2022** को जिला भोपाल में लगातार वर्षा होने से इन्डस एम्पायर कालोनी बावडियाकला में **08** से **10** फिट पानी भर जाने से फसे **63** लोगों को एसडीईआरएफ एवं होमगार्ड की टीम द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया ।

(9) दिनांक **22** अगस्त**, 2022** को जिला अशोकनगर के ग्राम सावन मे उफनाती सावन नदी के रपटे से कार बह जाने पर नदी के बीचो बीच फसे **02** व्यक्तियों को रात्रि में होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ टीम द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया ।

(10) दिनांक **23** अगस्त**, 2022** को जिला भोपाल के बैरसिया में बाह नदी के तेज बहाव में फसे **07** व्यक्तियों को एसडीईआरएफ एवं होमगार्ड की टीम द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया ।

(11) दिनांक **12-08-2022** से **25-08-2022** तक जिला विदिशा में अत्यधिक वर्षा के कारण बेतवा नदी में लगातार बाढ आने के कारण नदी के तेज बहाव के बीच फसे **152** व्यक्तियों को होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ टीम द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला ।

(12) दिनांक **24** अगस्त**, 2022** को जिला गुना के ग्राम सोडा में पार्वती नदी की बाढ़ में चारो तरफ से घिर जाने पर तेज बहाव में **17** व्यक्तियों को एसडीईआरएफ ग्वालियर की टीम द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया ।

(13) जिला सीहोर दिनांक **24-09-2022** नसरुल्लागंज में एक व्यक्ति **20** फीट दलदल में धंस गया जिसे एसडीआरएफ टीम भोपाल द्वारा **2** घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सकुशल निकाला गया ।

मध्यप्रदेश होमगार्ड का स्वीकृत बल **16305** है जिसमें से **15450** पुरुष बल**, 350** महिला सैनिक तथा **505** गोपनीय सैनिक जो नक्सलवादी गतिविधियों की रोकथाम हेतु जिला डिण्डोरी/ बालाघाट/ मण्डला/इंदौर/ उज्जैन/ जबलपुर/खण्डवा/ रतलाम/ सीहोर/ विदिशा/ सीधी/ ग्वालियर तथा शिवपुरी में **205** तथा जिला बालाघाट के लिए नवीन **300** गोपनीय सैनिकों की स्वीकृति है**,** जो नक्सलवादी गतिविधियों की रोकथाम हेतु इन्हें जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन तैनात रहते है ।

3- विभाग की अन्य महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं कार्य योजनाओं की प्रगति की संक्षिप्त जानकारी :-

(1) केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्डस् मंगेली जबलपुर मध्यप्रदेष में स्थित होमगार्ड की लगभग 250 एकड जमीन है जिस पर एनडीआरएफ के मापदंडों का अवलोकन कर एक राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कराया जा रहा है जिसके लिए लगभग रू. 166.79 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। यह निर्माण कार्य एस.डी.एम.ए के तहत कराया जावेगा।

(2) बाढ बचाव एवं अन्य आपदाओं में आत्मनिर्भर बनाये जाने के लिए एसडीईआरएफ एवं होमगार्ड की क्षमता वृद्धि एवं रेस्क्यू कार्यों में और अधिक तीव्रता लाने हेतु दो चरणों में रेस्क्यू उपकरण एवं वाहन क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) राला मण्डल इंदौर के क्षेत्रीय होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान के रुप में विकसित करना ।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला इन्दौर, हरदा, सीहोर, नर्मदापुरम, देवास, सतना, मुरैना, श्योपुरकला, शिवपुरी, राजगढ एवं रतलाम इत्यादि जिलों में भी उक्त अवधि में विभिन्न दुर्घटनाओं के साथ-साथ अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति एवं बांध से पानी छोडे जाने की स्थिति में बचाव कार्य कर व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला गया है ।

जिले में उपलब्ध बल में से वर्ष भर रिफ्रेशर कोर्स का संचालन सभागीय मुख्यालय / जिले मे चलाये जाते है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा संभागीय मुख्यालय में एडवॉस तथा लीडरशिप कोर्स का संचालन किया जाता है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश के आर0सी0व्ही0पी0 नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल एवं प्रंबधन संस्था भोपाल व्दारा समय-समय पर जिन कोर्सेस का संचालन किया जाता है , उसमें सीटो के आवंटन के आधार पर होमगार्ड के विभागीय अधिकारियों को नामांकित किया जाता हैं।

माह जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक होमगार्ड व्दारा किये गये सराहनीय कार्यः-

राज्य शासन स्तर/मुख्यालय/कमाण्डेंट सी0टी0आई0/संभागीय कार्यालय एवं जिला स्तर कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी एवं स्वयं सेवी सैनिकों को उनके द्वारा किये गये सराहनीय कार्य/ लगन तथा कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से किये जाने के फलस्वरुप उनके उत्याहवर्धन हेतु प्रशंसा/नगद इनाम की राशि कुल राशि रु0 4,44,000/- से पुरुस्कृत किया गया ।

केन्द्रीय कल्याण निधि से दिनांक 01-01-2022 से 31-12-2022 तक कुल 85 मृतक कर्मचारी एवं सैनिकों के परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है ।

वर्ष 2022 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होमगार्ड विभाग के निम्नांकित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय का होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स "विशिष्ट सेवा पदक एवं सराहनीय" सेवा पदक प्रदान किया गया :-

26 जनवरी 2023 (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर

विशिष्ट सेवा पदक-

01- क्र. 33 श्री रामनाथ वर्मा, स्वयंसेवक कंपनी हवलदार मेजर, होमगार्ड, जिला नर्मदापुरम।

02- श्री रनदीप जग्गी, डिवीजनल वार्डन, सिविल डिफेंस, जिला-भोपाल।

15 अगस्त 2022 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर

सराहनीय सेवा पदक

01- क्रमांक 143 श्री विश्राम सिंह चौहान, स्वयंसेवक प्लाटून कमाण्डर, होमगार्ड जिला धार।

02- क्रमांक 156 श्री नासिर अली, स्वयंसेवक सैनिक, होमगार्ड जिला शाजापुर।

26 जनवरी 2023 (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर

सराहनीय सेवा पदक

01- क्रमांक 112 श्री भीषम सिंह सूर्यवंशी, स्वयंसेवक कम्पनी क्वार्टर मास्टर होमगार्ड, बालाघाट।

02- क्रमांक 70 श्री अनिल सोनी, स्वयंसेवक सैनिक, होमगार्ड जिला शाजापुर।

----00----

लोक अभियोजन संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल

1. **विभागीय संरचना**

1.1 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निष्पक्ष एवं एकीकृत अभियोजन व्यवस्था के निर्माण उदेश्य् से मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2(ई)168/87/ब(4)दो, दिनांक 08 जून 1987 के द्वारा लोक अभियोजन संचालनालय का गठन किया गया है ।
लोक अभियोजन संचालनालय द्वारा निम्न प्रमुख कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन किया जाता है :-

i. शासन के सभी विभागो की ओर से संस्थित अपराधिक प्रकरणों में उत्तरदायी/सक्षम अभियोजन संचालन सुनिश्चत करना ।
ii. विचारण न्यायालयों के समक्ष पूर्णकालिक अभियोजन की उपिस्थित सुनिश्चत करना ।
iii. लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजकों के कार्य का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, एवं अभियोजन कार्य के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना ।
iv. भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक F-NO.25016/52/2019-LC Government of India Ministry of Home Affairs IS-II Division/Legal/1 New Delhi दिनांक 04-12-2019 के अनुपालन में Mutual Legal assistance (MLA) Request एवं Letter Rogatory (LR) पर विधिक अभिमत ।
v. विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा-45 के पालन में अभियोजन स्वीकृति के प्रश्न पर परामर्श ।
vi. द.प्र.सं. की धारा-321 के अंतर्गत "प्रकरण वापसी" की कार्यवाही में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य ।
vii. शासन द्वारा वांछा किए जाने पर आपराधिक विधियों का परीक्षण/ परामर्श एवं अन्य ऐसे कार्य जो समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से शासन द्वारा सौंपे जाये ।

1.2 विभाग में जिला स्तर पर अभियोजन अधिकारियों को वर्तमान दो पृथक- पृथक संवर्ग है । नियमित संवर्ग के अधिकारीगणों, जिनका चयन म.प्र.लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है, का संपूर्ण स्थापना कार्य गृह विभाग के अंतर्गत अभियोजन संचालनालय द्वारा सम्पादित किया जाता है। असंवर्गीय अभियोजक (निजी अधिवक्ताओं में से संविदा आधार पर सीमित अवधि के लिए नियुक्त) द्वारा होती है। इनका स्थापना कार्य जिला दण्डधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाता है । इनका नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुषंगी कार्य संचालक लोक अभियोजन को सौंपा गया है।

1.3 माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में सम्पादित अपील एवं अन्य दाण्डिक अभियोजन कार्य का समन्वय अभियोजन संचालनालय के क्षेत्राधिकार में नही हैं ।

2. **<u>प्रशासकीय संरचना एवं कार्य -</u>**

लोक अभियोजन संचालनालय के अंतर्गत संचालनालय मुख्यालय, जिला स्तरीय कार्यालय 50 एवं तहसील स्तरीय अभियोजन कार्यालय 172 क्रियाशील हैं । आगर एवं निवाड़ी हेतु जिला कार्यालयों से अपेक्षित कार्य वर्तमान में पूर्ववर्ती जिला शाजापुर एवं टीकमगढ से ही कार्य सम्पन्न किया जा रहा है । विभाग द्वारा पुलिस, राज्य लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो आदि को प्रशिक्षण एवं सलाह हेतु प्रतिनियुक्ति द्वारा अभियोजन अधिकारी उपलब्ध कराए जाते हैं।

बजट

लेखा बजट शाखा द्वारा वर्ष 2022-23 बजट राशि कुल 1,07,16,35,000/- (शब्दों में एक सौ सात करोड़ सोल्लह लाख पैतीस हजार मात्र) आवंटन हुआ है। दिनांक 18.11.2023 तक राशि 85,27,80,797/- व्यय हुआ है, एवं रू. 16,43,72,594/- शेष है।

स्टोर/ क्रय

- लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल द्वारा संचालनालय हेतु 01 फोटो कापी मशीन एवं म.प्र. 17 मल्टीफंशन फोटो-कापी मशीने डीपीओ कार्यालयों को प्रदाय की गई ।

- विभागीय उपयोग हेतु कम्प्युटर डेस्कटाप, प्रिटर, लैपटॉप एवं यूपीएस क्रय की कार्यवाही प्रचलन में है।

- विभागीय उपयोग हेतु 06 दो पहिया वाहन क्रय की कार्यवाही की गई।

3 **<u>प्रशिक्षण</u>**

वर्ष 2022-23 में निम्नानुसार अभियोजन अधिकारियों का प्रशिक्षण कराया गया है:

i. **"साइबर अपराध की जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता"** विषय पर **808** अभियेाजन अधिकारियेां को प्रशिक्षण दिया गया।

ii. **"किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012"** विषय पर दिनांक 14.01.2023 को जिला जबलपुर द्वारा राज्य स्तरीय संभागीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर संभाग के **102** अभियोजन अधिकारी, पुलिस अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई।

iii. **"किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012"** विषय पर दिनांक 04.09.2022 को जिला ग्वालियर द्वारा राज्य स्तरीय संभागीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें ग्वालियर संभाग के **258** अभियोजन अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई।

iv. **"किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012"** विषय पर दिनांक 27.08.2022 को जिला इंदौर द्वारा राज्य स्तरीय संभागीय

कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर एवं उज्जैन संभाग के **52** अभियोजन अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई।

v. Radio Training, PCPNDT, CIIS 2022, SVPNPA, Hyderabad, NCRB, Delhi आदि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में **137** ADPO आदि का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

vi. LNJN, New Delhi में 08 ADPO, CDTI, Ghaziabad में 08 ADPO, CDTI, Jaipur में 03 ADPO, CAPT, Bhopal में 59 ADPO, CDTI, Kolkata में 01 ADPO का प्रशिक्षण आयोजित कराया गया।

vii. SVPNPA, Hyderabad में 02 DPO, CDTI, Jaipur में 01 DPO, CDTI, Jaipur में 02 Addl. DPO का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

viii. दिनांक 19 एवं 20 जनवरी 2023 को CAPT, Bhopal द्वारा आयोजित 5th National Conference On Prosecution में म.प्र. अभियोजन अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण सहभागिता की गई।

4 **<u>आई.टी.</u>**

i. अभियोजन विभाग अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा संचालित ICJS परियोजनामें लोक अभियोजन म.प्र. ने आईसीजेएस ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल में वर्ष 2022 में सर्वाधिक द्वितीय 10,02,529 डाटा एंट्री किये जाने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर लगातार द्वितीय वर्ष **द्वितीय स्थान** प्राप्त किया।

ii. लोक अभियोजन विभाग में अभियोजन अधिकारी स्तर की वर्ष 2021-22 की गोपनीय चरित्रावली, स्पेरो प्रणाली के माध्यम से भरी जाना प्रारंभ की जा चुकी है, जिसमें 876 अभियोजन अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली निर्धारित समयावधि में भरी गयी तथा समयावधि में संसूचित की गयी, जिससे विभाग में पारदर्शिता में बढोत्तरी हुई है।

iii. वर्ष 2022-23 की अभियोजन कर्मचारीगण स्तर की गोपनीय चरित्रावली, स्पेरो प्रणाली के माध्यम से भरी जाने हेतु कार्य प्रगति पर है जिसे नियत समय तक पूर्ण कर लिया जावेगा।

5 **<u>अभियोजन मेन्यूअल</u>**

वर्तमान में राज्य शासन गृह विभाग के अंतर्गत संचालित लोक अभियोजन संचालनालय एवं अधिनस्थ अभियोजन कार्यालयों के दैनिक कार्य निष्पादन हेतु विभागीय कार्य नियमावली अनुपब्ध होने से विभागीय कार्य निष्पादन में कठिनाईयों का आना एवं कार्य में एक रूपता का अभाव होने से विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप **अभियोजन कार्य नियमावली (Prosecution Manual)** प्रारूप तैयार किया गया है, जो शासन में विचाराधीन है ।

6 **<u>शासन द्वारा अभियोजन से संबंधित वर्ष में जारी प्रमुख अधिसूचनायें</u>**

i. म.प्र. राजपत्र (असाधारण) गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारीअधिसूचना दिनांक 16.11.2022 द्वारा क्र. 3703-3329-2022-बी-4-दो- राज्य, शासन, "राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम", 2008 की धारा 15 सहपठित धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11 सहपठित धारा 22 के अंतर्गत अनिहित विशेष न्यायालयों के समक्ष अभियोजन का संचालन करने के लिए संबंधित जिले में पदस्थ उप-संचालक लोक अभियोजन, जिला अभियोजन अधिकारी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा 7 वर्ष या उससे अधिक सेवा अनुभव के सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारियों को एतद्द्वारा "विशेष लोक अभियोजक" के रूप में नियुक्त किया गया है।

ii. म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.11.2022 द्वारा म.प्र.एसटीएफ द्वारा अन्वेषित प्रकरणों के विचारण हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा पदाविहित न्यायालयों के समक्ष अभियेाजन संचालन हेतु संबंधित जिले में पदस्थ उप-संचालक लोक अभियोजन, जिला अभियोजन अधिकारी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा के सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारियों को एतद्द्वारा " विशेष लोक अभियोजक" के रूप में नियुक्त किया गया है।

iii. म.प्र.शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.12.2022 द्वारा म.प्र. पुलिस की विशेष इकाईयों, एटीएस, सायबर सेल एवं अपराध अन्वेषण ब्यूरो (सीआईडी) द्वारा अन्वेषित अपराध से उत्पन्न सत्र प्रकरणों में जिले में पदस्थ उप-संचालक लोक अभियोजन, जिला अभियोजन अधिकारी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा के सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारियों को एतद्द्वारा " विशेष लोक अभियोजक" के रूप में नियुक्त किया गया है ।

7 **<u>न्यायालयों में अभियोजन -</u>**

प्रारूप अ

संवर्गीय अधिकारियों द्वारा संचालित प्रकरणों की जानकारी दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक

(विभिन्न् अपराधो के अंतर्गत)

क्रं0	अपराध की श्रेणी	कुल प्रकरणों की संख्या जिसमें पैरवी की गई	सजा हुए प्रकरणों की संख्या	बरी हुए प्रकरणों की संख्या	उन्मोचित प्रकरणों की संख्या	सजा की दर
1	**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिअत्याचार निवारण अधिनियम**	18737	383	922	2	29.35
2	**अन्य विधान के अधिनस्थ न्यायालयों के प्रकरण**	260284	135988	11796	8	92.02
3	**अन्य विधान के सत्र न्यायालयों के प्रकरण**	61429	1733	2084	16	45.40
4	**एनडीपीएस एक्ट**	3155	189	100	0	65.40
5	**चिन्हित प्रकरण**	4142	693	288	0	70.64
6	**पॉक्सो एक्ट**	22334	2262	4674	5	32.61
7	**महिला अपराध**	3031	61	273	0	18.26
8	**भादवि के अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण**	834123	30633	18765	43	62.01
9	**भादवि के अन्य सत्र प्रकरण**	12568	636	1674	2	27.53
10	**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम**	1033	99	71	1	58.24
11	**विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम**	90	71	6	0	92.21
12	**कुल**	**1220926**	**172748**	**40653**	**77**	**80.95**

स्त्रोत : जिला अभियोजन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ।

प्रारूप -ब

संवर्गीय अधिकारियों की गई न्यायालयीन कार्यवाही की जानकारी दिंनाक 01-01-2022 से 31-12-2022 की स्थिति में (प्रकरण के विभिन्न स्तर पर की गई कार्यवाही के आंकडे)

स; क्र;	कुल प्रस्तुत ट्रायल प्राग्राम	कुल आरोप तर्क	कुल परीक्षित अभियोजन बचाव साक्षी	कुल प्रस्तुत लिखित बहस	कुल मौखिक बहस	पुलिस रिमांड प्रकरणों में उपस्थिति	जमानत आवेदन पर सुनवाई में उपस्थिति	कुल अपील प्रस्ताव प्रस्तुत	कुल रिवीजन प्रस्ताव प्रस्तुत	पीडित योजना के तहत		कुल प्रकरण जिन का प्रकरण वापसी हेतु परीक्षण	कुल प्रकरण जिसमें प्रकरण वापसी का न्यायालय में आवेदन लगाया गया	कुल साक्षी जिन्हे साक्षी सहायता डेस्क् के माध्यम से सहायता प्रदान की गइ्र
										प्रस्तुत आवेदनों की संख्या	दिलाए गये प्रतिकर की राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	17699	118549	995807	3213	86665	21051	66151	3716	168	385	45421601	25564	4396	22827

स्त्रोत : जिला अभियोजन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ।

प्रारूप -स

संवर्गीय अधिकारियों द्वारा दिये गये अभिमत/स्क्रूटिनी की जानकारी दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की स्थिति में

स.क्र.	एफआईआर से पूर्व दिये गये अभिमत	एफआईआर के पश्चात् अनुसंधान के दौरान किये गये कुल अभिमत	अभियोग पत्र प्रस्तुति से पूर्व स्क्रूटनी	बिना स्क्रूटनी अभिमत के न्यायालय को कुल अग्रेषित प्रकरणों की संख्या	कुल विधिक अभिमत जो प्रदान किये गये	कुल अभिमतों में विहित प्रारूप में प्रदत्त विधिक अभिमत की संख्या	विहित प्रारूप का उपयोग किए बिना ही दिये गये अभिमतों की संख्या
0	1	2	3	4	5	6	7
1	1403	4936	16590	22813	13283	9500	3096

स्त्रोत : जिला अभियोजन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ।

प्रारूप -द										
संवर्गीय अधिकारियों किये गये विविध कार्य की जानकारी दिनांक 01.01. 2022 से 31.12.2022 तक										
स.क्र.	जिला मानिटरिंग सेल की बैठक जिसमें DPO/ ADPO द्वारा हिस्सा लिया गया	चिन्हित प्रकरणों की जिला बैठकें जिसमें भाग लिया	किशन जी भाई कमेटी में कुल प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	जिला बदर के प्रकरणों में उपस्थिति	एन.एस.ए. के प्रकरणों में उपस्थिति	जिला दंडाधिकारी के समक्ष राजसात व अन्य कार्यवाहीयों में उपस्थिति	प्रकरण वापसी की जिला समिति की कुल बैठक जिसमें भागीदारी की गई	SC/ST (POA) Act की राहत संबंधी बैठकों की संख्या जिसमें हिस्सा लिया गया	ब्रीफ जिला अधिकारियों द्वारा ली गई अन्य कुल बैठकें जिसमें हिस्सा लिया गया	जिला में आयोजित प्रशिक्षण जिन्हे आयोजित किया गया/जिसमें हिस्सा लिया गया
0	1	**2**	**3**	4	**5**	**6**	7	**8**	**9**	10
1	520	859	8125	1069	81	532	337	197	866	736

स्त्रोत : जिला अभियोजन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ।

प्रारूप -य

संवर्गीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त अन्य उपलब्धियों की जानकारी दिनांक 01.01. 2022 से 31.12.2022 तक

क्र.	यदि अधिकारियों ने स्वयं के ज्ञानवर्द्धन दक्षता संवर्धन के लिए स्वध्याय के द्वारा प्रशिक्षण लिये है, तो उनका उल्लेख किया जावें।	इसी प्रकार यदि पुस्तक लिखी हो, कोई लेख किया हो जो व्यवसायिक पत्र/पत्रिकाओं में छपा हो तो उसका विवरण देंवे।	अन्य विभागों से प्राप्त पुरस्कार/सम्मान/प्रशंसा पत्र/न्यायिक निर्णय-आदेश-सुनवाई में प्रशंसा रिकार्ड पर आई हो तो, उसका उल्लेख करें।	यदि किसी प्रकरण में उल्लेखनीय/अभूतपूर्व सफलता मिली हो, तो उसका उल्लेख करें। (मृत्यु दण्ड सजा के सभी प्रकरणों का उल्लेख करें)	यदि कोई नवाचार किया गया हो, तो इसका उल्लेख करें।
0	1	2	3	4	5
1	567	13	350	342	48

स्त्रोत : जिला अभियोजन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ।

प्रारूप अ						
असंवर्गीय अधिकारियों द्वारा संचालित प्रकरणों की जानकारी दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की स्थिति में (विभिन्न् अपराधो के अंतर्गत)						
क्रं0	अपराध की श्रेणी	कुल प्रकरणों की संख्या जिसमें पैरवी की गई	सजा हुए प्रकरणों की संख्या	बरी हुए प्रकरणों की संख्या	उन्मोचित प्रकरणों की संख्या	सजा की दर
1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिअत्याचार निवारण अधिनियम	9561	371	1353	5	21.52
2	अन्य विधान के अधिनस्थ न्यायालयों के प्रकरण	7	0	0	0	0
3	अन्य विधान के सत्र न्यायालयों के प्रकरण	2927	244	739	0	24.82
4	एनडीपीएस एक्ट	2201	181	150	3	54.68
5	चिन्हित प्रकरण	170	27	17	0	61.36
6	पॉक्सो एक्ट	561	56	90	0	38.36
7	भादवि के अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण	40	0	17	0	0.00
8	भादवि के अन्य सत्र प्रकरण	19282	1549	4058	25	27.63
9	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम	0	0	0	0	0.00
10	विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम	0	0	0	0	0.00
11	महिला अपराध	6462	316	1379	4	18.64
12	कुल	41211	2744	7803	37	26.02

नोट:-

उपरोक्त जानकारी 25 जिलों से प्राप्त आंकडो को एक्जाई कर तैयार की गई है - आगर, अलीराजपुर, अनूपपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा , देवास, डिण्डौरी, गुना , दमोह, हरदा, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, मण्डला , नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, सिंगरौली, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, उज्जैन एवं विदिशा । शेष जिलों से जानकारी अप्राप्त है ।

प्रारूप ब

असंवर्गीय अधिकारियों की जानकारी दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की स्थिति में

स.क्र;	कुल प्रस्तुत ट्रायल प्रोग्राम	कुल आरोप तर्क	कुल परीक्षित अभियोजन/ बचाव साक्षी	कुल प्रस्तुत लिखित बहस	कुल मौखिक बहस	पुलिस रिमांड प्रकरणों मे उपस्थिति	जमानत आवेदन पर सुनवाई में उपस्थिति	कुल अपील प्रस्ताव प्रस्तुत	कुल रिवीजन प्रस्ताव प्रस्तुत	पीडित प्रतिकर योजना के तहत		कुल प्रकरण जिनका प्रकरण वापसी हेतु परीक्षण किया गया	कुल प्रकरण जिसमें प्रकरण वापसी का न्यायलय में आवेदन लगाया गया	कुल साक्षी जिन्हे साक्षी सहायता डेस्क के माध्यम से सहायता प्रदान की गई
										प्रस्तुत आवेदनों की संख्या	दिलाए गये प्रतिकर की राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	7093	5502	32341	335	5759	470	10580	237	47	27	319530	6	1	327

नोट:-

उपरोक्त जानकारी 25 जिलों से प्राप्त आंकडो को एक्जाई कर तैयार की गई है - आगर, अलीराजपुर, अनूपपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा , दमोह देवास, डिण्डौरी, गुना, हदा, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, मण्डला , नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, सिंगरौली, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, उज्जैन एवं विदिशा । शेष जिलों से जानकारी अप्राप्त है ।

प्रारूप -स							
असंवर्गीय अधिकारियों की जानकारी दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की स्थिति में							
स.क्र.	एफआईआर से पूर्व दिये गये अभिमत	एफआईआर के पश्चात् अनुसंधान के दौरान किये गये कुल अभिमत	अभियोग पत्र प्रस्तुति से पूर्व स्क्रूटनी	बिना स्क्रूटनी अभिमत के न्यायालय को कुल अग्रेषित प्रकरणों की संख्या	कुल विधिक अभिमत जो प्रदान किये गये	कुल अभिमतों में विहित प्रारूप में प्रदत्त विधिक अभिमत की संख्या	विहित प्रारूप का उपयोग किए बिना ही दिये गये अभिमतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	32	204	70	31	12	25

नोट:-

उपरोक्त जानकारी 25 जिलों से प्राप्त आंकडो को एक्जाई कर तैयार की गई है - आगर, अलीराजपुर, अनूपपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा , दमोह, देवास, डिण्डौरी, गुना, हरदा, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, मण्डला , नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, सिंगरौली, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, उज्जैन एवं विदिशा । शेष जिलों से जानकारी अप्राप्त है ।

प्रारूप -द										
असंवर्गीय अधिकारियों की जानकारी दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की स्थिति में										
स.क्र.	जिला मानिटरिंग सेल की बैठक जिसमें हिस्सा लिया गया	चिन्हित प्रकरणों की जिला बैठकें जिसमें भाग लिया	किशन जी भाई कमेटी में कुल प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	जिला बदर के प्रकरणों में उपस्थिति	एन.एस.ए. के प्रकरणों में उपस्थिति	जिला दंडाधिकारी के समक्ष राजसात व अन्य कार्यवाहीयों में उपस्थिति	प्रकरण वापसी की जिला समिति की कुल बैठक जिसमें भागीदारी की गई	SC/ST (POA) Act की राहत संबंधी बैठकों की संख्या जिसमें हिस्सा लिया गया	ब्रीफ जिला अधिकारियों द्वारा ली गई अन्य कुल बैठकें जिसमें हिस्सा लिया गया	जिला में आयोजित प्रशिक्षण जिन्हे आयोजित किया गया/जिसमें हिस्सा लिया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	67	38	82	2	0	0	9	20	15	34

नोट:-

उपरोक्त जानकारी 25 जिलों से प्राप्त आंकडो को एक्जाई कर तैयार की गई है - आगर, अलीराजपुर, अनूपपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा , दमोह ,देवास, डिण्डौरी, गुना, हदा, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, मण्डला , नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, सिंगरौली, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, उज्जैन एवं विदिशा । शेष जिलों से जानकारी अप्राप्त है ।

प्रारूप -य					
असंवर्गीय अधिकारियों की जानकारी दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की स्थिति में					
स.क्र.	**यदि अधिकारियों ने स्वयं के ज्ञानवर्द्धन दक्षता संवर्धन के लिए स्वध्याय के द्वारा प्रशिक्षण लिये है, तो उनका उल्लेख किया जावें।**	**इसी प्रकार यदि पुस्तक लिखी हो, कोई लेख किया हो जो व्यवसायिक पत्र/पत्रिकाओं में छपा हो तो उसका विवरण देंवे।**	**अन्य विभागों से प्राप्त पुरस्कार/सम्मान/प्रशंसा पत्र/न्यायिक निर्णय-आदेश-सुनवाई में प्रशंसा रिकार्ड पर आई हो तो, उसका उल्लेख करें।**	**यदि किसी प्रकरण में उल्लेखनीय/अभूतपूर्व सफलता मिली हो, तो उसका उल्लेख करें। (मृत्यु दण्ड सजा के सभी प्रकरणों का उल्लेख करें)**	**यदि कोई नवाचार किया गया हो, तो इसका उल्लेख करें।**
1	2	3	4	5	6
1	26	0	48	4	2

नोटः- उपरोक्त जानकारी 25 जिलों से प्राप्त आंकडो को एक्जाई कर तैयार की गई है - आगर, अलीराजपुर, अनूपपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा , दमोह, देवास, डिण्डौरी, गुना, हरदा, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, मण्डला , नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, सिंगरौली, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, उज्जैन एवं विदिशा । शेष जिलों से जानकारी अप्राप्त है ।

----00----

संचालनालय सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश

भाग-एक

1. संचालनालय सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश शासन का एक स्थाई विभाग है जो गृह (सामान्य) विभाग के अधीन कार्यरत है। यह विभाग प्रदेश के युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओंए विकलांग भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुर्नवास तथा सेवारत सैनिकों के परिवार के सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्य करता है।

2. देश के औसतन 55,000 सैनिक प्रत्येक वर्ष 35 से 50 वर्ष की आयु में सेना से सेवानिवृत होते है। इनमें से मध्यप्रदेश के सैनिक लगभग 1500-2000 होते है तथा वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 66616 पूर्व सैनिक एवं धर्म पत्नियां पंजीकृत है। इस संचालनालय के प्रमुख कार्य युद्ध में शहीद सैनिकों की वीरनारियों, भूतपूर्व सैनिकों की धर्म पत्नियां, उनके आश्रितों, युध्द दिव्यांग सैनिकों तथा अन्य पूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु तथा सेना में सेवारत सैनिकों के परिवार के सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यो में सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश राज्य का सैन्य सेवा हेतु भर्ती कोटा अब बढ कर 7.5 प्रतिशत हो गया है, अत: भविष्य में 5000-6000 सैनिक प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो कर प्रदेश में बसेंगे, उनके हित के लिए यह संचालनालय कार्यरत व तैयार है।

विभागीय गतिविधियां/दायित्व

3. राज्य शासन द्वारा "मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष" की स्थापना की गई है जिसके अन्तर्गत युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही के साथ साथ आंतकी हमला/नक्सली हमला/आन्तरिक सुरक्षा के दौरान शहीद सैनिकों की धर्म पत्नियां एवं दिव्यांग सैनिको को उनकी अशक्तता के अनुरूप अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(अ) अनुग्रह अनुदान:- वर्ष 2022-23 में शासन के आदेशानुसार युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही के साथ आतंकी हमला/ नक्सली हमला/आन्तरिक सुरक्षा के दौरान 02 दिव्यांग सैनिकों को रूपये 7.00 लाख मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष से प्रदान किये गये है।

(ब) आर्थिक सहायता:- वर्ष 2022-23 में 249 भूतपूर्व सैनिको/विधवाओं एवं उनके आश्रितों को विभिन्न उददेश्यों के लिये रूपये 47,88,000/- की आर्थिक सहायता कल्याण निधि से वितरित की गई है।

(स) सेना के शहीदों के माता पिता को पेंशन:- मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी सेना के शहीद सैनिकों के माता पिता को पेंशन रू 5,000/- प्रतिमाह दिनांक 24 मार्च 2017 से स्वीकृत करने का आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है। योजना के अंर्तगत फरवरी 2023 तक 28 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।

(द) राज्य शासन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के 118 नान पेंशनर्स भूतपूर्व सैनिकों/धर्म पत्नियां को रूपये 8,000/- प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

(क) छात्रवृत्ति:- वर्ष 2022-23 में विभिन्न कक्षाओं में उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को 514 प्रकरणों में रूपये 42,**35,5**00/- की छात्रवृत्ति कल्याण निधि से वितरित की गयी ।

(ख) सम्मान निधि:- इस योजना के अंतगर्त वर्ष 2022-23 में राज्य के 45 माता-पिता जिनकी पुत्री सैन्य सेवा में सेवारत है उन्हे प्रोत्साहन के तौर पर सम्मान निधि रू 4.70 लाख प्रदान किये गये है।

(ग) मेडल प्राप्तकर्ताओं को वित्तीय सहायता:- राज्य शासन द्वारा **10** (वीरता एवं विशिष्ट सेवा) मेडल प्राप्तकर्ताओं को रूपये 12,40,000/**-** प्रदान किये गये।

(घ) प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना:- प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 98 पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं के पुत्र/पुत्रियों के आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये है।

(ङ) पुनर्वास:- भारतीय सशस्त्र सेना से सेवा निवृत्त होने वाले भूतपूर्व सैनिक अपेक्षाकृत जवान होते है। अत: केन्द्र शासन और राज्य शासन का यह उत्तरदायित्व है कि उनके पुनर्वास हेतु उन्हे पुनर्नियोजित करें। राज्य शासन ने संचालनालय सैनिक कल्याण को रोजगार हेतु भूतपूर्व सैनिकों का नाम प्रायोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है कि वे केन्द्र शासन, राज्य शासन और सार्वजनिक उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के लिये भूतपूर्व सैनिकों के नाम प्रायोजित करें।

राज्य सैनिक बोर्ड मीटिंग/समामेलित विशेष निधि मीटिंग :- समामेलित विशेष निधि की 21वी बैठक दिनांक 06 जनवरी 2022 को संपन्न हुई एवं राज्य सैनिक बोर्ड की मीटिंग विश्व महामारी कोविड-19 की वजह से वर्ष 2021-22 में आयोजन नही किया गया।

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार :- भूतपूर्व सैनिकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उददेश से मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति की स्थापना वर्ष 1992 से की गई है, जिसके माध्यम से वर्तमान में 658 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

सीएम हेल्प लाइन :- सेवारत सैनिक/भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित अपनी शिकायतों के निवारण हेतु सीएम हेल्प लाइन में शिकायत दर्ज कर सकते है। शिकायतों का निराकरण सात दिवस में किया जाता है। वर्ष 2022-23 में कुल **18** शिकायते प्राप्त हुई थी, जिसका 18 निराकरण कर दिया गया है।

भूतपूर्व सैनिक रैली :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जबलपुर एवं ग्वालियर में राज्य स्तरीय रैलियों का तथा रतलाम एवं सीधी में जिला स्तरीय रैलियों का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु प्रयासरत है।

<u>स्वच्छता अभियान</u>:- समस्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर क्षेत्रीय नागरिकों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा रहा है एवं परिसर स्वच्छ रखने हेतु प्रयास किया जा रहा है। रैलियों के माध्यम से भी स्वस्थ भारत एवं स्वच्छता के बारे जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

संचालनालय सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश की वेबसाइट का नवीनीकरण कार्य, वेबसाईट को यूजर फ्रेन्डली, इन्टर एक्टिव एवं संचालित योजनाओं को डिजिटल माध्यम से संचालित कराने का कार्य स्टेट एनआईसी द्वारा कराया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है।

<u>भाग- दो</u>

<u>योजनानुसार बजट, बजट प्रबंधन एवं व्यय</u>

1. **<u>बजट</u>** :- संचालनालय सैनिक कल्याण एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के स्थापना एवं कार्यालयीन व्यय पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का 60 प्रतिशत भाग केन्द्रीय शासन एवं 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मांग 3 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय आयोजनोत्तर के अन्तर्गत इस विभाग के लिए बजट आंवटित किया जाता है। गत तीन वर्षो का बजट आवंटन एवं व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**कुल बजट आवंटन**	**वर्ष का कुल व्यय**
2020-21	16,07,19,000.00	12,**73,70,686**.00
2021-22	16,30,91,000.00	13,67,98,688.00
2022-23	18,87,44,600.00	12,72,10,763.00 (दिनांक 19.01.23 तक)

<u>केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति</u> :- विभाग द्वारा व्यय राशि का 60 प्रतिशत अंश शासन से प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 (03 वर्षो) की केन्द्रांश की 60 प्रतिशत अंतिम दावा भुगतान की राशि रू 18,66,89,928/- बकाया है जिसकी मांग केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय दिल्ली को भेजी गयी है। जिसकी राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है।

<u>झंडा दिवस राशि (लक्ष्य एवं एकत्रीकरण)</u>

3. झंडा दिवस :- प्रत्येक वर्ष 07 दिसम्बर को समस्त भारत वर्ष में झंडा दिवस का आयोजन किया जाता है। झण्डा दिवस में शासकीय कार्यालयों, निजी प्रतिष्ठानों एवं प्रदेश के नागरिकों से, भूतपूर्व सैनिकों/ विधवाओं के कल्याण हेतु दान राशि एकत्रित की जाती है, इस राशि का उपयोग

भूतपूर्व सैनिकों/ विधवाओं एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता जैसे छात्रवृत्ति, विकलांग/अंध बच्चों को आर्थिक सहायता एवं जीवन यापन इत्यादि हेतु दिया जाता है। यह राशि समामेलित विशेष निधि में जमा की जाती है जिसके अध्यक्ष मा0 राज्यपाल महोदय है। गत चार वर्षो मे एकत्रित की गई धन राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	लक्ष्य	एकत्रित धन राशि
2018	2,90,60,000.00	3,86,75,276**.00**
2019	2,90,60,000.00	2,53,43,**872.20**
2020	3,19,88,000.00	2,89,45,975.00
2021	3,19,88,000.00	3,24,60,942.28

भाग-तीन

सामान्य प्रशासनिक विषय।

1. **विभाग में न्यायालयीन प्रकरण** - माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर/माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर में स्थापना से संबंधित 14 एवं कल्याण से संबंधित 01 प्रकरण लम्बित है जिनकी निगरानी की जा रही है।
2. **नियुक्तियॉ** :- वर्ष 2022-23 में प्रथम श्रेणी के 02 अधिकारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई।
3. **विभागीय पदोन्नतियॉ** :- इस संचालनालय के अंतर्गत 24 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कार्यरत है। जिसमें कुल 176 कर्मचारियों के पद है। 2022-23 में लोक सेवा आयोग के तहत 01 पदोन्नति हुई है।
4. **स्थानांतरण** :- वर्ष 2022-23 में 06 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया ।

भाग-पांच

सारांश

इस संचालनालय का मुख्य कार्य सेना से सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को पुनर्वास उपलब्ध कराना एवं भारतीय सशस्त्र सेना में सेवारत शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु कल्याणकारी योजनायें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना है। जिसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न प्रमुख विकसित संस्थाओं/ निकायों, सरकारी एंव निजी स्त्रोतों तथा भिन्न भिन्न विभागों से संपर्क किया जाता है। इसके अलावा संचालनालय एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से जरूरतमंद नि:सहाय भूतपूर्व सैनिको एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुचाने के लिये भूतपूर्व सैनिक रैलियों का आयोजन किया जाता है तथा इन रैलियों में विभिन्न स्टॉल लगाकर समस्याओं का निराकरण किया जाता है एवं सुविधायें प्रदान की जाती है जैसे चिकित्सा, पेंशन, अन्य समस्याओं का समाधान, राजस्व विभाग, सी.एस.डी. केन्टीन, अभिलेख कार्यालय इत्यादि।

---------000---------

संपदा संचालनालय, भोपाल

संपदा संचालनालय द्वारा शासकीय आवासों के आवंटन संबंधी कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में 'भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000 (संशोधित 04.10.2013, 01.10.14, 23.05.16) प्रभावशील है, जिसके अन्तर्गत शासकीय आवास आवंटन की कार्यवाही की जाती है। मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन निष्कासन प्रकरण भी संधारित किये जाते हैं। आवासों के आवंटन हेतु सामान्यतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता का क्रम रखा जाता है। 'एफ' श्रेणी के आवासों में पदस्थापना की वरिष्ठता एवं वेतनमान की वरिष्ठता दोनों के अनुसार आवास आवंटित किये जाते हैं। 'एफ' श्रेणी के आवास आवंटन समिति के निर्णय के अनुसार संचालक द्वारा आवंटित किये जाते हैं। संचालनालय द्वारा विभिन्न प्रकार के शासकीय आवासों यथा:- बी श्रेणी-105, सी श्रेणी-61, डी श्रेणी-255, ई श्रेणी-483 तथा एफ श्रेणी-1981, जी श्रेणी-3649, एच श्रेणी-2159, आई श्रेणी-2509 शासकीय आवास, इस प्रकार कुल 11,202 शासकीय आवास है। शासन की स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत साउथ एवं नार्थ टी टी नगर के 3146 आवासों को तोडे जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इस प्रकार कुल 8056 शासकीय अवासों का आवंटन एवं निष्कासन की कार्यवाही की जाती है।

<u>नवाचारः-</u>

नई तकनीक के प्रयोग से आवासों के आवंटन हेतु ई-आवास Web-Poral: www.sampada.mp.gov.in NIC के माध्यम से विकसित किया गया है। गृह विभाग द्वारा गठित समिति के द्वारा वरिष्ठता के आधार पर आवास आवंटन नियम अंतर्गत एफ, जी, एच एवं आई श्रेणी के आवास आवंटित किये जाते है। नवीन वेबपोर्टल द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2020 से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है । इस वेबसाईट के माध्यम से अपने शासकीय आवास आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

एक ओर जहां नई तकनीक के प्रयोग से आवासों के आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। वहीं दूसरी ओर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। इस नई ई-आवास प्रणाली से दिनांक 14.02.2020 को भोपाल स्थित समस्त"आहरण संवितरण अधिकारियों"को परिचित कराने के लिए 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आवास आवंटन उपरांत E-mail/SMS द्वारा आवंटन की जानकारी संबंधित शासकीय आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर भी दी जाती है एवं आवंटन की सूची कार्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाती है। समस्त शासकीय आवासों में निवासरत् अधिकारियें/कर्मचारियों से एप्म्लाई कोड प्राप्त किये जा रहे है एवं जिसके आधार पर जीओ-टैंगिग का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

<u>आवास आवंटनः-</u>

'एफ' 'जी', 'एच' एवं 'आई' श्रेणी के आवासों का आवंटन पूर्णतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। यह वरिष्ठता सूची स्थायी रूप से संधारित होकर संचालनालय की वेबपोर्टल

www.sampada.mp.gov.in पर प्रदर्शित की जावेगी। श्रेणियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन/ गंभीर बीमारी, महिला कोटा (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित) आदि के लिये आरक्षण का प्रावधान है। अतएव आरक्षित श्रेणियों की वरिष्ठता पृथक-पृथक संधारित की जाती है। शासकीय आवासों का आवंटन आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाता है ।

शासन द्वारा साउथ/नार्थ टी टी नगर स्थित स्मार्ट सिटी योजना के रहवासियों से आवास रिक्त कराये जाकर सामान्य श्रेणी के नवीन आवास आवंटित किये जा रहे है। इस कारण जी,एच एवं आई श्रेणी के अंतर्गत रहवासियों के लिये आवास सुरक्षित रखे गये है। आवास आवंटन समिति की बैठक दिनांक 30.03.2022 में जी श्रेणी के अंतर्गत कुल 25 एवं एफ श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न बैठको में समिति द्वारा आज दिनांक तक कुल 293 आवास आवंटित किये गये है।

<u>स्मार्ट सिटीः-</u>

भोपाल शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए संपदा संचालनालय द्वारा साउथ एवं नार्थ टी0टी0 नगर के एफ श्रेणी से आई श्रेणी तक के कुल 3146 शासकीय आवास रिक्त कराये जाकर शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियेां को अन्य वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराये जा रहे है। स्मार्ट सिंटी योजना के अंतर्गत साउथ एंव नार्थ टीटी नगर के तोडे जा रहे आवासों के स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी द्वारा जहॉगीराबाद स्थित महालक्ष्मी परिसर के एफ श्रेणी 180, जी श्रेणी 320 एवं एच श्रेणी 51 इस प्रकार कुल 551 आवास आवंटित किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री, नया भोपाल संभाग, लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये गये है। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त आवास संपदा संचालनालय को आवंटन हेतु उपलब्ध कराये गये है।

महालक्ष्मी परिसर स्थित आवासों में से जी श्रेणी 120 आवास एवं एफ श्रेणी 40 आवास कुल 160 आवास म.प्र.पुलिस महानिरीक्षक को सीआई कॉलोनी जहागीराबाद का क्षेत्र भोपाल मेट्रो सिटी योजना में आने के कारण पुलिस विभाग के कर्मचारियो के विस्थापितो को आवंटित किये गये है। महालक्ष्मी परिसर के शेष आवासो का आवंटन भी किया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी के कुल 3146 आवासों में से 1897 आवास परिवर्तन कर रिक्त कराये गये है। स्मार्ट सिटी भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार होटल पलाश के सामने निर्माणधीन फेस 1 में नवीन आवास एफ-336, जी-364 कुल 700 आवासो का कार्य प्रगति पर है। स्मार्ट सिटी योंजना के अंतर्गत रिक्त कराये जाने वाले आवासों के स्थान पर अन्य वैकल्पिक आवास अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित होने तक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा जी,एचं एवं आई श्रेणी के नवीन आवास आवंटन पर रोक लगाई गयी है अतः जी, एच एवं आई श्रेणी की आवास आवंटन समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।

<u>बजट प्रावधान वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 :</u>

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग संख्य-03, अंन्तर्गत रू. 1,84,01लाख बजट प्रावधानित है एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट राशि रू.2,47,36लाख का प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की ओर स्वीकृति हेतु भेजा गया है ।

संपदा संचालनालय व्दारा किसी भी प्रकार की योंजना/परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, और न ही शासन व्दारा योजना हेतु बजट राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

---------000---------

कार्यालय मेडिकोलीगल इन्स्टीट्यूट
मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग
(गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भवन, भोपाल)

1- विभागीय संरचना :-

भारत सरकार द्वारा वर्ष-1964 के गठित सर्वेक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय की यह अपेक्षा थी कि देश में प्रत्येक राज्य में मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना इस लिए की जाये कि पूरे देश में मेडिकोलीगल का कार्य बहुत ही निम्न स्तर का था, जिसे ऊपर उठाया जाये। अतः उस समय की सिफारिश के अनुसार वर्ष-1977 में मध्यप्रदेश शासन को भोपाल में देश का प्रथम मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना का श्रेय प्राप्त हुआ। संस्थान के स्थापना वर्ष से कुल स्वीकृत पदों का विभागीय सेटअप-53 पदों का है एवं नवीन पदों का कोई सृजन शासन स्तर से नहीं किया गया है।

2- विभाग के कार्य एवं उद्देश्य :-

1. मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से सन्दर्भित किये गये मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशिष्ट मत देना तथा सन्दर्भित किये गये शवों का शव परीक्षण करना ।
2. फोरेन्सिक मेडिसिन विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन में सहायक होना ।
3. न्यायालयिक, कार्यपालिक, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के मध्य अत्यन्त निकट का सामनजस्य बनाये रखना तथा अपराध, हत्या, बलात्कार आदि प्रकरणों में उपयुक्त परामर्श देना।
4. पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, न्याय विभाग के न्यायाधीशों, लोक अभियोजन अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायक शल्य चिकित्सकों के अधिकारियों को मेडिकोलीगल विषय में समुचित प्रशिक्षण देना।
5. अप्राकृतिक तथा संदिग्ध मृत्यु के कारणों का पता लगाना।
6. घटना स्थलों का निरीक्षण करना।
7. इस संस्थान में सभी प्रकार की अनुसंधान की प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं। जिसमें मुख्य रूप से फोरेन्सिक एनथ्रोपोलॉजी, एन्टोमोलॉजी, टॉक्सीकोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी तथा डॉयटम-टेस्ट आदि से संबंधित अनुसंधानात्मक प्रयोगशालायें हैं। इसके अतिरिक्त अपराध की पुर्नरचना एवं अनुसंधानात्मक विश्लेषण भी किया जाता है।

3- विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी एवं प्रमुख विशेषताएं :-

इस संस्थान में मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशिष्ट मत देना, शवों का शव-परीक्षण करना, अप्राकृतिक तथा संदिग्ध मृत्यु के कारणों का पता लगाना एवं इस विषय में संबंधित अन्य प्रमुख कार्य विशेष रूप से किये जाते हैं। इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों एवं सहायक शल्य चिकित्सकों को मेडिकोलीगल विषय में समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

4- संस्थान की वर्ष 2022 (01 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक) की प्रमुख उपलब्धियॉ :-

1. दिनांक **01-01-2022** से दिनांक **31-12-2022** तक की अवधि में कुल**-2882** शव परीक्षण किये गये जबकि मेडिकोलीगल एक्सपर्ट ओपिनियन के कुल**-46** प्रकरण प्राप्त हुये एवं इसी अवधि में मेडिकोलीगल प्रकरण जैसे इंज्युरी उम्र की जॉच**,** बलात्कार की जॉच एवं सेक्स आदि के**-327** प्रकरण प्राप्त हुये हिस्टोपैथोलॉजी के कुल**-491** प्रकरण डॉयटम टेस्ट के**-1616** प्रकरण तथा एन्टोमोलॉजी के कुल**-03** प्रकरण जाँच एवं वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु प्राप्त हुए। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल**-5,365** प्रकरण संस्थान को प्राप्त हुये।

2. वित्तीय बजट वर्ष **2022-2023 (01.04.2022** से **31.03.2023)** में इस संस्थान के लिए रूपये**-5,74,25,000/-** की बजट राशि प्राप्त हुई थी। जिसमें से रूपये**- 2,77,44,881/-** का व्यय किया गया।

3. वित्तीय बजट वर्ष **2021-2022 (01.04.2021** से **31.03.2022)** में इस संस्थान के लिए रूपये**-5,59,55,000/-** की बजट राशि प्राप्त हुई थी। जिसमें से रूपये**- 3,27,58,188/-** का व्यय किया गया तथा रूपये- **2,31,96,812/-** की राशि समर्पण की गई।

5- मेडिकोलीगल प्रशिक्षण की जानकारी :-

01. वर्ष **2021** में न्यायिक अधिकारियों के चार प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित थे**,** लेकिन कोविड**-19** की गाइडलाइन के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम निरस्त किए गए। वर्ष **2022** में न्यायिक अधिकारियों के **04-**प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए**,** जिसमें प्रत्येक सत्र में **30-30** के बैच में अपर जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभ लिया।

02. प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित राज्य सेवा के उप जिलाधीशों**,** उप पुलिस अधीक्षकों**,** लोक अभियोजकों**,** सहायक लोक अभियोजकों एवं चिकित्सा अधिकारियों को नियमित रूप से मेडिकोलीगल प्रशिक्षण दिया जाता है।

03. संभाग स्तर पर लोक स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को भी मेडिकोलीगल विषय में प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त इस विभाग के चिकित्सकों को विभिन्न समूह में संस्थान में आकर मेडिकोलीगल प्रशिक्षण के शिविर भी पूर्व में आयोजित किये गये हैं।

6- <u>बजट प्रावधान लक्ष्य व्यय/योजना वार</u> :-

संस्थान एक नॉन-प्लॉन/आयोजनत्तर विभाग है। इसके अतिरिक्त संस्थान अन्तर्गत कोई भी राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना/कल्याणकारी योजना आदि स्वीकृत नहीं है ।

<u>सारांश</u>

संस्थान के मुख्य कार्य शव परीक्षण करना एवं समूचे प्रदेश से संदर्भित किये गये जटिल एवं संदिग्ध मृत्यु के मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशेषज्ञ मत देना है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों के लिए समय-समय पर मेडिकोलीगल प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाता है।

-------00-------

मध्य प्रदेश स्टेट गैरेज, भोपाल

भाग-एक

विभाग के दायित्व

मंत्री मंडल सचिवालय, उच्च अधिकारियों के लिये वाहनों का क्रय एव वाहन चालक सहित वाहन का आवंटन। आवंटित वाहनों का मरम्मत कार्य, पेट्रोल /डीजल आदि का प्रदाय । केन्द्र एवं अन्य राज्य से आने वाले राजकीय अतिथियों को मय वाहन चालक सहित वाहन व्यवस्था करना । राजभवन के वाहनों में पेट्रोल /डीजल आदि का प्रदाय। विधान सभा के वाहनों में पेट्रोल /डीजल आदि प्रदाय करना ।

सामान्य एवं प्रमुख विशेषताएं मध्य प्रदेश स्टेट गैरेज से वाहन का आवंटन एवं मरम्मत पेट्रोल /डीजल आदि प्रदाय/राजकीय अतिथियों को हायर चार्जेस पर वाहन उपलब्ध कराया जाना।

भाग-दो

बजट विहंगावलोकन(एक दृष्टि में)	-	रूपये -
	-	-वेतन रूपये-70760000
		-कार्यालय व्यय रूपये-1308000
	-	-अनुरक्षण व्यय रूपये-7100000
	-	-वाहन प्रतिस्थापन रूपये- 20000000
	-	- पेट्रोल क्रय मद रूपये-19000000
	-	- लघु निर्माण कार्य रूपये-1000000
	-	- भारित (डिक्री धन)-100000
	-	- परीक्षा एवं प्रशिक्षण-5000
	-	- व्यासायिक सेवाएं-130000
	-	- स्थायी परि संपतियों का
		- अनुरक्षण रू; 14000000

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ)	राज्य योजना	-	101 राज्य आयोजना
(ब)	केन्द्र प्रवर्ति योजना	-	निरंक
(स)	विश्व बैक की सहायता चलाई जाने वाली योजनाएं	-	निरंक
(द)	विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं	-	निरंक
(ई)	अन्य योजनाएं	-	निरंक

भाग-तीन

सारांश

केन्द्रीय स्तर की कोई भी योजनाएं संचालित नहीं की जाती है।

-----00-----

आपदा प्रबंध संस्थान, भोपाल मध्यप्रदेश

भाग - एक

संरचना:-

दिनांक 2-3 दिसंबर 1984 को भोेपाल गैस त्रासदी के फलस्वरूप मध्यप्रदेष षासन द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान, मध्यप्रदेश की स्थापना 19 नवम्बर,1987 को की गयी थी। वर्ष 1995 में इसे मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। मध्यप्रदेश के मान्नीय मुख्य मंत्री, संस्थान की साधारण सभा के सभापति है । संस्थान के प्रबंधन एवं क्रियाकलापों के संचालन हेतु कार्यकारिणी परिषद गठित है। अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, कार्यकारणी परिषद के अध्यक्ष एवं कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान, सदस्य सचिव है।

- दायित्व:-

संस्थान द्वारा निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है:

1. प्राकृतिक व औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम, इनके प्रभावों के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन;
2. प्राकृतिक व औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम, निरोध एवं उनके प्रभावों के न्यूनीकरण के लिये जन सामान्य हेतु जन जागृति कार्यक्रमों को आयोजित करना।
3. प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदा प्रबंधन के विषयों पर सूचनाओं का संकलन, प्रलेखन एवं शोध कार्य सम्पादित करना।
4. तेल एवं गैस सेक्टर इकाइयों की आपदा प्रबंधन योजनाओं का प्रमाणीकरण।
5. प्राकृतिक व औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन से जुड़े विषयों पर परामर्श सेवा प्रदान कराना।

संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम तथा इनसे जन सामान्य को होने वाली क्षति को न्यूनतम करने हेतु शासकीय, अर्ध शासकीय एवं निजी संस्थानों के अमले में आपदाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन की क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना है। साथ ही संस्थान जन सामान्य हेतु प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में जन-जागृति कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त देश एवं प्रदेश के उद्योगों, आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन में संलग्न शासन के विभिन्न विभागों, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संस्थानों को आपदा प्रबंधन विषय पर परामर्श सेवा /ं सलाहकारिता सेवा प्रदान करता है।

संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक व औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवा प्रदान करने वाली एक अग्रणी एवं मानक संस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। संस्थान की तकनीकी योग्यताओं का लाभ देश के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं आपदा प्रबंधन में संलग्न संस्थान ले रहे हैं। संस्थान द्वारा संपादित किये जाने वाली प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम

मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों हेतु आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के मुख्य उद्वेश्यों में से एक है।

उपरोक्त के दृष्टिगत संस्थान द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों हेतु आपदा प्रबंधन विषय में क्षमता वृद्वि हेतु कुल चार दिवसीय 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2023-24 के लिये 45 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य रखा गया है।

NDRF के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन विषय पर प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 12-23 सितम्बर, 2022

जनजागृति कार्यक्रम

आपदा प्रबंध संस्थान द्वारा हर वर्ष मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों पर जनजागृति का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिससे जन समूह को आपदा प्रबंधन की जानकारी मिल सके। इस वर्ष 04 जिलों में जनजागृति का आयोजन किया जा चुका है एवं

जनजागृति में लगभग 400 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है जिसमें दतिया मेडिकल कालेज में सुधीर द्विवेदी, संयुक्त संचालक के मार्गदर्शन में श्रीमती प्रियंका सक्सेना, सहायक संचालक तथा अनुराग पचौरी, तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा प्राकृतिक आपदा के संबंध में जानकारी दी गयी।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग की आपदा प्रबंधन योजनाः-

मध्यप्रदेष की कुल जनसंख्या का लगभग 27.6 प्रतिषत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। प्रदेष के 52 जिलों में 378 शहरी स्थानीय निकाय जिनमे निरंतर जनसंख्या वृद्वि, पर्यावरण का क्षरण तथा कुछ स्थानों मे अनियंत्रित विकास के कारण प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं की संभावना एवं आपदा का प्रभाव अधिक होता है। जिस कारण आपदा के समय अधिक जन एवं धन हानि होने की संभावना रहती है एवं विभिन्न प्रकार की आपदाओ के प्रति संवेदनषील है। इस संदर्भ मे षहरी क्षेत्र में आपदा को कम करने हेतु और स्थानीय प्रषासन को तैयार करने के लिए आपदा प्रबंध संस्थान नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग के साथ मिलकर शहरी आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना प्रारंभ किया है। योजना के तहत 06 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है जिनमें से 03 संस्थान द्वारा किये जा चुके है। इस परियोजना का उद्देष्य चुने हुए प्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन विषय पर प्रषिक्षण प्रदान कर आपदा प्रबंधन में क्षमतावृद्धि किया जाना है।

- परामर्श एवं सलाहकारिता सेवा :-

संस्थान द्वारा प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु विशिष्ठ तकनीकी दक्षता हासिल की गयी है, इसके फलस्वरूप संस्थान देश के महत्वपूर्ण रासायनिक उद्योगों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों हेतु सलाहकारिता सेवा प्रदान कर रहा है। संस्थान द्वारा सतत रूप से विभिन्न खतरनाक रासायनिक उद्योगंो के सेफ्टी आडिट, जोखिम आंकलन एवं विश्लेषण, अति खतरनाक औद्योगिक इकाईयों की ऑन-साइट एवं औद्योगिक क्षेत्रों की ऑफ-साइट योजना आदि का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2022.23 में संस्थान द्वारा 10 सलाहकारिता कार्य किये गये हैं एवं 06

सलाहकारिता कार्य अंतिम चरण में हैं। वर्ष 2023.24 केलिये 12 सलाहकारिता का कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान मध्य प्रदेष राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने एवं उसका अद्यतीकरण का कार्य गतिषील अवस्था में है।

HEML रिफायनरी भटिंडा में ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान हेतु क्षेत्र कार्य के दौरान DMI दल

टाटा स्टील कलिंग नगर उडीसा के सेफ्टी ऑडिट के कार्य के दौरान DMI दल

- इस वित्तीय वर्ष के दौरान आपदा प्रबंध संस्थान द्वारा मध्यप्रदेष में आपदा के जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित नवीन महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वित किया जा रहा हैः-

- मध्यप्रदेष की भूकंप तैयारी एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम जिसमे विभिन्न हितधारकों के लिए भूकंप रोधी निर्माण तकनीक, खोज एवं बचाव मे प्रषिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- आपदा प्रबंध संस्थान द्वारा व्यापक आपदा प्रबंधन मे प्रषिक्षित गैर सरकारी संगठनों की सहायता से अन्य गैर सरकारी संगठनों को शसक्त बनाने का कार्य किया जायेगा ताकि मध्यप्रदेष मे आपदा से ग्रसित समुदायों को स्थानीय स्तर पर शसक्त बनाया जा सके।
- आपदा प्रबंध संस्थान द्वारा बरकतउल्लाह विष्वविद्यालय के साथ एमओयू कर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र मे पोस्ट ग्रजुएट डिप्लोमा एवं पीएचडी कार्य्रक्रम के आयोजन का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही दोनो संस्थानों के द्वारा साथ मे मिलकर संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाना है।

भाग - दो

बजट प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्थान को राशि रूपये 320 लाख का बजट आवंटन प्राप्त हुआ था। वर्ष 2022-2023 में राशि रूपये 400.00 लाख का बजट प्रावधान निम्नानुसार मदों में स्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्व दिसम्बर 2022 तक राशि रूपये 256.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। वर्ष के मदवार बजट प्रावधान निम्नानुसार हैः-

विवरण राशि लाख में	राशि लाख में
प्रशिक्षण कार्यक्रम	48-00
जनजाग्रति कार्यक्रम	01-00
स्थापना व्यय	350-00
पुस्तकालय	01-00
कुल योजना प्रावधान	**400-00**

भाग -तीन

- अभिनव प्रयास

स्मार्ट सिटी की आपदा प्रबंधन योजना:-

संस्थान ने अपनी गतिविधियों के आयाम को विस्तार देते हुए देश की स्मार्ट सिटी की आपात योजना निर्माण की दिशा में एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया है। प्रारंभिक रूप से संस्थान द्वारा जालंधर स्मार्ट सिटी की आपात योजना का कार्य शुरू किया गया है साथ ही देश की अन्य स्मार्ट सिटी के प्रबंधन को इस संबंध में संस्थान की सेवायें लेने हेतु पत्राचार किया गया है।

उड़ीसा एवं पंजाब प्रदेश में आपदा प्रबंधन कार्य:-

संस्थान द्वारा उड़ीसा के पाँच जिलों एवं पंजाब के भटिंडा जिले में कैमिकल/औद्यौगिक आपदाओं के परिपेक्ष्य में ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान बनाने का कार्य किया जा रहा है।

<u>व्यापक आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवी संस्थाओं का सशक्तिकरण (Empowering NGO in Comprehensive Disaster Management)-:</u>

म0प्र0 शासन द्वारा राज्य में स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ समन्वय और क्षमता वर्धन हेतु श्समग्र आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवी संस्थाओं का सशक्तिकरणश् नामक परियोजना प्रारंभ की हैए जिससे आपदा के पूर्व की जाने वाली आवश्यक तैयारियोंए आपदा के दौरान की जाने वाली अनुक्रिया एवं आपदा के पश्चात किये जाने वाले राहत कार्यों में आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सके ।

परियोजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में प्रत्येक जिले से उच्च जोखिम वाले तीन ब्लॉक का चयन किया जायेगा । चयनित ब्लॉक में से पच्चीसऐंसे ग्रामध्वार्ड का चयन किया जाना है जो उच्च जोखिम क्षेत्रों में से होंगे ।ऐंसे चयनित ग्रामों में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया किया जायेगा साथ ही साथ स्वयं सेवी संस्थाओंसमुदाय आधारित संस्थाओं का क्षमता वर्धन कर सशक्त बनाया जायेगा ।

मध्यप्रदेश में भूकंप पूर्व तैयारी एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रम :

परियोजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में भूकंप आपदा जोखिम प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगेए जिसमें शिक्षा विभागए स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिए इंजीनियरए ठेकेदारए इंजीनियरिंग में अध्यनरत विद्यार्थीए आर्म फोर्स से सेवा सेवानिवृत्तए पुलिस अधिकारी एवं होम गार्ड में से मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में चयनित होंगे । यह प्रशिक्षण विशेष रूप से भूकंप रोधी भवन निर्माण तकनीकए भूकंप से ढह गयी संरचना के दौरान खोज एवं बचाव तकनीक पर आधारित होगा ।

पार्टनरशिप :

उक्त दोनों परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ साझेदारी विकसित की जा रही है । प्रथम चरण में यूनिसेफ के साथ आंशिक रूप से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है साथ ही साथ अन्य संस्थाओं से भी साझेदारी प्राप्त किया जायेगा ।

भाग -चार

- सारांश

संस्थान स्थापना काल से ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सतत् रूप से प्रयासरत है। प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदा प्रबंधन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करते हुए संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों को प्रशिक्षण एवं सलाहकारिता सेवा प्रदान की गयी। संस्थान अपनी विशिष्ट जानकारी एवं कार्यों की वजह से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बना चुका है तथा राज्य/देश में आपदा न्यूनीकरण की दिशा में उत्तरोत्तर कार्य कर रहा है एवं आपदा प्रबंधन क्षेत्र में क्षमतावृद्वि हेतु कृत संकल्पित एवं अग्रसर है।

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भोपाल

विभागीय संरचना

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के अंतर्गत प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) का गठन 5 सितम्बर 2007 को किया गया। मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य के आपदा प्रबंधन से संबन्धित नीति निर्धारण एवं समन्वयन हेतु महत्वपूर्ण अंग है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत राज्य में आपदा प्रबंधन कार्यों के समन्वयन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC) का गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का गठन किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन हैं और उपाध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री, मध्यप्रदेश शासन हैं। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्रीगण, सलाहकार-आपदा प्रबंधन और मुख्य सचिव इस प्राधिकरण के सदस्य है। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, इस प्राधिकरण के सचिव/संयोजक है।

विभाग के दायित्व

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में आपदाओं के रोकथाम, पूर्व- तैयारी, शमन के उपाय तथा आपदाओं के दौरान तत्पर राहत, बचाव एवं प्रतिवादन से सम्बंधित निम्नांकित कार्य किए जातें है:-

- आपदाओं की पूर्व तैयारी, शमन, रोकथाम से सम्बंधित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधनप्राधिकरण के निर्देशो के अनुपालन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणोंतथा अन्य विभागों के साथ समन्वयन एवं दिशा निर्देश।
- राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्धारण तथा राज्य आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं दिशा निर्देश।
- जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने में जिला प्राधिकरणों को दिशा-निर्देशन, समन्वयन एवं अनुमोदन।
- आपदाओं की रोकथाम एवं शमन हेतु राज्य की विकास योजनाओं एवं परियोजनाओंमें आपदा प्रबंधन तत्वों के समावेश हेतु अन्य विभागों से सामंजस्य एवं समन्वयन।
- आपदा प्रबंधन में प्रदेश के विभिन्न हितधारकों की क्षमतावृद्धि।
- पूर्व तैयारी, आपदा न्यूनीकरण तथा राहत एवं बचाव हेतु जन-जागृति एवं सूचनाओं का प्रसारण। आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं के साथ समन्वयन।

<u>उपलब्धियॉ</u>

- **आपदा मित्र परियोजना :-**राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित MOU अनुसार म.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा मित्र योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 11 जिलों (**बड़वानी, भोपाल, छतरपुर, दमोह, गुना, खण्डवा, रायसेन, दतिया, सिंगरौली, उज्जैन तथा विदिशा**) में किया जा रहा है | इस योजना के अंतर्गत 300 वालेंटियर प्रति जिले के मान से कुल 3300 वालेंटियर को प्रशिक्षण सामग्री प्रदानकर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत Emergency Responder Kit (ERK) तथा बचाव उपकरण शामिल।

जिला खंडवा एवंगुना में आपदा मित्र वालंटियर का प्रशिक्षण कार्यक्रम

- **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सुढ़ृढिकरण योजना**

  NDMA द्वारा प्रायोजित "115 चिन्हित पिछड़े जिलों में से प्रदेश के खतरे वाले 09 वाले जिलों (छतरपुर, दमोह, गुना, सिंगरौली, बड़वानी, खण्डवा, दतिया,खंडवाएवंराजगढ़) में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है | इस योजना के अंतर्गत इन जिलों में आपदा प्रबंधन हेतु जिला सलाहकारों की नियुक्ति कर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किया गया:-

  - जिला आपदा प्रबंधन योजना का अध्यतनीकरण
  - जिले के आपदा प्रभावितक्षेत्रों में जन समुदाय हेतु बाढ़, वज्रपात,अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु जनजागृति
  - जिले के विद्यालयों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में आपदा प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण
  - एन डी आर एफ एवं अन्य रिस्पांस एजेंसियों के समन्वयन में जिले में संभावित आपदाओं के दौरान खोज एवं बचाव से सम्बंधित मोक-ड्रिल का आयोजन |

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), भारत सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश के 22 जिलों में आपदा से बचाव एवं राहत हेतु Mock Exercise का अयोजन किया गया ।
- मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में बाढ़ से संबन्धित पूर्व तैयारी को सुनिश्चित करने हेतु एक बाढ़ पूर्व तैयारी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) तथा जिलों के महत्वपूर्ण विभागों द्वारा बाढ़ से पूर्व की जाने वाली तैयारियों से संबन्धित चेकलिस्ट तैयार किया गया।राज्य आपदा प्रबंधन योजना का उन्नयनीकरण आपदा प्रबंधन संस्थानों के माध्यम से किया जा रहा है।
- प्रदेश के 51 जिलों का जिला आपदा प्रबंधन योजना NDMA गाइडलाइन के अनुसार तैयारी कर लिया गया है।
- भारतीय वायु सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ((NDRF) एवं राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (SDERF) के साथ सतत समन्वयन कर बाढ़ की विभीषिका से इस वर्ष हजारों लोगों को बचाया गया/ सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया।

<u>बजट विहंगवलोकन</u>

बजट वर्ष 2022-23में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (0201)- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के लिये रूपये 5,21,49,000/-(**रूपये पॉच करोड़एक्कईस लाख उनन्चास हजार मात्र**) बजट राशि निम्नानुसार स्कीम के अंतर्गत प्राप्त हुई हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	**स्कीम**	**आंकड़े रूपयों में**
1	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिववालय (7329)	2,99,99,000/-
2	आपदा प्रबंधन क्षमता विकास (7331)	1,11,80,000/-
	(0801) केन्द्रीय क्षेत्रीययोजना	97,70,000/-
3	आपदा प्रबंधन निर्माण कार्य (7332)	12,00,000/-
	योग:-	**5,21,49,000/-**

<u>भावी कार्याजनाएं:-</u>

- सेनदाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के कार्य किये जायेंगे |
- वज्रपात से जन सामान्य के बचाव हेतु प्रदेश में व्यापक स्तर पर पूर्व तैयारी एवं शमन के कार्य किये जायेंगे|
- मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन कार्य योजना का उन्नयन किया जा रहा है।
- आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश के मुख्य विभागों को विभागीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का निर्माण किया जावेगा।
- प्रदेश में विद्यमान खतरों के मेपिंग तथा उचित प्रबंधन हेतु लार्ज स्केल डिजिटल डाटा बेस का निर्माण किया जाना है।
- प्रदेश में विद्यामन खतरों बाढ़ पूर्वानुमान तकनीक को विकासित करने एवं वर्षामापी यंत्र तथा संबन्धित अन्य उपकरणों का सुद्रढ़ीकरण किया जाना है।
- राज्य स्तर पर शासकीय अधिकारियों हेतु सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन किए जाने की योजना है।
- व्यापक आपदा प्रबंधन जन जागरूकता हेतु ग्रामीण स्तर तक कार्यक्रम किए जाने है।
- भूकंप आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में उपलब्ध वैज्ञानिक संसाधनों की नेटवर्किंग किया जाना तथा आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणों तथा अधोसंरचना का विकास (भुकंपमापी यंत्र तथा उपलब्ध त्वरित प्रसारण उपरकरणों) का आपदा प्रबंधन क्षमता विकास किया जाना है।
- बाढ़ तथा सूखा प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत जनसमुदाय के बचाव तथा ट्रनिंग हेतु प्रदेर्शनात्मक नमूनों का निर्माण किया जाना।
- लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत प्राधिकरण के कार्यालय हेतु आवंटित भवन के उन्नयनीकरण किया जाना है।
- वृहद निर्माण कार्य के अंतर्गत प्राधिकरण हेतु राज्य स्तरीय सर्वसुविधायुक्त नवीन कार्यालय भवन निर्माण की योजना है।

- आपदा प्रबंधन में जन सामान्य को जोड़ने हेतु प्रदेश स्तर परएन जी ओ एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनों को प्रशिक्षित कर क्षमता वृधि की जानी है |

-----00-----